गंगा हेतु संतों की बलिदानी परम्परा

संदीप पाण्डेय

यह पुस्तक उस अध्यात्मिक-मानवीय भावना को समर्पित है जो अन्य मनुष्य समेत प्रकृति के साथ हिंसा करने की अपेक्षा खुद का बलिदान देने को तैयार रहती है

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन	**5**
प्रस्तावना	**10**
भूमिका	**13**
गंगा की दशा	**17**
गंगा और हिन्दुत्व की राजनीति	**27**
गंगा के लिए साधुओं की बलिदानी परम्परा	**37**
प्रोफेसर अग्रवाल व सरकार की सोच में अंतर	**47**
प्रोफेसर अग्रवाल के बारे में उनके सहकर्मियों/छात्रों के विचार	**51**
परिशिष्ट 1: प्रोफेसर गुरु दास अग्रवाल का जीवन चित्र	**75**
परिशिष्ट 2: मातृ सदन द्वारा आयोजित अनशनों की सूची	**77**
परिशिष्ट 3: गंगा पर पनबिजली परियोजनाएं	**86**
परिशिष्ट 4: नितिन गडकरी व प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के बीच पत्राचार	**87**
परिशिष्ट 5: 2018 में प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल द्वारा लिखे पत्र व प्रधान मंत्री की ट्वीट	**92**
परिशिष्ट 6: स्वामी निगमानंद का मुख्य न्यायाधीशों के नाम पत्र	**104**
परिशिष्ट 7: स्वामी शिवानंद द्वारा मोदी सरकार की कठोर आलोचना	**107**
परिशिष्ट 8: ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा लिखा गया प्रधान मंत्री को पत्र	**110**
परिशिष्ट 9: स्वच्छ भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के साथ पत्राचार	**115**
परिशिष्ट 10: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समूह की पर्यावरणीय प्रवाह की संस्तुति	**125**
परिशिष्ट 11: संयुक्त राष्ट्र ने संतों के उपवास का संज्ञान लिया	**127**
परिशिष्ट 12: गंगा के लिए अनशनरत साधुओं के समर्थन में	**129**
परिशिष्ट 13: गंगाजी और पन बिजली - विकास	**149**

प्राक्कथन

मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति और इस ब्रह्माण्ड के अन्य जीवों पर निर्भर है। यदि प्रकृति को क्षति पहुंचती है तो अन्य जीवों समेत मनुष्य भी प्रभावित होगा। प्रकृति में मुख्यतः वनस्पति, पशु-पक्षी, नदियां व उनका अबाधित प्रवाह, आदि, शामिल हैं। प्रकृति के दो हिस्से हैं - एक आंतरिक व दूसरा बाहरी। यदि बाहरी हिस्सा स्वस्थ्य रहेगा तो आंतरिक शांति व समन्वय में रहेगा। यदि आंतरिक हिस्सा लोभ, आदि, में लिप्त रहेगा तो बाहरी को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वैदिक युग के ऋषि यह प्रार्थना करते थे कि उनका जन्म ऐसी जगह हो जहां प्रकृति अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो ताकि ईश्वर से सम्पर्क आसानी से हो जाए। अथर्ववेद में यह बात निम्नलिखित शब्दों में कही गई हैः

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ।। अथर्व 12.1.3

यानि, जिसमें समुद्र, नदी, जल हो, जिसमें खेती तथा अन्न होता हो, जिसमें यह क्रियाशील प्राण तृप्त होता हो, जिसमें पूर्व से पान करने वाला रसयुक्त पेय हो, वह भूमि हमें प्रदान करें।

ऋषि सिर्फ यह नहीं चाहते थे कि उपर्युक्त प्राकृतिक वातावरण में पर्याप्त जल संसाधन, खाद्य एवं पेय भोजन हो पर वे यह भी चाहते थे कि नदी का प्रवाह अबाधित रहे। अथर्ववेद में ही कहा गया हैः

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।
सा नो भूमिर्भूरिधारा प्यो दुहामथो उक्षतु वर्चसा।। अथर्व 12.1.9

ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जिसमें जल चारों बगल समानरूप से रात-दिन बिना प्रमाद के (लगातार अविरल) बहता है, ऐसी प्रचुर धारा वाली भूमि हमें दुग्ध के समान सारभूत फल देवे, हमें वर्च (तेज) से सम्पन्न करे।

इसीलिए भारत में नदियों को न सिर्फ जीवित इकाई के रूप में माना जाता है बल्कि देवी-देवताओं का भी दर्जा दिया गया है।

भारतीय साहित्य में कई कहानियां हैं कि ऋषियों ने तपस्या करके नदियों को स्वर्ग से भूमि पर उतारा है। भारत की सभी नदियों में गंगाजी का विशेष स्थान है। हरेक अध्यात्मिक भारतीय जीवन में कम से कम एक बार गंगा में डुबकी लगाना चाहता है। मृत्यु के बाद गंगाजल की एक बूंद मनुष्य के मुंह में डाली जाती है और मृत शरीर जलाने के बाद राख गंगाजी में विसर्जित की जाती है।

कई पुराणों में बताया गया है कि राजा भागीरथ ने तपस्या कर गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर उतारा। उनसे पहले उनके पूर्वज अंशुमान व दिलीप तपस्या के दौरान अपना बलिदान देने के बावजूद इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए थे।

श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुईं तो उन्होंने दो प्रश्न किएः धरती उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा? लोग अपने पाप से उनके पवित्र पानी को प्रदूषित कर देंगे, तो उनको कौन तारेगा?

भागीरथ ने उनको आश्वस्त किया वे भगवान शिव की तपस्या कर उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि भगवान शिव गंगा के वेग को अपनी जटाओं में बांध लें और फिर गंगा को धरती पर छोड़ें। महाभारत में ऐसा कहा गया हैः

एतस्याः सलिलं मूध्नि वृषाङ्कः प्रयधारयत्।
गङ्गाद्वारे महाभाग येन लोस्थितिर्भवेत्।। अध्याय 142, श्लोक 9, महाभारत

यानि, भगवान शिव ने अपने स्थान गंगाद्वार (हरिद्वार) में गंगाजी का वेग अपनी जटाओं में लिया ताकि वे धरती को भेद न सकें और उसके बाद वे नीचे की ओर बहने लगीं।

वैज्ञानिक भाषा में कह सकते हैं कि हरिद्वार में जो पत्थर, आदि, हैं वे गंगा के वेग को थाम लेते हैं अन्यथा यहां के बाद गंगा दिखाई न पड़ें।

दूसरे प्रश्न के जवाब में भागीरथ ने गंगा को आश्वस्त कियाः

साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः।
हरन्त्यघं तेंऽगसंगात् तेष्वास्ते ह्यघभिद्हरिः।। श्रीमद्भागवत 9.9.6

यानी, सर्वत्यागी, अपनी इन्द्रियों से उपरत होकर शांत, ब्रह्मिष्ठ व लोक को पावन करने वाले सन्यासी अपने अंग संग तेरे पाप का हरण करेंगे क्योंकि अध (पाप) का भेदन करने वाले हरि उनके हृदय में वास करते हैं।

हम तो साधु हैं। हम सिर्फ अपने पूर्वज ऋषि भागीरथ द्वारा गंगा को दिया गया वचन पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा वेद में यह भी कहा गया है कि जब दुनिया के सारे मनुष्य अज्ञानता में डूब कर सो रहे हों तो ऋषि तो जागृत रहता है।

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः - शुक्ल यजुर्वेद 9.23

यानि, केवल हम ऋषि ही जागृत रहते हैं।

अतः जब अज्ञानी लोग जीवनरेखा, यानि नदी, को ही नष्ट कर रहे हैं, हम ऋषि अपने बलिदान की तैयारी के साथ शुरू की गई तपस्या द्वारा उनको अपनी गल्ती का अहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं।

हमारा संघर्ष 1998 में शुरू हुआ। उसके बाद मातृ सदन की ओर से 63 सत्याग्रह हो चुके हैं। हमें जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा उनमें से कुछ निम्न हैं।

- 2000 में जब मैं नींबू, नमक व पानी पर सत्याग्रह कर रहा था तो मुझे जेल में डाल कर नींबू पानी में आर्सेनिक घोल जहर देने की कोशिश की गई।

- 2003 में हमारे संत स्वामी गोकुलानंद सरस्वती की नैनीताल के एक गांव में स्कोलिन देकर हत्या कर दी गई।

- 2011 में स्वामी निगमानंद सरस्वती की हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में आरगैनोफॉस्फेट जहर देकर हत्या कर दी गई।

- 2018 में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में पोटैशियम की कमी बता कर हत्या कर दी गई। (वे सत्याग्रह के दौरान नींबू, नमक व शहद ले रहे थे जिसमें पोटैशियम होता है।)

- 2018 में ही ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को, ऋषिकेश के उसी सरकारी अस्पताल में जहां स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की हत्या हुई थी, ब्रूसीन देकर मारने की कोशिश की गई। इसके पूर्व 2017 में भी दून अस्पताल, देहरादून में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा था।

इसके अलावा सरकार व उसके अधिकारियों द्वारा मुझे मारने की तमाम कोशिशें हुईं हैं। तथ्यों से साफ है कि कोई शिकायतें दर्ज नहीं की जातीं व साजिश करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। एक ताजा उदाहरण है जिस अस्पताल में स्वामी सानंद जी की हत्या हुई और जिसमें ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को जहर दिया गया उसके निदेशक को सरकार ने पद्मश्री दिया है।

भ्रष्ट नौकरशाही व राजनेताओं का गठजोड़ कुछ भी कर सकता है। न्यायपालिका की भी भूमिका साफ नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह के अलावा हमारे पास और तरीका नहीं है।

केन्द्र सरकार दावा कर रही है वह गंगाजी की सफाई पर काफी पैसा खर्च कर रही है। गंगा की सफाई के लिए पैसे की जरूरत नहीं है बल्कि साफ नीयत की जरूरत है।

- सभी प्रस्तावित व निर्माणाधीन बांधों पर काम तुरंत रोका जाना चाहिए।
- जो बांध अस्तित्व में हैं पहले उनमें आई.आई.टी. कन्सॉरशियम रिर्पोट के मुताबिक पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए और फिर धीरे-धीरे उन्हें भी समाप्त किया जाना चाहिए।
- नालियों का गंदा पानी, बिना साफ किए या साफ करके भी, गंगा में नहीं गिराना चाहिए। यह स्थानीय नगर पालिकाओं या निकायों की जिम्मेदारी है कि उसे साफ कर किसी अन्य उपयोग में लाएं।
- प्रदूषण न करने वाले सभी कारखाने गंगाजी से पांच किलोमीटर दूर व प्रदूषण करने वाले कारखाने दस किलोमीटर दूर ले जाए जाने चाहिए।

- गंगाजी या इसकी सहायक नदियों में खनन पर रोक लगनी चाहिए।
- गंगाजी से दस किलोमीटर की परिधि में सिर्फ सजीव खेती ही होनी चाहिए।

यदि ये सारी शर्तें पूरी की जाती हैं तो गंगाजी एक हजार वर्ष पूर्व की भांति शुद्ध हो जाएंगी। इसके लिए स्वामी सानंद की मांग के मुताबिक एक स्वायत्त गंगा परिषद का गठन किया जाना चाहिए जो उपर्युक्त बातों का ध्यान रखेगी।

किंतु इतने सरल समाधान को भी इतना पेचीदा बना दिया गया है कि कई संतों ने बलिदान दे दिया है और अन्य बलिदान देने के लिए कतार में खड़े हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ सरकार गंगा को साफ करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो वहीं गंगा से कुछ पैसा भी कमाना चाह रही है। हालत इतनी गम्भीर है कि एक कम्पनी जिसने अलकनंदा पर बांध बनाया है पांच प्रतिशत से ज्यादा पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

कैसी विचित्र बात है कि वर्षों पुरानी गंगा जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केन्द्र है को एक निजी कम्पनी नियंत्रित कर रही है? ऐसी कम्पनियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ऐसी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है।

संदीप पाण्डेय जी ने साधुओं के बलिदान की घटनाओं पर केन्द्रित जो यह पुस्तक संकलित की है वह बहुत अच्छी बात है। इससे लोग जागरूक होंगे और सरकार को भी एक दिन सत्य समझ में आएगा जिससे गंगा अपनी पुरातन पवित्रता को वापस पा सकेंगी।

स्वामी शिवानंद
संस्थापक/अध्यक्ष
मातृ सदन, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार

प्रस्तावना

अभी तक चार संतों की गंगा के लिए जान गई है जिसमें से तीन ने अनशन कर अपने प्राण त्यागे और चौथे की खनन माफिया ने हत्या करवा दी। यदि सरकार ने गंगा को अविरल और निर्मल बहने देने की उनकी मांग नहीं मानी तो अनशन करके अपना बलिदान देने के लिए और साधु तैयार हैं।

मरने वालों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के भूतपूर्व प्रोफेसर गुरू दास अग्रवाल भी शामिल हैं जो 2011 में साधु बन गए थे और उसके बाद से स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से गंगा के संरक्षण हेतु एक कानून की मांग की थी और मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक प्रस्तावित बिल भी तैयार कर लिया था।

मैं प्रोफेसर अग्रवाल से उनके आखिरी अनशन में दो बार मिला और मुझे पूरा भरोसा था कि सरकार आखिरी वक्त पर भी हस्तक्षेप कर उनकी जान बचा लेगी। मुझे काफी सदमा लगा कि सरकार ने उन्हें अनशन करते हुए ही मर जाने दिया। संचार माध्यम के साथ न देने के कारण लोगों को भी उनके अनशन के बारे में नहीं पता चला। हमने एक आखिरी कोशिश की कि हिन्दी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में विज्ञापन निकाल कर सरकार का ध्यानाकर्षण करें लेकिन इसके पहले कि विज्ञापन के लिए जरूरी रुपए दो लाख इकट्ठा हो पाते प्रोफेसर अग्रवाल ने प्राण त्याग दिए। समय के खिलाफ दौड़ में हम हार गए और वे हमेशा की तरह हमसे आगे निकल गए।

मुझे इस बात का हमेशा अपराध बोध रहेगा कि हम उनकी जान बचाने के लिए जितना कर सकते थे उतना हमने नहीं किया। इसलिए मैं यह छोटी सी पुस्तक लेकर आ रहा हूं ताकि सरकार और समाज को पता चले कि हमने अपने

एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक और संवेदनशील इंसान, जो सभी इंसानों व पूरी प्रकृति के बारे में सोचता था, को बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए उसे यूं ही मर जाने दिया।

स्वामी सानंद को मातृ सदन से पुलिस ज़बरदस्ती एम्स में भर्ती कराने के लिए ले जाते हुए

अभी और कितने साधुओं को अपनी जान देनी पड़ेगी इससे पहले कि हम जागें? यह सिर्फ गंगा की बात नहीं थी। यह बड़ी बात थी कि हम एक दूसरे की परवाह करते हुए, जिसमें पर्यावरण की चिंता भी शामिल हो, कैसे सुखपूर्वक जी सकें। हम एक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं - मानवीय और पर्यावरणीय। एक समझदार वृद्ध हमें यह बताने की कोशिश कर रहा था। किंतु हमने उसे अनसुना कर दिया।

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के साथ मातृ सदन की कहानी भी जुड़ी हुई है जिसे उन्होंने अपने तीन अनशनों, जिसमें आखिरी भी शामिल था, की शरण स्थली चुना। मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं जो रसायन शास्त्र के शिक्षक रह चुके हैं और जिन्होंने खनन माफिया, राजनेताओं, नौकरशाही, मीडिया व न्यायपालिका के गठजोड़ के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है। हरिद्वार का एक सामान्य सा आश्रम, जिसे समाज और धार्मिक समुदाय ने नजरअंदाज किया हुआ है और जो वर्तमान में प्रभावशाली हिन्दुत्व की राजनीति के

लिए भी कोई आकर्षण नहीं बना, अपने साधुओं की जान बाजी पर लगा कर कठोर संघर्ष के लिए कमर कसे हुए है। मातृ सदन की कहानी एक प्रतिबद्धता व बलिदान की कहानी है।

इस पुस्तक का उद्देश्य लोगों को मातृ सदन के साधुओं के बलिदानों से अवगत कराना और गंगा के लिए उनके त्याग को उचित सम्मान देना है।

स्वामी सानंद के शिष्य प्रणव कुमार वशिष्ठ ने इस पुस्तक को पूरा करने में मेरा उल्लेखनीय सहयोग किया है। बारीकियों की परख की उनकी प्रवृत्ति ने इस पुस्तक की गुणवत्ता बढ़ा दी है। मैं प्रोफेसर पी.आर.के. राव का भी आभारी हूं कि उन्होंने प्रोफेसर अग्रवाल के आमरण अनशन के समय आई.आई.टी. कानपुर से जुड़े लोगों को लगातार उनके बारे में बताया व संवेदनशील बनाया। मुझे भी उनके ई-मेल संदेशों से ही प्रोफेसर अग्रवाल के अनशन के बारे में मालूम हुआ क्योंकि संचार माध्यमों ने इस खबर को जगह न देने का फैसला लिया हुआ था।

मै अपने मित्रों विवेक, प्रोफेसर ओम दमानी, अल्का हिंगोरानी, श्रीराम, सुप्रतिक चक्रवर्ती, सुन्दर कुमार अय्यर व वीरेन्द्र कुमार सुले का आभारी हूं जिनके सहयोग बिना यह पुस्तक पूरी नहीं हो सकती थी। मैं प्रोफेसर राजीव संगल, पी.जे. नारायणन व अभिजीत मित्र का भी आभारी हूं जिनकी वजह से हैदराबाद के आई.आई.आई.टी. परिसर में रह कर मुझे इस पुस्तक को पूरा करने का मौका मिला।

संदीप

भूमिका

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जो पहले प्रोफेसर गुरू दास अग्रवाल के नाम से जाने जाते थे, ने एक पहुंचे हुए संत की तरह अपने मृत्यु का समय व तरीका खुद चुना। मैं जब 23 सितम्बर, 2018, उनके आमरण अनशन के 95वें दिन उनसे मिला और विदा लेते हुए आदतवश मुंह से निकल गया कि जल्दी ही फिर मिलूंगा तो उन्होंने टोका और कहा कि वे 9 अक्टूबर को पानी भी छोड़ देंगे और उसके बाद सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान रह जाएंगे। हलांकि सबको मालूम है कि एक न एक दिन मौत आनी है किंतु बहुत कम लोग होते हैं जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहते हैं।

महान प्रोफेसर गुरू दास अग्रवाल जो बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से दो वर्षों में पीएच.डी. करने के बाद विख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में सीधे लेक्चरर से प्रोफेसर प्रोन्नत किए गए थे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव के रूप में उन्होंने भारत में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कई महत्वपूर्ण मानक तय किए, अंत में अपनी सरकार को गंगा को पुनर्जीवित करने के अपने आग्रह को न समझा पाए जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान गवां कर देनी पड़ी। हरिद्वार में 112 दिनों तक सिर्फ नींबू पानी और शहद पर आमरण अनशन करने के पश्चात, जिसमें से आखिरी के तीन दिन निराजल रहे, 11 अक्टूबर, 2018, को ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय की गति रूक जाने से उनका प्राणांत हो गया। प्रोफेसर अग्रवाल का जीवन चित्र परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

यह अचरज का विषय है कि हिन्दुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीत कर आई सरकार ने एक साधू, जो वे 79 वर्ष की अवस्था में 2011 में बन गए थे, की बात गंगा जैसे परिस्थितिकीय व धार्मिक विषय, जो नरेन्द्र मोदी के वाराणसी चुनाव प्रचार के समय केन्द्र में था, पर क्यों नहीं सुनी?

प्रोफेसर अग्रवाल एक निष्ठावान धार्मिक व्यक्ति होने के साथ-साथ एक वैज्ञानिक भी थे। वे गंगा को अपनी मां मानते थे व यह भी मानते थे गंगा कोई

साधारण नदी नहीं है। शेष हिन्दुओं की तरह उनका भी मानना था कि गंगा के पानी में कुछ विशेष गुण हैं जिस वजह से उसे ऐसा पवित्र माना जाता है जैसे दुनिया कि कोई दूसरी नदी नहीं चाहे वह नील, यूफ्रेटस, टेम्स, डैन्यूब, मिसीसिपी या सिंधु हो। एक वैज्ञानिक के नाते इन विशेष गुणों की पहचान उन्होंने जीवाणु नाशक, रोग नाषक, स्वास्थ्य वर्धक, सड़न मुक्त व शुद्धीकरण क्षमता के रूप में की थी जो अन्य नदियों के पानी से अधिक थे। 2018 में जारी नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान की एक आख्या में तीन नदियों - गंगा, यमुना व नर्मदा - के तुलनात्मक अध्ययन में यह बात सामने आई कि गंगा के पानी में यमुना व नर्मदा से अधिक जीवाणु नाशक तत्व विद्यमान हैं, जिससे प्रोफेसर अग्रवाल की मान्यता सही साबित हुई। जल व गाद के अंतर्सम्बंध से गंगा में ऐसे जीवाणु नाशक तत्व बढ़ जाते हैं जबकि वहीं यमुना व नर्मदा में जीवाणु बढ़ते हैं। गंगा का यह चरित्र उसके पानी के गंदा होने के बावजूद बना रहता है, ये बात प्रोफेसर अग्रवाल के लिए भी चकित करने वाली थी।

प्रोफेसर अग्रवाल ने गंगा को बचाने के लिए छह बार अनशन किया व हरेक बार अपनी जान दांव पर लगाई। वे अपने शुभचिंतकों से कहते थे कि उनके स्वास्थ्य की चिंता न कर लोग गंगा के स्वास्थ्य की चिंता करें। उनका मानना था कि काफी देर हो चुकी है। वे सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के कठोर आलोचक हैं। वे नहीं मानते कि कुछ लोग कहीं झाड़ू उठा लें तो स्थानीय इलाके की सफाई कर सकते हैं। प्रदूषण का कारण सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं। सतत् विकास के लिए पर्यावरण-पक्षीय नीतियों की आवश्यकता है जबकि मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में सतत् विकास का एक बार नाम भी नहीं लिया। सरकार के लिए विकास का मतलब सिर्फ निर्माण होता है।

स्वामी सानंद का मानना था कि वर्तमान में विकास की अवधारणा पर्यावरण विरोधी है और गंगा को तभी बचाया जा सकता है जब उसके संरक्षण का काम गंगा के प्रति संवेदनशील लोगों को दिया जाएगा। इस काम के लिए उनका सरकार व नौकरशाही पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था।

गंगा की अविरलता का मुद्दा सबसे पहले पण्डित मदन मोहन मालवीय ने उठाया था और हरिद्वार में इसके लिए अभियान चलाया और अंग्रेजों को यह बात समझाने में सफल भी रहे। हिमालय में पर्यावरण की कीमत पर विकास का मामला सबसे पहले गांधीवादी कार्यकर्ता सुन्दरलाल बहुगुणा ने ’80 के दशक में

उठाया था जब उन्होंने नारा दिया 'परिस्थितिकी ही स्थाई अर्थव्यवस्था है'। बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ कई बार भागीरथी के किनारे अनशन किया व दो प्रधान मंत्रियों पी.व्ही. नरसिंह राव व एच.डी. देवे गौड़ा को परियोजना के पुनर्मूल्यांकन हेतु राजी भी किया। किंतु अंततः बांध बन गया और 2004 में जब बांध का जलाशय भरा जा रहा था जब सुंदरलाल बहुगुणा को वहां से निकालना पड़ा।

स्वामी सानंद ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के समय भी पांच बार अनशन किया था। किंतु एक बार भी उनके जीवन के लिए संकट नहीं उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार में एक बार ही अनशन करना उनके लिए जानलेवा बन गया। इससे यह भी स्पष्ट है कि विकास की प्रचलित अवधारणा सामाजिक-सांस्कृतिक विचारधारा, जिसमें धर्म शामिल है, या पर्यावरणीय चितंन, भले ही प्रधान मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने पुरस्कार दिया हो, के प्रति संवेदनशील नहीं है और वर्तमान सरकार तो कॉर्पोरेट जगत के ज्यादा पक्ष में है और कम मानवीय है।

स्वामी सानंद के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसे कैसे भरा जाएगा? देश में कौन है गंगा को बचाने की बात करने वाली दूसरी दमदार आवाज? धार्मिक आस्था वाले कुछ लोगों के लिए स्वामी सानंद तो भागीरथ की तरह थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर गंगा का मुद्दा उठाया।

मेधा पाटकर का कहना है कि स्वामी सानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन सरकारों, जो ऐसी विकास की अवधारणा को मानती हैं जिसमें प्रकृति का विनाश अंतर्निहित है, उन कम्पनियों, जो ऐसी सरकारों की भ्रमित करने वाली अवधारणा को जमीन पर उतारती हैं और उन ठेकेदारों, जो प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं, जिन तीनों का इस विकास में इतना निहित स्वार्थ है कि मनुष्य के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हो जाते हैं, के खिलाफ मोर्चा खोल दें।

गंगा को बचाने की लड़ाई का अभी अंत नहीं हुआ है। मातृ सदन, जिस आश्रम को स्वामी सानंद ने अपना अनशन स्थल चुना था, के प्रमुख स्वामी शिवानंद ने नरेन्द्र मोदी को चेतावनी देते हुए घोषणा की थी कि स्वामी सानंद के बाद वे व उनके शिष्य अनशन की श्रंखला को कायम रखेंगे। परिशिष्ट 2 में मातृ सदन की ओर से स्वामी शिवानंद के नेतृत्व में अब तक हुए तिरसठ अनशनों का क्रमवार

ब्यौरा दिया गया है। 2011 में मातृ सदन के ही नवजवान साधु स्वामी निगमानंद का गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अपने अनशन के 115वें दिन प्रणांत हो गया, जिसमें यह आरोप है कि तत्कालीन उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार से मिले हुए एक खनन माफिया ने उनकी हत्या करवाई। स्वामी गोकुलानंद, जिन्होंने स्वामी निगमानंद के साथ 1998 में अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन की ओर से पहला अनशन किया था, की खनन माफिया ने 2003 में हत्या करवा दी। वाराणसी में गंगा को बचाने के लिए 2014 में 114 दिनों के अनशन के बाद बाबा नागनाथ की जान चली गई। विकास के वेदी पर अभी और न जाने कितनी बलियां चढेंगी?

यह रोचक है कि गंगा को बचाने में लगे सभी लोग, सुंदरलाल बहुगुणा से लेकर प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल व मातृ सदन आश्रम के संत, गांधी की ही तरह लालच पर आधारित विकास की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और पर्यावरण के साथ सह-अस्तित्व पर जोर देते हैं और उनके संघर्ष के तरीके भी गांधीवादी ही हैं। गांधी के दिमाग में बहुत स्पष्ट था कि उनकी रुचि सिर्फ भारत को अंग्रेजों की गुलामी से अजादी दिलाने में नहीं, बल्कि सभी भारतीयों को प्रौद्योगिकी की गुलामी से आजादी दिलाने में थी। उनकी अस्तेय, जो ग्यारह में से एक व्रत उनको लेने होते थे जो सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहते थे, की अवधारणा यह थी कि हम अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज रख रहे हैं तो वह चोरी है। इनमें से पहले तीन व्रत हैं सत्य, अहिंसा व ब्रह्मचर्य। स्वामी शिवानंद कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनके अस्त्र हैं सत्य व ब्रह्मचर्य। गांधी की तरह मातृ सदन के संत भी मानवता, जो इंद्रियों को संतुष्ट करने में व भौतिक जगत में ही संलिप्त है, को मुक्त कराना चाहते हैं। लालच तो हमें विनाश की तरफ ही ले जा रहा है। सभी पर्यावरणविद् चाहते हैं कि सारी मानवता सुखपूर्वक जिए।

गंगा की दशा

भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखण्ड में 4,100 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख में हिमनद है। अलकनंदा का उद्गम यहां से कुछ ही दूरी पर 3,123 मीटर की ऊंचाई पर है। ये दो नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती हैं। गंगा गौमुख से गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले 2,510 किलोमीटर की लम्बाई तय करती है। इसकी लम्बाई के दौरान इसमें सहायक नदियां भीलांगना, अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गण्डक, कोसी व सोन मिलती हैं। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

जल की गुणवत्ता

2018 में जारी नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान की आख्या के मुताबिक भारतीय मानकों के ब्यूरो के पीने के पानी के मानकों के रसायनिक मानदण्डों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता कम पाई गई और नदी की लम्बाई के साथ गुणवत्ता कम होती चली गई। पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई गई जो जलीय जीव-जंतुओं के लिए ठीक नहीं है। गंगा का 70 प्रतिशत प्रदूषण नालियों के गंदे पानी व औद्योगिक कचरे के कारण होता है व शेष कृषि के कारण। गंगा को प्रदूषित करने वाले मुख्य उद्योग हैं - कागज एवं लुगदी, चीनी व शराब, चमड़ा व कपड़ा।

पनबिजली परियोजनाएं

गंगा के ऊपरी हिस्से में बनी पनबिजली परियोजनाओं (देखें परिशिष्ट 3) ने गंगा के प्रवाह को प्रभावित किया है। नदी की कुछ लम्बाई सुरंग के अंदर चली गई है तो कहीं नदी को रोक ही लिया गया है। गौमुख से हरिद्वार तक गंगा के ऊपरी हिस्से की 294 किलोमीटर की लम्बाई में से सिर्फ गौमुख से झाला तक 80 किलोमीटर ही अपने नैसर्गिक रूप में बची है। 82 किलोमीटर गंगा सुरंग में बह रही है अथवा रोक ली गई है।

हकीकत यह है कि यदि सरकार ने टिहरी, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा में बने बांधों से पानी नहीं छोड़ा होता, जिसके कारण अचानक कई लोगों के घर व जमीनें डूब में आ गईं, तो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज बन गया है, के 2019 के अर्ध कुम्भ में डुबकी लगाने भर का भी पानी नहीं होता।

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल की मुख्य मांग यह थी कि गंगा के नैसर्गिक प्रवाह को बाधित करने वाले सभी बांधों पर काम रोका जाए। गंगोत्री से उत्तरकाशी के 135 किलोमीटर की लम्बाई में भागीरथी नदी की अविरलता बनी रहे इसके लिए इन्होंने पहला अनशन 2008 में किया। इनके अनशन की वजह से सरकार ने 380 मेगावाट की भैरोंघाटी व 480 मेगावाट की पाला-मनेरी जल विद्युत परियोजनाएं रद्द कीं। 2009 में जब इन्हें महसूस हुआ कि सरकार वायदा खिलाफी कर रही है तो इन्होंने पुनः अनशन शुरू किया व 600 मेगावाट की लोहारीनाग-पाला परियोजना को भी रुकवाया जबकि इस पर उस समय तक रुपए 1,000 करोड़ खर्च हो चुके थे।

अब तमाम विषेशज्ञ यह मानने लगे हैं कि दो वजहों से गंगा पर पनबिजली परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। एक अध्ययन बताता है कि 2013 की बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान उत्ताखण्ड में उन जगहों पर हुआ जहां बांध बने हुए थे इसलिए बांध बनाना आपदा को न्यौता देने जैसा है। दूसरा गंगा का विशेष चरित्र कि उसका पानी सड़ता नहीं यह उसके अंदर मौजूद बालू के कणों में है। लेकिन यह तभी है जब पानी बहता रहे। रूके पानी में ये कण नदी के तल में बैठ जाते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक 1965 में प्रति लीटर गंगा के पानी में कणों की मात्रा 8.92 मिलीग्राम होती थी जबकि वन विभाग का एक अध्ययन बताता है कि 2016-17 में यह घट कर 4.68-5.52 मिलीग्राम रह गया है।

कई शोध व विशेषज्ञ समितियों की राय है कि पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक विकास का जो मार्ग हमने चुना है वह हमें विनाश की ओर ले जाएगा अतः उसे छोड़ देना ही ठीक है। जून 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आया उसके बाद सर्वोच्च न्याायालय के 13 अगस्त, 2013 के आदेश से गठित रवि चोपड़ा समिति के अनुसार, "निर्माणाधीन व अस्तित्व में जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उन्होंने हिमालय की परिस्थितिकी को अपूर्तिनीय क्षति पहुंचाई है और 2013 की बाढ़ के प्रकोप को बढ़ा दिया"। उसका सुझाव था कि सभी 23 निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं को रोका जाए व हिमालय में गंगा की सभी

नदी घाटियों को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में 5 दिसम्बर, 2014 को पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है, ".. पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण से स्थानीय परिस्थितिकी पर बोझ बढ़ा है। वन के क्षरण, जल की गुणवत्ता कम होना, भूगर्भीय व सामाजिक प्रभाव के रूप में पर्यावरण की अपूर्तिनीय क्षति हुई है जिसके कारण भूस्खलन व अन्य आपदाएं बढ़ गई हैं। ऐसा देखा गया कि निर्माणाधीन व अस्तित्व में पनबिजली परियोजनाओं पर विनाश क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ा है और सबसे ज्यादा नुकसान पनबिजली परियोजनाओं के स्थल पर या उनसे ठीक पहले या बाद में हुआ है। यह उल्लेखनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2013 की बाढ़ के प्रकोप को बढ़ाने में पनबिजली परियोजनाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है।"

किंतु सरकारें प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल की समझदारी के आधार पर दिए गए सुझावों को नकार कर चुपचाप बांधों व उनके निर्माताओं को ही बढ़ावा देती रही हैं। कैसे निर्णय लिए जाते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में राष्ट्रीय नदी गंगा घाटी प्राधिकरण के तीन विशेषज्ञ सदस्यों रवि चोपड़ा, राजेन्द्र सिंह व राशिद सिद्दीकी ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि बिना प्राधिकरण की बैठक में चर्चा के या सदस्यों की जानकारी के पनबिजली परियोजनाओं का काम आगे बढ़ाया जा रहा था। उनके इस्तीफे का एक कारण यह भी था कि प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल जो उस समय अनशन पर बैठे थे को नजरअंदाज किया जा रहा था।

2018 की नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान की आख्या के अनुसार, "... बांधों, बैराजों व नहरों के जाल द्वारा नदी से पानी निकाला जाना उतना ही खतरनाक है जितना कि नदी में गंदी नाली या औद्योगिक कचरा डालना, इसलिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए इन गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक है।" भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कन्सॉरशियम की संस्तुति है कि पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकता अनुसार सभी पनबिजली परियोजनाओं के पुर्नअभिकल्प व उसको ध्यान में रखते हुए संचालन की जरूरत है।

अवजल प्रशोधन संयंत्र

औद्योगिक कचरे को साफ करने के लिए बनाए जाने वाले कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेण्ट संयंत्र व शहर की गंदी नालियों के कचरे को साफ करने के लिए अवजल प्रशोधन संयंत्र इतने बने ही नहीं हैं कि सारे कचरे को साफ कर सकें और जो बने भी हैं वे ठीक तरह से काम नहीं करते। 20 अगस्त, 2018 को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि गंगा में शहरों के गंदे नालों का पानी बिना साफ किए न डाला जाए। हरिद्वार में अवजल प्रशोधन संयंत्र की क्षमता 4.5 करोड़ लीटर प्रति दिन गंदा पानी साफ करने की है जबकि करीब इसका दोगुणा गंदा पानी बिना साफ किए रोजाना गंगा में गिराया जा रहा है। स्वामी सानंद, जो उस समय जिंदा थे, ने सवाल खड़ा कियां कि तब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व हरित न्यायालय कहां थे? स्वामी सानंद ने यह भी सवाल खड़ा किया था कि आखिर कितना गंदा पानी निकल रहा है यह कैसे नापा जाता है? सम्भवतः यह तो उस समय का आंकड़ा है जब गंदे पानी का बहाव नापा गया। क्या यह अधिकतम बहाव है? कई बार यह मानते हुए कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50 लीटर गंदा पानी निकलता है जनसंख्या से गुणा कर बहाव का आंकड़ा निकाल लिया जाता है।

वाराणसी शहर से प्रति दिन करीब जो 40 करोड़ लीटर गंदा पानी निकल रहा है उसका सिर्फ एक चैथाई ही साफ करने की क्षमता अवजल प्रशोधन संयंत्रों की है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास स्थित भगवानपुर संयंत्र की क्षमता 80 लाख लीटर है, दीनापुर स्थित संयंत्र की क्षमता 8 करोड़ लीटर है, 15-20 करोड़ लीटर क्षमता का कोनिया संयंत्र 30-40 प्रतिशत क्षमता पर ही काम करता है। इन सब में सबसे ठीक से भगवानपुर संयंत्र ही काम करता है लेकिन उसकी क्षमता ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। दो नए संयंत्र निर्माणीधीन है। जब प्रशोधन संयंत्र खराब हो जाता है अथवा जब बिजली नहीं आ रही होती है यहां से गुजरने वाला गंदा पानी बिना सफाई के ही नदी में मिला दिया जाता है। खराब नियोजन का नमूना बताते हुए स्वामी सानंद ने पूछा था कि वाराणसी में अस्सी नाले के गंदे पानी को गंगा नदी की ऊपरी धारा में 3.5 करोड़ लीटर क्षमता वाले रमणा अवजल प्रशोधन संयंत्र भेजने के पीछे क्या औचित्य है? उन्होंने उस घटना के बारे में भी बताया था जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के पर्यावरण मंत्री सैफुद्दीन सोज़ वाराणसी में राजेन्द्र प्रसाद घाट के अवजल पम्पिंग स्टेशन गए तो बताया गया कि पम्प पिछले डेढ़ महीने से काम नहीं कर रहा था।

अस्सी नदी जो अब नाले जैसी दिखाई पड़ती है और उसे पूरी तरह से ढक कर कुछ लम्बाई तो नाला ही बना दिया गया है, से 8 करोड़ लीटर पूरा व वरूणा नदी से 8-9 करोड़ लीटर गंदा पानी, 75-80 प्रतिशत बिना साफ हुए, गंगा में मिलता है। वरूणा व अस्सी, जिनके नाम पर वाराणसी शहर का नाम पड़ा है, के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने के लिए भी किया जा रहा है। इस कूड़े से भी पानी गंदा हो रहा है।

कानपुर शहर से 60 करोड़ लीटर गंदा पानी प्रति दिन निकलता है जबकि अवजल प्रशोधन संयंत्र की क्षमता सिर्फ 20-25 करोड़ गंदे पानी को साफ करने की है। नितिन गडकरी ने स्वामी सानंद से अपना अनशन खत्म करने का आग्रह करते हुए जो पत्र लिखा था उसमें जिक्र किया है कि कानपुर में 14 करोड़ लीटर गंदे पानी में से 8 करोड़ लीटर गंदा पानी बिंगावन अवजल प्रशोधन संयंत्र को भेजा जा रहा है। स्वामी सानंद ने सवाल खड़ा किया था कि सिर्फ 8 करोड़ लीटर गंदे पानी को ही साफ करने की क्षमता क्यों विकसित की गई? जब शहर का फैलाव हो रहा था तो ज्यादा क्षमता का निर्माण करना चाहिए था। किंतु सरकार का तरीका यह है कि जितना धन उपलब्ध है उतनी क्षमता का ही निर्माण कर लो। उनका कहना था इस काम चलाऊ तरीके से काम नहीं चलेगा।

इसमें भ्रष्टाचार का भी योगदान है। नगर निगम अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो प्रशोधन संयंत्रों के लिए जिम्मेदार होते हैं, के कर्मचारी घूस लेकर कम्पनियों को अपना औद्योगिक कचरा बिना प्रशोधन संयंत्र से गुजारे ही नदी में डालने देते हैं। कम्पनियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा लेती हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नहीं बतातीं। अतिरिक्त उत्पादन से निकला अतिरिक्त कचरा भी घूस देकर नदी में डाल दिया जाता है।

स्वामी सानंद पूछा करते थे कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैए से गंगा कैसे साफ होगी? उन्हें लगता था कि हमारे यहां अवजल प्रशोधन संयंत्र को चलाने के लिए न तो काबिलियत है और न ही प्रतिबद्धता। वे बताते थे कि उत्तर भारत में इस क्षेत्र का कोई विषेशज्ञ भी नहीं हैं।

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेण्ट संयंत्र व अवजल प्रशोधन संयंत्र बनाने से भी फायदा सिर्फ ठेकेदारों को ही हुआ है। गंगा व अन्य नदियों को साफ करने की

नीयत ही नहीं दिखाई पड़ती इसीलिए स्वामी सानंद गंगा संरक्षण के लिए एक कानून बनाने की मांग कर रहे थे।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद या जिसे औपचारिक रूप से गंगा नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण व प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है की कार्यदायी इकाई स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अब तक जो 285 परियोजनाएं शुरू की गई हैं उनमें से ज्यादातर अवजल प्रशोधन संयंत्र के निर्माण अथवा रिवरफ्रंट विकास, जिसका गंगा की स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं, हैं। नमामि गंगे का उद्देश्य गंगा में बहने वाले गंदे पानी को रोकना, किसी अन्य इस्तेमाल में लेना या प्रशोधन करना है ताकि गंगा का प्रदूषण कम हो सके। किंतु गंदे पानी को साफ करने की क्षमता लायक अवजल प्रशोधन संयंत्र निर्मित नहीं हैं यानि जितना गंदा पानी निकल रहा है उसे हम आज साफ ही नहीं कर सकते। सरकार ने नमामि गंगे नामक रु. 20,000 करोड़ की परियोजना शुरू की हुई है जिसका आधे से ज्यादा पैसा रु. 11,176.81 करोड़ 117.87 करोड़ लीटर प्रति दिन अवजल साफ करने की क्षमता वाले प्रशोधन संयंत्र बनाने में खर्च होने वाला है किंतु अवजल या शहरों से निकलने वाला गंदा पानी 290 करोड़ लीटर प्रति दिन है। जब तक हम तय क्षमता तैयार करेंगे तब तक अवजल की मात्रा कई गुणा बढ़ चुकी होगी। अतः हम गंगा में गिरने वाले गंदे पानी को साफ करने की क्षमता के आस-पास भी नहीं हैं। अब कई लोग मानने लगे हें कि गंदे पानी का निस्तारण बिना नदी में डाले कैसे हो यह सोचना पड़ेगा। नदी यदि बहती रहे तो उसके अंदर खुद को साफ करने की क्षमता होती ही है जिस मांग को लेकर प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल ने अनशन किया और अपनी जान दी लेकिन ये बात सरकार को मंजूर नहीं थी क्योंकि वह बांध बनाने पर रोक लगाने को तैयार नहीं है।

स्वामी सानंद का मानना था कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया मारने वाले जीवाणु, मानव शौच को पचाने वाले जीवाणु उपस्थित होने के कारण स्वयं को साफ करने की शक्ति है। किंतु यह जीवाणु गंगा की गाद के साथ बहते हैं। अतः गंगा का यह विशेष गुण तभी संरक्षित रहेगा जब गंगा का अविरल प्रवाह बना रहेगा। वे गंगा में शहरों का गंदा पानी या औद्योगिक कचरे को गंदा या साफ किसी भी तरह से डालने के खिलाफ थे।

असुरक्षित मलीय कॉलिफॉर्म स्तर

पांच राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गंगा घाटी में विभिन्न स्थानों पर मलीय कॉलिफॉर्म का स्तर 2,500 से 2,40,000 प्रति 100 मिलीलीटर है जबकि सुरक्षित स्तर 2,500 प्रति 100 मिलीलीटर माना गया है। देवप्रयाग, जहां भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है वहां मलीय कॉलिफॉर्म का स्तर नहाने के लिए स्वीकार्य स्तर से 100 गुणा ज्यादा है और कानपुर में यह स्वीकार्य स्तर से 1000 गुणा ज्यादा है।

चार धाम परियोजना

उत्तराखण्ड सरकार ने जिम कॉरबेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बीच से एक सड़क निर्माण का फैसला लिया है जिससे वन एवं वन्य जीवों को खतरा है। सरकार ने अनुमानित रु. 12,000 करोड़ की लागत से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी चार धाम सड़क परियोजना पर भी काम शुरू किया है। स्वामी सानंद का मानना था कि यह परियोजना विनाशकारी साबित होगी क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, पहाड़ी ढलान को काटने से अस्थिरता पैदा होगी व सारा मलबा नदी में जाएगा। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था कि उस समय नितिन गडकरी सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी के भी मंत्री थे और जल संसाधन, नदी घाटी विकास व गंगा संरक्षण के भी। प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल की समझ रखने वाला व्यक्ति ही इस विरोधाभास को देख सकता था। इसी तरह वन विभाग की उपलब्धियों में कितनी परियोजनाओं को वन काटने की स्वीकृति मिली गिनाईं जाती हैं। सरकार के विभिन्न विभागों का काम पर्यावरण का संरक्षण है अथवा कुछ निहित स्वार्थों को मुनाफा कमाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की छूट देना? पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा सरकार-निजी कम्पनियों-ठेकेदारों के गठजोड़ से है।

अन्य प्रदूषण के स्रोत

स्वामी सानंद धर्म और संस्कृति के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां जैसे कांवरिया यात्राओं व राम कथाओं के भी खिलाफ थे। उन्होंने उदाहरण दिया था कि लोग कांवरियों को छोले-भटूरे आदि चीजें खिलाकर कूड़ा जिसमें प्लास्टिक भी होता है सड़क पर फेंक देते हैं। मोरारी बापू ने 18 से 26 अगस्त, 2018 के दौरान गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी में राम कथा का आयोजन किया

था। स्थानीय परिस्थितिकी पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली इस राम कथा के औचित्य पर स्वामी सानंद ने सवाल खड़ा किया था।

गंगा सफाई के नाम पर पैसों की बरबादी

स्वामी सानंद का कहना था कि जैसे गंगा एक्शन प्लान में रु. 1,700 करोड़ खर्च हो गए और गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित ही हुई है, वैसे ही नमामि गंगे परियोजना के रु. 23,323 करोड़, जिसमें से रु. 7,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं, भी खर्च हो जाएंगे और गंगा रत्ती भर भी साफ नहीं होगी क्योंकि नमामि गंगे भी गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर ही चल रहा है। लोग भूले नहीं कि जब प्रधान मंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने देश को बताया कि "मां गंगा ने मुझे बुलाया है"।

क्या करने की आवश्यकता है?

हलांकि राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, नागपुर, की आख्या यह कहती है कि गंगा में तमाम कचरा डालने के बावजूद उसके अपने अस्तित्व को बनाए रखने के अपने तरीके हैं किंतु हमें पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने, गंदे पानी के प्रशोधन संयंत्र व शौचालय निर्माण, नदी किनारे दाह संस्कार पर रोक, नदी में कचरा निस्तारण, मूर्ति विसर्जन, माला, फूल, आदि, डालने पर रोक लगाने जैसे बड़े प्रयास करने होंगे ताकि नदी पर हम न्यूनतम बोझ डालें। खासकर निम्नलिखित कदम उठाने पड़ेंगेः

- पानी को कृत्रिम तरीके से रोकने से नदी में नीचे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा प्रभावित होती है। अतः न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करना होगा ताकि पानी की गुणवत्ता बरकरार रहे। पर्यावरणीय प्रवाह में न्यूनतम गाद प्रवाह भी सुनिश्चित करना होगा क्योंकि यह पानी और गाद के अंतर्सम्बंध पर ही बैक्टीरिया मारने वाले जीवाणुओं का अस्तित्व निर्भर है।

- गंगा में नालियों का गंदा पानी डालने की वजह से हरेक गांव, नगर, शहर में गंदे पानी के प्रशोधन संयंत्र लगाने की जरूरत है। प्रशोधित पानी का किसी अन्य काम, जैसे सिंचाई, आदि, के लिए इस्तेमाल किया जाना

चाहिए। प्रोफेसर अग्रवाल इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि नाली का पानी, गंदा या साफ किया हुआ, गंगा में नहीं जाना चाहिए।

- कारखानों से औद्योगिक कचरा जिसमें क्रोमियम व सीसा हो, जिससे रसायनिक प्रदूषण का खतरा है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेण्ट प्लांट से नदी में आना ही नहीं चाहिए। ऐसे कारखानों को नदी के जलग्रहण क्षेत्र से दूर ले जाया जाना चाहिए।

- नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में और सम्भव हो तो उसके बाहर भी सजीव खेती होनी चाहिए।

- अवजल प्रशोधन संयंत्र अस्पतालों, दवा कारखानों व श्रंगार सामग्री के कारखानों से निकलने वाले रसायनों डाइक्लोफिनाक, प्राइमीडोन, टेस्टॉस्टेरॉन व प्रोजेस्टेरॉन को साफ नहीं कर सकते इसलिए इनके निस्तारण का कोई अन्य तरीका निकालना होगा।

- परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर नदी क्षेत्र की स्थिरता हेतु प्रौद्योगिकी के साथ साथ जैविक हस्तक्षेप, जिसमें नदी किनारे रहने वाले लोगों की भागीदारी भी हो, की दृष्टि अपनानी होगी। गोमुख से गंगोत्री तक जो औषधीय पौधे हैं उनका संरक्षण जरूरी है क्योंकि इन औषधियों से गंगा के पानी में विशेष गुण आते हैं।

- गंगा में कर्मकाण्ड से सम्बंधित साम्रगी का विसर्जन रोकना होगा।

- नदी क्षेत्र की वनस्पति का संरक्षण जरूरी है।

- नदी के स्वास्थ्य के लिए दोनों ओर (प्रोफेसर अग्रवाल के सुझाव अनुसार) 1000 मीटर का क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

- मृत मानव या पशु के जले-अधजले शरीर को नदी में डालने से रोकना होगा।

- नदी के बाढ़ क्षेत्र में आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक निर्माण प्रतिबंधित होने चाहिए।

मनोरंजन, व्यवसायिक या पर्यटन के उद्देश्य से निर्मित रिवरफ्रंट नदी पर बोझ हैं और नदी के हित में ये नहीं बनने चाहिए। साबरमती नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर, गरीबों की झुग्गियां तोड, मध्यम वर्ग के मनोरंजन के लिए एक रिवर फ्रंट बनाया गया है जो झूठे विकास का प्रतीक है। अहमदाबाद शहर की करीब साढ़े दस किलोमीटर की लम्बाई में ठहरा हुआ पानी, जो असल में नर्मदा नहर से लाकर डाला गया है, साबरमती में दिखाई पड़ता है। अहमदाबाद शहर के बाद साबरमती का रंग एकदम काला है जबकि साबरमती की सफाई पर भी रु. 200 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अब नमामि गंगे में भी गंगा के किनारे इस तरह के रिवर फ्रंट बनाने की योजना है। रिवर फ्रंट का सफाई से क्या लेना देना है मालूम नहीं?

गंगा और हिन्दुत्व की राजनीति

आश्चर्य की बात है कि हिन्दुत्व के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार ने 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ते समय कहा कि 'मां गंगा ने मुझे बुलाया है' और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम संगठन जो किसी भी धार्मिक मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहते, ईमानदारी से गंगा को बचाने के लिए अनशन करने वाले साधुओं के साथ क्यों नहीं खड़े नजर आते? हिंदू हितैषी बताई जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामी सानंद के अनशन को गम्भीरता से नहीं लिया और मीडिया ने भी, शायद सरकारी दबाव में, उसे कोई महत्व नहीं दिया। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय की तरफ से कोई भी स्वामी सानंद से मिलने नहीं आया। जबकि नरेन्द्र मोदी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद जल संसाधन मंत्रालय के नाम में ही गंगा संरक्षण को शामिल करा दिया, मानों देश में दूसरी नदियां ही न हों। देश में एक बड़े बजट वाला भरपूर प्रचार के साथ 'नमामि गंगे' कार्यक्रम चल रहा है जिसकी उपलब्धि कुछ दिखाई नहीं पड़ती। उल्टे जब से नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री बने हैं और गंगा में काफी पानी बह गया है वे साफ होने के बजाए गंदी ही हुई हैं। इससे केन्द्र सरकार के गंगा सफाई अभियान पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जिस तरह से स्वामी सानंद को नजरअंदाज किया गया उससे सरकार की नीयत ही संदेह के दायरे में आ गई है। 2019 में भाजपा के चुनाव जीतने के बाद जल संसाधन मंत्रालय के नाम से गंगा हटा कर उसे 'जल शक्ति' कर दिया गया है और नरेन्द्र मोदी का गंगा को लेकर बहुप्रचारित दौरा वाराणसी के बजाए इस बार कानपुर का हुआ।

नरेन्द्र मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार में घोषित किया कि जैसे उन्होंने गुजरात में साबरमती नदी को साफ किया था उसी तरह गंगा को साफ करेंगे। अब साबरमती नदी की हकीकत यह है कि अहमदाबाद शहर से ऊपर नदी में एक बूंद पानी नहीं है। शहर से गुजरने वाली 11 किलोमीटर की नदी की लम्बाई में नर्मदा की नहर से लाकर पानी डाला गया है, जो नर्मदा घाटी नदी परियोजना के उद्देश्य में शामिल नहीं था। शहर से नीचे नदी में शहर के गंदे नालों का और औद्योगिक कचरा डाला जाता है। शहर में स्थित कोई भी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेण्ट संयंत्र

ठीक से काम नहीं करते जिसकी वजह से शहर से नीचे नदी का पानी काफी प्रदूषित दिखाई पड़ता है। यदि नरेन्द्र मोदी इसी तरीके से गंगा को साफ करने वाले थे तो सवाल यह खड़ा होता है कि गंगा में किस नदी का पानी डालेंगे क्योंकि साबरमती से भिन्न गंगा अपने इलाके की सबसे बड़ी नदी है। किंतु 2019 के अर्द्ध कुम्भ में प्रयागराज में पानी उपलब्ध कराने के लिए नरेन्द्र मोदी ने यही किया। गंगा के ऊपरी हिस्से से नहरों के द्वारा पानी लाकर प्रयागराज में डाला गया ठीक उसी तरह जैसे नर्मदा का पानी साबरमती में डाला गया। दोनों ही तरीके तात्कालिक हैं लेकिन इस सरकार के काम करने का यही तरीका बन गया है।

15 जनवरी से 4 मार्च, 2019 अर्द्ध कुम्भ की अवधि में कृत्रिम तरीके से गंगा का पानी साफ भी कर दिया गया किंतु यह गंगा की जैव विविधता, यानी जीव-जंतुओं, के बगैर था। अतः यह अस्थाई व्यवस्था ही थी। सवाल यह है कि सरकार राजनीतिक कारणों से प्रचार पाने के लिए जो काम कर सकती है वह स्थाई रूप से गंगा या लोगों के हित में क्यों नहीं कर सकती? वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जब तक गंगा में न्यूनतम प्रवाह नहीं बना रहेगा तब तक गंगा की निर्मलता नहीं रहेगी। इस प्रवाह को बांध बाधित करते हैं।

जब 86 वर्षीय स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद गंगा संरक्षण हेतु एक अधिनियम बनाने की मांग को लेकर 22 जून 2018 से हरिद्वार में अनशन पर बैठे तो केन्द सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है कि स्वामी सानंद अपना अनशन समाप्त कर सकें। स्वामी सानंद सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। सन्यास लेने से पहले वे प्रोफेसर गुरु दास अग्रवाल के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में अध्यापन व शोध कार्य कर चुके थे व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव भी रह चुके थे। प्रदूषण नियंत्रण के कई महत्वपूर्ण मानक उन्हीं के तय किए हुए हैं।

क्या यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भारतीय संस्कृति है कि जैसे नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर अप्रासंगिक बना दिया है उसी तरह स्वामी सानंद जैसे विद्वान साधु को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? गाय बचाने की चिंता करने वाली इस सरकार के लिए क्या एक साधु की जान बचाना प्राथमिकता नहीं है?

स्वामी सानंद को जिस तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया था उनको जानने वाले स्तब्ध रह गए थे। यदि इस सरकार में जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो स्वामी सानंद से वार्ता कर उनकी जान बचाई जा सकती थी व गंगा ही नहीं देश के जितनी नदियां, तालाब, कुएं, आदि जल के स्रोत हैं उनके संरक्षण के लिए प्रोफेसर अग्रवाल की राय वाला कानून बन सकता था। आखिर स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने स्वामी सानंद की मौत के बाद आमरण अनशन पर बैठै ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद से 4 मई, 2019 को उनके अनशन के 194वें दिन मिलकर उनकी आंशिक मांगों को मान कर अनशन समाप्त कराया क्योंकि शायद सरकार यह नहीं चाहती थी कि 19 मई को नरेन्द्र मोदी के वाराणसी में होने वाले मतदान के पहले साल भर के अंदर गंगा को लेकर दूसरे साधु की मौत हो जाए।

स्वामी सानंद ने प्रधान मंत्री को अनशन पर बैठने से पहले दो बार पत्र लिखकर चेतावनी दे दी थी और फिर अनशन के दौरान भी दो बार पत्र लिखे (देखें परिशिष्ट 5)। लेकिन प्रधान मंत्री जिन्हें देश की जनता से संवाद करने के लिए 'मन की बात' कार्यक्रम का नियमित प्रसारण करने की जरूरत महसूस होती है ने स्वामी सानंद की मौत हो जाने पर ही ट्वीट भेजकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने की औपचारिकता पूरी की। इससे पहले भी देखा गया है कि प्रधान मंत्री दलितों, मुसलमानों के साथ हिंसा या महिलाओं के यौन शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मौन धारण कर लेते हैं।

चाहे वह ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में थोड़ा अधिक मात्रा में पोटैशियम से पड़ा दिल का दौरा हो अथवा 112 दिनों तक गंगा के संरक्षण हेतु कानून बनाने की मांग को लेकर उनके आमरण अनशन को नजरअंदाज करने का परिणाम प्रोफेसर गुरु दास अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की मौत के लिए केन्द सरकार और खासतौर पर सीधे प्रधान मंत्री जिम्मेदार हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने प्रधान मंत्री को लिखे अपने दूसरे व चौथे पत्र (देखें परिशिष्ट 5) में लिख दिया था कि यदि आमरण अनशन करते हुए उनकी जान चली जाए तो वे उसे हत्या मानेंगे व उसके लिए प्रधान मंत्री को जिम्मेदार मानेंगे। मातृ सदन, जहां स्वामी सानंद का अनशन चला, के अन्य साधु सरकार पर सीधे स्वामी सांनद को जहर देकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले 2011 में एक युवा सन्यासी स्वामी निगमानंद को 115 दिनों तक अनशन करने के बाद

उत्तराखण्ड की उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्हें अस्पताल में जहर देकर मारने के आरोप में न्यायालय में वाद लम्बित है।

वैसे तो सरकारें यह खेल खेलती हैं कि जब राजनीतिक जरूरत होती है तो किसी पीड़ित को ही आरोपी बना देती हैं लेकिन भाजपा की सरकार में यह प्रवृत्ति बढ़ गई है। सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि स्वामी सानंद तो अनशन खत्म करने के पक्ष में थे किंतु कोई व्यक्ति उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। जो लाग स्वामी सानंद को अच्छी तरह से जानते थे उन्हें उनके दृढ़ इरादे के बारे में मालूम है। उनके लम्बे अनशन के दौरान उनके जो हितैषी उनसे मिलने आते थे उनसे वे कहते थे, "मेरी चिंता मत करो, गंगा की चिंता करो"। उन्होंने गंगा दशहरे के दिन अपना अनशन शुरू किया, नवरात्रि के पहले दिन पानी छोड़ दिया और उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि विजयदशमी से पहले उनका प्रणांत हो जाएगा। एक अच्छे वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने अपनी मृत्यु को भी योजनाबद्ध तरीके से गले लगाया। असल में सरकार यह आरोप लगा कर कि स्वामी सांनद किसी के दबाव में अनशन कर रहे थे लोगों का ध्यान उनकी मुख्य मांगों की ओर से हटाना चाहती है। उनकी मांगें थीं - गंगा के संरक्षण हेतु एक कानून बनाना, गंगा पर सभी प्रस्तावित या निर्माणाधीन बांधों को तत्काल रोकना, गंगा क्षेत्र में वन कटान व खनन पर पूर्ण रोक लगाना व 'गंगा भक्त परिषद' का गठन जो गंगा के हित में काम करेगी। किंतु उस सरकार के लिए जिसके प्रधान मंत्री ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का नामंकन करते समय देश को बताया कि गंगा ने उन्हें बुलाया है, जिसने जल संसाधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके उसमें 'गंगा संरक्षण' जुड़वाया, जिसने 2019 तक गंगा को साफ करने का वायदा किया था, हलांकि अब यह समय 2020 तक बढ़ा दिया गया है और जिसकी सरकार ने गंगा संरक्षण हेतु पारित रु. 23,323 करोड़ बजट में से 23 प्रतिशत खर्च भी कर दिया हो, यह कबूल करना मुश्किल हो रहा था कि उसके कार्यकाल के दौरान गंगा का स्वास्थ्य ठीक होने के बजाए और गिर गया है जिसकी वजह से प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कई आश्रम चाहते थे कि स्वामी सानंद उनके यहां आकर अपना आमरण अनशन करें ताकि उन्हें इसका श्रेय मिल सके। हकीकत तो यह है कि जब स्वामी सानंद ने कई जगह अपने आमरण अनशन का प्रस्ताव भेजा और बैठने की अनुमति मांगी तो मातृ सदन छोड़कर और कोई इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ। मातृ सदन आने से पहले स्वामी सानंद उत्तर

प्रदेश के सोनभद्र जिले के वनवासी सेवा आश्रम में समय बिता रहे थे। भाजपा की सरकार जिस बदले की भावना से काम करती है कोई भी उसे नाराज नहीं करना चाहता था। मातृ सदन का तो सरकार के खिलाफ मोर्चा लिए रहने का इतिहास है जो उनके तिरसठ अनशनों की कहानी से ही पता चलता है। वे सरकार से बिल्कुल नहीं डरते, दुर्भाग्य से देश में ऐसी जगहें अब कम ही बची हैं। अब तो जगह जगह प्रशासन किसी सामाजिक - राजनीतिक मुद्दे पर कमरे के अंदर होने वाली बैठकों के लिए भी अनुमति लेने की शर्त लगाता है और यदि बैठक कश्मीर या नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर हो तो अनुमति नहीं दी जाती है। किसी शैक्षणिक संस्थान में यदि बैठक में भाजपा-रा.स्व.से. की नीतियों की आलोचना होने वाली हो तो भी बैठक की अनुमति नहीं मिलती। अयोध्या पर सर्वोच्च न्यायालय फैसले के आने से काफी पहले जब लेखक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के सेवा निवृत प्रोफेसर राम पुनियानी 17 अगस्त, 2019 को राम जानकी मंदिर में आयोजित होने वाले दो दिवसीय साम्प्रदायिक सद्भावना पर शिविर में भाग लेने जा रहे थे तो प्रशासन ने हमारे अयोध्या प्रवेश पर ही रोक लगा दी। 19 अगस्त को वहां पे्रस के साथियों से नहीं मिलने दिया गया और 15 जनवरी, 2020 अमरीका से आई सुनीता विश्वनाथ, जो वहां 'मानवाधिकार के लिए हिन्दू' नामक संगठन चलाती हैं, के साथ पुनः अयोध्या नहीं जाने दिया गया।

जबकि देश व दुनिया केरल के शबरीमाला मंदिर में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के अधिकार को लागू कराने के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने भी अपना समर्थन दिया है, देखकर स्तब्ध है, स्वामी सानंद के गंगा को बचाने के प्रयास पर सभी हिंदुत्ववादी संगठनों, जो आमतौर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के दोहन का कोई भी मौका चूकते नहीं और हिंसा की विभिन्न हदों तक जा सकते हैं, द्वारा मौन साध लेना इन हिन्दुत्ववादी संगठनों की असलियत उजागर करता है। जाहिर है कि उनके लिए किसी भी धार्मिक - सांस्कृतिक - राष्ट्रवादी मुद्दे से बड़ी ध्रुवीकरण की राजनीति है। रा.स्वं.सं. के पास बहुत से हथियार हैं। स्वामी सानंद के लिए उन्होंने सामूहिक बहिष्कार के हथियार का इस्तेमाल किया और यह सुनिश्चित किया कि अखबारों या चैनलों पर उनका अनशन कोई मुद्दा न बन पाए। यह किसी भीड़ द्वारा की गई हिंसा की ही तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंसा की जगह मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। जरा तुलना कीजिए कुछ वर्ष पहले अण्णा हजारे के छोटे-छोटे अनशनों पर कैसे देश पागल हो रहा था, जिसे तूल पकड़ाने में

रा.स्वं.सं. भी पीछे से लगा हुआ था, और स्वामी सानंद के इतने लम्बे अनशन पर कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई? क्या स्वामी सानंद का मुद्दा भ्रष्टाचार से कम महत्वपूर्ण था? भ्रष्टाचार से निजात पाने से, विकास नीतियों से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को दुरुस्त करना ज्यादा कठिन काम है। शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का भाजपा-रा.स्वं.सं. द्वारा विरोध करना शर्मनाक है और उतनी ही शर्मनाक रही स्वामी सानंद के गंगा को बचाने के प्रयास के प्रति उनकी संवेदनहीनता। मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के अपने भाषण में सवाल खड़ा किया कि हमेशा हिन्दू समाज का ही उत्पीड़न क्यों होता है लेकिन भाजपा से सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि एक अध्यादेश लाकर मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक को गैर कानूनी बनाया गया, जिसमें पति को जेल हो सकती है, किंतु हिन्दू महिलाओं के शबरीमाला मंदिर में प्रवेश के अधिकार का वे क्यों विरोध करते हैं?

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल न सिर्फ आधुनिक दृष्टि से विज्ञान के विशेषज्ञ थे बल्कि पारम्परिक दृष्टि से भी ज्ञानी थी। उससे ऊपर वह एक संत भी थे, सच्चे अर्थों में संत, उस किस्म के नहीं जो अपने संकीर्ण नजरिए से समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा कर टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। बल्कि स्वामी सानंद धर्म के नाम पर दिखावे के सख्त विरोधी थे। ऐसे महान संत के निधन का सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मातृ सदन से जुड़े अन्य संतों ने स्वामी सानंद के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अनशन के क्रम को जारी रखने का निर्णय लिया है।

जब सैनिक शहीद होते हैं तो देश भर के लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। लोग सड़कों पर निकल नारे लगाते हैं, शहीद सैनिकों के परिवारों की आर्थिक मदद करते हैं और उनकी मूर्तियां लगवाते हैं। सैनिकों के साथ क्या होगा इस पर तो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। किंतु साधुओं की जान तो सरकार बचा सकती थी। क्यों नहीं नरेन्द्र मोदी की सरकार कर रही है साधुओं से बात? लोगों में भी साधुओं की उपर्युक्त बलिदानी परम्परा के प्रति कोई चिंता क्यों नहीं? खासकर ऐसे समय में जब देशभक्ति को धार्मिक भावना से भी जोड़ा जा रहा है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर और दूसरी तरफ केरल के शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकने के लिए भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जिसमें देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस शामिल हैं, किंतु गंगा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले साधुओं के प्रति हमारी कोई सहानुभूति दिखाई नहीं पड़ती।

जैसे जैसे गंगा के लिए बलिदान होने वाले संतों की संख्या बढ़ती जाएगी और अन्य संत इसी राह पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होते जाएंगे हमारे देश और उसकी सरकार के लिए इसको नजरअंदाज करना मुश्किल होता जाएगा। भाजपा यदि अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे अथवा केरल में शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को रोकने के मुद्दे को भुनाने के चक्कर में गंगा के मुद्दे पर ध्यान नहीं देगी तो अपना ही नुकसान करेगी। यदि भाजपा की सरकार अपने किए वायदे के अनुसार गंगा को साफ करती तो भारत में रहने वाले 10 में से 4 व्यक्तियों को सीधा लाभ पहुंचता। लेकिन वह राजनीतिक लाभ के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करती है जिसके बनने पर किसी का जीवन निर्भर नहीं है और शबरीमाला में वह सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में जाकर बच्चे जनने की उम्र वाली महिलाओं के मंदिर प्रवेश का विरोध कर रही है। अच्छा होता यदि वह प्रतिगामी भूमिका लेने के बजाए जनहित वाला काम करती।

वाराणसी में मल्लाह या निशाद समाज एक निजी कम्पनी द्वारा गंगा में आधुनिक मशीनीकृत क्रूज़ चलाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां तीन हजार नावों व उनके जुड़े चालीस हजार लोगों की आजीविका के लिए अचानक संकट खड़ा हो गया। प्रत्येक वर्ष नावों का जो नगर निगम से लाइसेंस नवीनीकृत होता था वह अब नहीं हो रहा और क्रूज़ को भारत सरकार के पर्यटन विभाग से ही अनुमति मिल गई है। निशाद समाज के नेता विनोद साहनी मई 2018 से झूठे मुकदमे में जेल में हैं क्यों कि वे मछुआरों या मल्लाहों के पारम्परिक रूप से होने वाले शोषण का विरोध कर रहे थे व आधुनिक परियोजनाओं का भी। निशाद समाज वाराणसी शहर से उस पार नदी के किनारे खेती करने के अपने पारम्परिक अधिकार के संरक्षण की भी मांग कर रहा है जो व्यवसायिक निहित स्वार्थी तत्वों की वजह से खतरे में पड़ गया है। इसी तरह गंगा के किनारे अन्य जगहों पर भी रहने वाले पारम्परिक समुदायों की आजीविका भी आधुनिक विकास की योजनाओं के कारण खतरे में पड़ गई है।

रा.स्वं.सं.-भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उसे धर्म और पूंजीवादी विकास में चुनना हो तो वह किसे चुनेंगे। गंगा के साफ होने से देश के करीब 43 प्रतिशत लोगों को तो सीधा लाभ मिल सकता था जो गंगा या गंगा की सहायक नदियों के किनारे रहते हैं जबकि अयोध्या में राम मंदिर से किसको लाभ होगा मालूम नहीं, फिर भी संघ परिवार गंगा और उसके लिए अनशनरत साधुओं के प्रति

संवेदनहीन रहते हैं। यह दिखाता है कि हिन्दुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले संगठनों का धर्म या धार्मिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं जब तक वह उनके लिए मतों का ध्रुवीकरण न कर सके।

79 वर्षीय स्वामी अग्निवेश पर झारखण्ड में भारतीय जनता युवा मोर्चा व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने हमला किया जिसमें लात-घूसों से पिटाई के साथ गालियां भी दी गयीं। स्वामी अग्निवेश आर्य समाज को मानने वाले हैं जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने चार वेदों से लिए गए सिद्धांतों के आधार पर की थी। आर्य समाज के मूल दस सिद्धांतों में सत्य को स्वीकार करना व असत्य को अस्वीकार करना, सही व गलत पर विचार कर सभी कर्मों को धर्म के आधार पर तय करना, मनुष्य का उद्देश्य सभी की भौतिक, अध्यात्मिक व सामाजिक भलाई होना, मनुष्य का व्यवहार प्रेम व न्याय पर आधारित होना व ज्ञान को बढ़ावा देना और अज्ञान को दूर करना बताए गए हैं।

स्वामी अग्निवेश ने अपना जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष में लगाया है। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने, सती प्रथा के खिलाफ दिल्ली से देवराला 18 दिनों की पदयात्रा, दलितों को लेकर उदयपुर के नाथद्वारा मंदिर में प्रवेश हेतु आंदोलन, भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाने, शराबबंदी के लिए आंदोलन करने से लेकर सर्व धर्म सम्भाव व विश्व संसद जैसे विचारों को लेकर सृजनात्मक योगदान भी दिया है। स्वामी अग्निवेश के सारे काम न सिर्फ हिन्दू धर्म की सुधारवादी धारा आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुरूप हैं बल्कि मानवता का संदेश लिए हुए भी हैं। एक आदर्श हिन्दू साधू को कैसा होना चाहिए इसका स्वामी अग्निवेश अच्छा उदाहरण है। उनके कामों के लिए सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी स्वामी जी को सम्मान मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके काम को मान्यता दी है। यानी उनकी वजह से हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी ही है खासकर इसलिए भी क्योंकि उनके काम करने का तरीका गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित रहा है। उन्होंने वैदिक समाजवाद नामक पुस्तक भी लिखी है।

स्वामी सानंद व अग्निवेश दोनों भगवा वस्त्र धारण करते थे/हैं, सत्य के लिए कोई भी खतरा उठा सकते थे/हैं लेकिन अहिंसा के मार्ग के लिए प्रतिबद्ध थे/हैं, ब्रह्मचारी थे/हैं, शाकाहारी थे/हैं व विद्वान थे/हैं। दोनों ने सुविधाभोगी जीवन का त्याग किया। प्रो. जी.डी. अग्रवाल ने नौकरी छोड़ी तो स्वामी अग्निवेश ने विधायक व मंत्री पद छोड़ दिया। दोनों की हिन्दू धर्म में पूरी निष्ठा थी/है और उसी

से अपने जीवन व कर्म की प्रेरणा प्राप्त करते थे/हैं। स्वामी निगमानंद ने तो कम उम्र में अपना बलिदान ही दे दिया। हिन्दू धर्म के प्रति उनकी आस्था पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता।

फिर सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मानने वाले हिन्दुत्वादियों को ये क्यों नहीं पसंद आते? बल्कि तथाकथित हिन्दुत्वादी इन हिन्दू साधुओं से इतना क्यों घबराते हैं कि उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं या इनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करते हैं? स्वामी निगमानंद की तो व्यवसायिक-आपराधिक तत्वों के इशारे पर हत्या ही करा दी गई।

इसकी वजह यह है कि स्वामी निगमानंद, सानंद व अग्निवेश हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले साधू रहे हैं। ये सिर्फ हिन्दू होने का ढोंग कर अपने राजनीतिक या व्यवसायिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं रहे हैं।

स्वामी सानंद व अग्निवेश जैसे साधू मुसलमानों से नफरत नहीं करते, न उनसे घबराते थे/हैं और न ही ऐसे उत्तेजनापूर्ण भाषण देते थे/हैं जिससे कोई भीड़ हिंसा के लिए प्रेरित हो जाए। ये समाज में शांति, सद्भाव चाहने वाले साधू थे/हैं न कि तनाव, द्वेष व भेदभाव को बढ़ावा देने वाले। ये इंसान के जाति, धर्म से उसकी पहचान नहीं करते बल्कि उनके लिए मानवता सर्वोपरि थी/है। अपने विरोधी से भी इनका व्यवहार सौम्य होता था/है।

गौर से देखा जाए तो हिन्दुत्ववादी संगठनों का, जो अपने आप को हिन्दू धर्म के ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं का हिन्दू धर्म के सिद्धांतों या भावना से क्या लेना देना है? बल्कि कई मायनों में, जैसे हिंसा को गौरवान्वित कर, तो ये हिन्दू धर्म की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।

व्यापक हिन्दू समाज को तय करना है कि स्वामी निगमानंद, सानंद व अग्निवेश जैसे निष्ठावान, कर्मयोगी, आदर्श के प्रतीक साधुओं को अपने धर्म के प्रतिनिधि मानेंगे अथवा गौ रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेकर मुसलमानों को पीट पीट कर मार डलने वाले लोगों, उनको संरक्षण देने वाले हिन्दुत्ववादी संगठनों और रा.स्वं.सं. या भाजपा के शीर्ष नेताओं को?

अब हिंदुत्व की राजनीति करने वाले व हिन्दू धर्म के सच्चे अनुयायियों के बीच का अंतर भी साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ हिन्दुत्व की विचारधारा मानने वालों को दूसरों की जान लेने में, जैसे साम्प्रदायिक दंगों में, गौ रक्षा के नाम पर भीड़ तंत्र द्वारा हिंसा में, हिन्दुत्व से अलग विचार मानने वाले बुद्धिजीवियों की दिन-दहाड़े गोली मार कर, कोई परहेज नहीं जबकि हिन्दू धर्म के सच्चे मानने वाले अपने मुद्दे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। हिन्दू धर्म के सच्चे मानने वाले नदी के अबाधित बहने के पक्ष में हैं तो हिंसा का समर्थन करने वाले नदी को रोकने के, चाहे बांध बना कर या पाकिस्तान पानी न भेजने की बात कह कर, बिना यह समझे कि उनकी राजनीति व नदी को रोकने का क्या अंजाम होगा। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हिन्दुत्व की राजनीति से जुड़े लोग साधुओं द्वारा गंगा के संरक्षण हेतु किए जाने वाले अनशन का साथ क्यों नहीं देते।

किंतु यह बात भाजपा और नरेन्द्र मोदी के लिए खतरा भी बन सकती है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि

“मुनि तापस जिन्ह तें दुःखु लहहीं। ते नरेश बिनु पावक दहहीं।।”

यानि जहां साधु दुखी रहते हैं वहां का नरेश बिना आग के भी जलता है।

गंगा के लिए साधुओं की बलिदानी परम्परा

हरिद्वार का मातृ सदन कोई साधारण आश्रम नहीं और आश्रम के प्रमुख स्वामी शिवानंद व उनके शिष्य निगमानंद, दयानंद, यजनानंद व पूर्णानंद कोई साधारण साधु नहीं जो पिछले दो दशकों के दौरान गंगा में अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर लम्बे अनशन कर चुके हैं। अभी तक कुल तिरसठ अनशन हो चुके हैं और तीन साधुओं की जान जा चुकी है। ये लगभग रोजाना का संघर्ष है जिसमें माफिया, प्रशासन, पुलिस, राजनेताओं, न्यायालय व मीडिया, जिनका गठजोड़ आश्रम के खिलाफ है, का मुकाबला करना पड़ता है। यह एक प्रेरणादायी कथा है कि कैसे एक साधुओं के समूह ने भ्रष्ट व माफिया से संघर्ष करने को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। ये इसे अपना धार्मिक कर्तव्य भी मानते हैं। ये इसे अपने अधिकार की लड़ाई के रूप में भी देखते हैं कि ये एक शांत वातावरण में बिना शोर व प्रदूषण के अपने कर्मकाण्ड कर सकें व पवित्र गंगा में स्नान कर सकें। उनका प्रतिबद्धता इतनी गहरी है कि उन्हें उनके रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता। उनके अस्त्र है सिर्फ सत्य व ब्रह्मचर्य।

उत्तराखण्ड आने से पूर्व स्वामी शिवानंद, जो मूल रूप से मिथिला, बिहार के निवासी हैं, ने कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में एम.ए. की उपाधि हासिल की और वहीं कोलकाता के एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन किया। 1997 में मातृ सदन के स्थापित होते ही उन्हें क्रशर व ट्रक दिखाई पड़े जो गंगा से बालू व पत्थर का खनन कर ले जा रहे थे। उनको यह भी समझ आया कि ये बालू व पत्थर नदी व नदी में पलने वाली मछलियों, कछुओं, आदि के लिए जरूरी हैं। उन्होंने 1998 में जब यह मुद्दा उठाया तो स्थानीय मीडिया ने उन्हें ढोंगी करार दिया। माफिया ने शुरू में ही उन्हें रु. 10,000 प्रति ट्रक व रु. 35,000 प्रति क्रशर देने की पेशकश की जिससे इस गतिविधि में भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाया जा सकता है। शासन-प्रशासन की लिप्तता भी स्पष्ट थी। सबसे आश्चर्यजनक भूमिका न्यायालयों की थी जो सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे थे। तिरसठ अनशनों की कहानी सुनने के बाद सवाल उठता है कि आखिर उसी

सत्ता से कितनी बार खनन पर रोक लगाने के लिए कहना पड़ेगा? ये कहानी लगातार हुए शासन, प्रशासन व न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की कहानी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मातृ सदन अभी तक निराश नहीं हुआ है और सतत संघर्ष करता चला आ रहा है। एक बार स्वामी शिवानंद को जेल में जहर भी दिया गया। उनके नींबू पानी में आर्सनिक मिला दिया गया। यह पता तो तब चला जब उनके एक शिष्य ने उनके नाखून व बाल का नमूना लेकर फ्रांस जाकर जांच कराई। उनको रास्ते से हटाने की एक और कोशिश हुई जिसमें माफिया चीनू पण्डित ने रुपए 20 करोड़ की व्यवस्था की थी। इसमें से रु. 8 करोड़ मारने वाले को मिलने थे, रु. 2 करोड़ मीडिया को और रु. 10 करोड़ पुलिस-प्रशासन में बंटना था। यह सूचना स्थानीय खुफिया इकाई ने जिलाधिकारी सेंथिल पंडियन व पुलिस अधीक्षक सदानंद दुबे को दी थी जिनकी वजह से इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। स्वामी शिवानंद 108 एकड़ सरकारी जमीन जिसपर अवैध कब्जा हो गया था अपने प्रयासों से सरकार को लौटवायी, हलांकि यह मामला अभी भी न्यायालय में है। खनन माफिया की मदद करने के लिए कुम्भ क्षेत्र को छोटा कर दिया गया था। मातृ सदन के अनशन से पुरानी स्थिति बहाल हुई।

स्वामी निगमानंद सरस्वती भी बिहार के रहने वाले थे व कम उम्र में ही अपने आस-पास होने वाले भ्रष्टाचार को सहन न कर पाने के कारण घर छोड़ साधु बन गए और फिर स्वामी शिवानंद के शिष्य बन गए। सम्भवतः वे स्वामी शिवानंद के सबसे मेधावी शिष्य थे जो अपने जिंदा रहने तक मातृ सदन की ओर से खनन विरोधी कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। जब एक बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 13 दिसम्बर, 2010 को उन्हें स्वामी शिवानंद के प्रतिनिधि के रूप में बोलने के लिए बुलाया गया और उन्होंने स्पष्ट तरीके से अवैध खनन के लिए माफिया-प्रशासन-राजनेताओं के गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया तो उनके हाथ से माइक छीन लिया गया और आगे उन्हें नहीं बोलने दिया गया। अपने आखिरी अनशन में उन्होंने स्वामी यजनानंद का अनशन खत्म करा अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। उनके अनशन के 68वें दिन, 27 अप्रैल, 2011 को स्थानीय प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल में भरती करवाया। उन्हें 28 अप्रैल को नसों के माध्यम से गुलुकोस व नाक में पाइप के रास्ते तरल खाद्य पदार्थ दिए गए जिससे वे स्वस्थ्य दिखने लगे थे। 30 अप्रैल को एक अनजान महिला नर्स की पोशाक पहन कर आई और उसने स्वामी निगमानंद को एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी और 13 जून को उन्होंने

अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस तरह न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके संघर्ष का अंत हो गया।

13 जून, 2011 को देहरादून में जब 35 वर्षीय स्वामी निगमानंद ने गंगा में अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर अपने अनशन के 115 वें दिन हिमालयन अस्पताल में दम तोड़ा तो उस समय उत्तराखण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ थी। शक यह है कि संघ परिवार के नजदीक माने जाने वाले एक खनन माफिया ज्ञानेष अग्रवाल की मिलीभगत से स्वामी निगमानंद को हरिद्वार जिला अस्पताल में अनशन के दौरान ऑरगैनोफॉस्फेट जहर का इंजेक्शन लगवा दिया गया। अन्यथा इतने लम्बे अनशन के दौरान सरकार की ओर से उनसे कोई वार्ता के लिए क्यों नहीं आया? स्वामी शिवानंद का मानना है कि यह एक दैवीय हस्तक्षेप था कि स्वामी निगमानंद को हरिद्वार से देहरादून के उसी अस्पताल में ले जाया गया जहां बाबा रामदेव को, जब रामलीला मैदान पर अपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर पुलिस दमन के बाद भाग कर आए, भी भर्ती कराया गया। इस अस्पताल में भी स्वामी निगमानंद को लगातार जहर दिया गया। 13 जून को जब उनका देहांत हुआ तो बाबा रामदेव के कारण वहां मौजूद राष्ट्रीय संचार माध्यमों को उनकी मौत का पता चला। उत्तराखण्ड की मीडिया में जो कोई खबर नहीं बन रही थी वह दुनिया को मालूम हो गया कि एक नवजवान साधु ने खनन माफिया के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में माफिया के प्रभाव में अंतिम आख्या लगा दी है। मातृ सदन ने इसे चुनौती दी है और मामला न्यायालय में लम्बित है। 16 जून को मातृ सदन में उनका दाह संस्कार किया गया। स्थानीय संचार माध्यमों ने राष्ट्रीय स्तर की खबर बनने के बाद स्वामी निगमानंद को गंगापुत्र की उपाधि दी।

मातृ सदन के साधुओं की मेधा व पवित्रता का पता स्वामी निगमानंद के उस पत्र से चलता है जो स्वामी निगमानंद ने सर्वोच्च न्यायालय व उत्तराखण्ड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीशों को लिखा था (देखें परिशिष्ट 6)।

स्वामी गोकुलानंद, जिन्होंने स्वामी निगमानंद के साथ 4 से 16 मार्च, 1998, में मातृ सदन की स्थापना के एक वर्ष के बाद ही पहला अनशन किया था, की 2003 में बामनेश्वर मंदिर, नैनीताल में जहां वे अज्ञातवास में रह रहे थे, के निकट खनन माफिया ने हत्या करवा दी।

बाबा नागनाथ वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उन्हीं मांगों को लेकर जो स्वामी सानंद की थीं, कि गंगा को अविरल व निर्मल बहने दिया जाए, अनशन करते हुए 2014 में शहीद हो गए।

86 वर्षीय स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जो पहले गुरु दास अग्रवाल के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर व केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य-सचिव रह चुके थे, ने 22 जून, 2018 से गंगा के संरक्षण हेतु कानून बनाने की मांग को लेकर हरिद्वार में अनशन किया। 112 दिनों तक अनशन करने के बाद 11 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में उनका निधन हो गया। स्वामी सानंद ने 13 से 30 जून 2008, 14 जनवरी से 20 फरवरी, 2009 व 20 जुलाई से 23 अगस्त 2010 के दौरान तीन पनबिजली परियोजनाओं भैरों घाटी, लोहारी नागपाला व पाला मनेरी को रूकवाने के लिए अनशन किए और रूकवा भी दिया जबकि लोहारी नागपाला पर काफी काम हो चुका था और भागीरथी नदी के शुरू के 135 किलोमीटर को परिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करवाया। उनका चैथा अनशन 14 जनवरी से 16 अप्रैल 2012 में कुछ चरणों में हुआ। पहले इलाहाबाद में फल पर, फिर हरिद्वार में नींबू पानी पर और अंत में वाराणसी में बिना पानी के जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में भर्ती कराया गया। 2013 में 13 जून से 13 अक्टूबर तक उन्होंने अनशन किया जिसमें 15 दिन जेल में भी गुजारने पड़े। उस समय गंगा महासभा के अध्यक्ष जितेन्द्रानंद उनके पास भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह का इस आशय का पत्र लेकर आए कि यदि अगले चुनाव में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी तो स्वामी सानंद की गंगा सम्बंधित सारी मांगें मान ली जाएंगी। किंतु मोदी सरकार ने स्वामी सानंद को काफी निराश किया। उन्हें लगता था कि मनमोहन सिंह- जयराम रमेश- जयंती नटराजन नरेन्द्र मोदी- नितिन गडकरी- उमा भारती की तुलना में गंगा के प्रति ज्यादा संवेदनशील थे। वे जयराम रमेश की इस बात के लिए तारीफ करते थे कि उन्होंने अमरीका के पैसे से विदेशी विशेषज्ञों द्वारा गंगा मास्टर प्लान बनाने की पेशकश को रद्द करवाया। प्रणव मुखर्जी के सुझाव पर यह काम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समूह को दिया गया।

स्वामी सानंद ने जो नितिन गडकरी को 4 जुलाई को व नरेन्द्र मोदी को 24 फरवरी, 13 जून, 23 जून, 5 अगस्त व 30 सितम्बर, 2018 को पत्र लिखे उनके कोई जवाब नहीं आए है। वे सरकार से व नागरिक समाज से, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समूह शामिल है, से भी निराश थे। अतः उन्होंने अपना

जीवन दांव पर लगा दिया है। हमने इस संत को अपने प्राण त्यागने दिया। केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय की तरफ से कोई भी स्वामी सानंद से मिलने नहीं आया। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने एक माह बाद भी अनशन जारी रखा। उच्च न्यायालय के आदेश के वे दोबारा मातृ सदन पहुंचे जहां से दूसरी बार उन्हें पुनः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। इस बार उनकी यहां मौत हो गई। केन्द्र सरकार की ओर से उनका अनशन समाप्त कराने की कोई कोशिश नहीं हुई जिससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने जानबूझ कर स्वामी सानंद के अनशन को नजरअंदाज करने का फैसला लिया हुआ था।

जैन मुनि 40 वर्षीय संत गोपाल दास जो पहले हरियाणा में गोचारन की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने हेतु अनशन कर चुके हैं भी स्वामी सानंद की प्रेरणा से गंगा को बचाने हेतु 24 जून, 2018 से बद्री धाम मंदिर, बद्रीनाथ में अनशन पर बैठ गए। स्वामी सानंद के निधन पर वे मातृ सदन हरिद्वार चले आए। उन्हें उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़ व दिल्ली के कई अस्पतालों में घुमाते हुए अखिल भरतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया । 4 दिसम्बर, 2018 को उन्हें दिल्ली से देहरादून लाकर जिलाधिकारी के घर के सामने छोड़ दिया गया जहां वे अपने से एक अस्पताल में भर्ती हुए किंतु संत गोपाल दास 6 दिसम्बर से देहरादून से गायब हो गए। 133 दिनों के बाद अपनी जान को खतरा बताते हुए वे रहस्यमयी ढंग से एक साक्षात्कार में प्रकट हुए किंतु उनकी वर्तमान स्थिति मालूम नहीं है।

26 वर्षीय ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद मातृ सदन, हरिद्वार, जिसे स्वामी सानंद ने अपनी अनशन स्थली के रूप में चुना था, में स्वामी सानंद की गंगा तपस्या को जारी रखने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर, 2018 से अनशन पर बैठे। जब स्वामी सानंद जीवित थे तो मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल जो उनसे मिलने आया हुआ था को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यदि स्वामी सानंद को कुछ हो गया तो वे व उनके शिष्य स्वामी सानंद के अपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु गंगा तपस्या जारी रखेंगे। स्वामी सानंद का मातृ सदन की तरफ से गंगा को बचाने हेतु अभी तक का 58वां अनशन था और आत्मबोधानंद का 59वां है। आत्मबोधानंद केरल में कम्प्यूटर साइंस में स्नातक की पढ़ाई छोड़ मात्र 21 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बनने के उद्देश्य से केरल से

सीधे हरिद्वार पहुंच गए थे। अपने पास जो कुछ भी था वह गंगा में अर्पण कर सिर्फ शरीर पर जो कपड़े थे उसी में बद्रीनाथ की तरफ चल पड़े। रास्ते में श्रीनगर में नदी के ऊपर बने बांध को देख थोड़ा चौंके भी। तमाम साधुओं से मिलने व आश्रमों के भ्रमण के बाद धर्म के व्यवसायीकरण का रूप देख निराश भी हुए। एक दिन बद्रीनाथ में विचरण करते अकस्मात स्वामी शिवानंद से मुलाकात हो गई और फिर उन्हीं के साथ मातृ सदन चले आए। मातृ सदन आकर उन्होंने पहली पुस्तक स्वामी निगमानंद पर 'वैदिक प्राणोपासना' पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे वे वहीं के लिए बने हों। उन्हें पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष का विचार पसंद आया। इस तरह वे मातृ सदन द्वारा गंगा में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जुड़ गए। उनका मानना है कि सरकार माफिया की जकड़ में है और शासन-प्रशासन कोई कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। यदि वे चाहें तो कार्यवाही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सारी जानकारी है और कानूनी हथियार हैं किंतु आज राजनेताओं और माफिया में अंतर कर पाना ही मुश्किल हो गया है। वर्तमान सरकार को तो असली मुद्दों से लोगों को भ्रमित करना बखूबी आता है। उनका कहना है कि एक छोटे बालक के रूप में कई मुस्लिम और ईसाई बच्चों के साथ पढ़े लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले बच्चों में उन्हें कभी कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। 2014 व 2015 में दो-दो बार, 2016 में एक बार व फिर 2017 में दो बार, 2018-19 के दौरान एक बार व 2020 में एक बार, अब तक कुल नौ अनशन कर चुके हैं। आश्रम के इतिहास में अभी तक सबसे लम्बा अनशन 194 दिनों का उन्होंने ही किया है। पूर्व के अनशनों में वे सिर्फ नींबू, नमक व पानी लेते थे। 2018-19 के अनशन में उन्होंने शहद भी लिया क्योंकि स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद भी इसी तरीके से अनशनरत थे। एक बार 2017 में जब जिलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत, जो गंगा में अवैध खनन को संरक्षण दे रहे थे, को एक कार्यक्रम में मदन मोहन मालवीय के नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा था तो आत्मबोधानंद ने सार्वजनिक रूप से सवाल खड़ा किया तो जिलाधिकारी व उनके सुरक्षाकर्मी ने मंच के पीछे एक कमरे में ले जाकर उनकी पिटाई की और उसके बाद एक दिन के लिए जेल भी भेज दिया। आत्मबोधानंद ने जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अभी भी चल रहा है। अपने आठवें अनशन के दौरान उन्हें 29 नवम्बर, 2018 को जिला प्रशासन ने जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां 1 दिसम्बर से उनकी हालत खराब होने लगी और वे चिकित्सीय राय के विरुद्ध (जिसे चिकित्सीय भाषा में 'लामा' कहा जाता है) अस्पताल से बाहर निकल आए। जब वे अस्पताल में थे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें डेंग्यू हो गया है और उनके

प्लेटलेट की गिनती 64,000 तक गिर गई है। स्वतंत्र रूप से बाहर परीक्षण कराने पर यह गिनती 1,01,000 निकली।

ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अपने गुरु स्वामी शिवानंद के साथ अनशन के दौरान प्रयागराज के अर्द्ध कुम्भ में भी करीब बीस दिन रहे किंतु वहां भी आकर किसी सरकारी नुमाइंदे ने उनसे बात नहीं की। उत्तर प्रदेश के मंत्रीमण्डल की बैठक वहां हुई, मुख्य मंत्री समेत कई शासक दल के प्रमुख नेता वहां आए किंतु किसी को ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद से मिलने की फुरसत नहीं मिली। मातृ सदन ने सवाल खड़ा किया कि जब सरकार को बात नहीं करनी है और उसे न तो स्वामी सानंद के जान की चिंता थी और न ही ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद की, तो फिर वह चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए अपने चिकित्सक क्यों भेजती है?

मातृ सदन से ही जुड़े हुए स्वामी पुनयानंद जिस दिन से 2018 में आत्मबोधानंद अनशन पर बैठे हुए थे उसी दिन से अन्न छोड़ कर फलाहार पर थे और इस तैयारी से थे कि यदि आत्मबोधानंद को कुछ हुआ तो वे फल भी त्याग कर सिर्फ पानी ग्रहण करेंगे।

स्वामी शिवानंद व ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित अपने अलग-अलग पत्रों (देखें परिशिष्ट 7 व 8) में श्रीमद्भागवत का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब गंगा दूसरे के पापों का हरण करते हुए खुद गंदी हो जाएंगी तो सर्वत्यागी संयासी अपना बलिदान देकर उसके पापों का हरण करेंगे। किंतु अपना कर्तव्य समझ सिर्फ आमरण अनशन कर उन्होंने एक औपचारिकता पूरी नहीं की है। उन्होंने सरकार, उसके मंत्रियों, नीतियों व रवैए की भी खुलकर आलोचना की है। दोनों संतों ने प्रधान मंत्री की इस बात के लिए निंदा की है कि उन्होंने उपभोग-प्रधान विकास नीतियां अपनाईं हैं जिसमें गंगा को आर्थिक दोहन हेतु मात्र एक जल संसाधन के रूप में देखा गया है। उन्होंने तत्कालीन जल संसाधन, नदी घाटी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गंगा के प्रति श्रद्धा पर ही सवाल खड़े किए। आत्मबोधानंद ने नितिन गडकरी द्वारा स्वामी सानंद की मौत से एक घंटे पहले यह झूठ बोलने के लिए कि स्वामी सानंद की मांगें मान ली गई हैं उनको संवेदनहीन बताया। नितिन गडकरी ने स्वामी सानंद की मौत से ठीक पहले गंगा में विभिन्न स्थानों पर कितना पर्यावरणीय प्रावह होना चाहिए इसकी घोषणा की थी और यह कहा था कि गंगा पर बने विभिन्न बांध तीन साल में यह प्रवाह सुनिश्चित करेंगे। किंतु जो प्रवाह की मात्रा उन्होंने तय की थी वह

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समूह द्वारा तय मानकों से काफी कम थी इसलिए स्वामी सानंद ने उसे तुरंत ही नामंजूर कर दिया था। यह बात उन्होंने अपने अंतिम साक्षात्कार में कही है। इसके अलावा नितिन गडकरी ने प्रस्तावित बांधों पर गोल-मोल जवाब दिया व अवैध खनन पर मौन रहे। दोनों संत जल के व्यवसायीकरण - चाहे वह बोतलबंद पानी हो अथवा पवित्र गंगाजल की मार्केटिंग - के पूरी तरह से खिलाफ हैं। स्वामी शिवानंद ने नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं व उनके द्वारा वाराणसी जैसी सांस्कृतिक नगरी को क्योटो बनाने की पेशकश पर भी कटाक्ष किया है कि "मोदी जी को विदेशी रहन-सहन बहुत भाता है, स्वदेशी से उनको कोई मतलब नहीं है"। आत्मबोधानंद के अनुसार यह सरकार सिर्फ दिखावे के लिए राष्ट्रवादी है, उसका विकास का नजरिया पूरी तरह से पाश्चात्य ही है। उन्होंने प्रधान मंत्री से स्वामी सानंद की चार में से दो मांगों - गंगा पर सभी निर्माणाधीन व प्रस्तावित बांधों तथा सभी खनन पर रोक - को तुरंत स्वीकार कर राष्ट्र की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देने को कहा है। आत्मबोधानंद ने सरकार द्वारा स्वामी सानंद की मांगों को 'एक व्यक्ति की जिद' मानना बड़ी भूल बताया है। उनके अनुसार स्वामी सानंद उपभोग-प्रधान विकास नीतियों, विश्व में गहराते पर्यावरणीय संकट, आदर्श विहीन विकास नीतियों के प्रभाव में पतित हो रही मानव चेतना व फलस्वरूप बढ़ते अधर्म, अपराध व भ्रष्टाचार व अपने उपभोग हेतु सभी जीवों, पर्यावरण व सह-अस्तित्व की संस्कृति को नष्ट करने पर आमादा मानव की पीड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सत्ता के अहंकार में चूर सरकार यह देख पाने में असमर्थ है जिसे वह 'संतों की बलिदानी परम्परा' की पीड़ा बताते हैं।

स्वामी सानंद के अनशन को बंग्लादेश से भी समर्थन मिला जो दिखाता है कि गंगा के अविरल व निर्मल प्रवाह में सीमा पार भी रुचि है।

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की मांग भी यही थी कि गंगा को अविरल एवं निर्मल बहने दिया जाए। वे चाहते थे कि गंगा पर सभी प्रस्तावित व निर्माणाधीन बांधों का काम रोक दिया जाए व गंगा में अवैध खनन रोका जाए। उनके जाने के बाद जब सरकार ने मातृ सदन से पूछा कि उनकी न्यूनतम मांग क्या है तो स्वामी शिवानंद, जिनके नेतृत्व में साधुओं का अनशन आयोजित किया गया और जिनका व्यक्तिगत संकल्प है कि मातृ सदन के एक साधू के बलिदान होने पर दूसरा अनशन पर बैठेगा और वे खुद अपने जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, ने यह कहा कि कम से कम तीन पनबिजली परियोजनाएं, मंदाकिनी पर सिंगौली

भटवाड़ी, अलकनंदा पर तपोवन विष्णुगाड व विष्णुगाड पीपलकोटी रद्द की जाएं और गंगा में खनन बंद हो।

ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का आठवां अनशन 4 मई, 2019 को सम्पन्न हुआ जब राजीव रंजन मिश्र, महानिदेशक, स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन, का स्वामी शिवानंद के नाम पत्र प्राप्त हुआ जिसमें गंगा में अवैध खनन को पूरी तरह रोकने का आश्वासन दिया गया (देखें परिशिष्ट 9) किंतु बांधों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उनके पिछले पत्रों में (देखें वही परिशिष्ट) भी 9 अक्टूबर, 2018, जिस दिन स्वामी सानंद ने जल तयाग किया एवं 26 अप्रैल, 2019, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के घोषित जल त्याग से एक दिन पहले, भी सिर्फ अवैध खनन को रोकने की ही बात कही गई है। हलांकि बांध की बात पत्र में नहीं है किंतु उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि 4 बांधों, जिनमें तीन जिनका ऊपर जिक्र है के अलावा फाटा ब्यूंग, पर काम रोका जाएगा और जिन बांधों पर अभी आधा काम नहीं हुआ है उनकी समीक्षा की जाएगी। स्वामी शिवानंद ने 5 मई, 2019 को अपने लिखित जवाब (देखें वही परिशिष्ट) में बांधों की बात कागज पर लाई।

इसके अलावा राजीव रंजन मिश्र ने मातृ सदन से वार्ता के दौरान यह भी आश्वासन दिया कि प्रोफेसर अग्रवाल की मौत से पहले 11 अक्टूबर, 2019 को नितिन गडकरी ने जो 30 प्रतिशत पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने की बात की थी उसे तीन वर्षों के अंदर लागू किया जाएगा। सितम्बर 2019 की एक समीक्षा में इस अवधि को घटा दिया गया है। किंतु यह प्रवाह की मात्रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समूह द्वारा तय मानकों से काफी कम है। गंगा के ऊपरी हिस्से में विभिन्न स्थानों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समूह द्वारा तय पर्यावरणीय प्रवाह की मात्रा परिशिष्ट 10 में दी गई है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वामी निगमानंद व प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल दोनों की अनशन करते हुए मौत का संज्ञान लिया और मोदी सरकार को याद दिलाया कि अभी गंगा को साफ करने लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है (देखें परिशिष्ट 11)।

किंतु 2019 में भारी बहुमत से दोबारा लोक सभा चुनाव जीतने के बाद और सत्तारूढ़ होने पर नरेन्द्र मोदी ने, जब उनको समझ में आया कि गंगा तो साफ हुई नहीं हैं उल्टे एक साधु की जान चली गई तो आलोचना से बचने के लिए

चुपचाप, बिना किसी चर्चा के केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय का नाम बदल कर जल शक्ति कर दिया। इससे उन्होंने यह भी संदेश दे दिया कि सरकार तो बांध बनाएगी ही और उसे अनशन करके अपनी जान दांव पर लगाने वाले साधुओं की चिंता कतई नहीं है। नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गंगा व नमामि गंगे के बारे में कम सुनने को मिल रहा है। उन्होंने गंगा का दौरा भी किया तो वाराणसी के बजाए कानपुर गए।

नागरिक समाज की ओर से अपनी जान की बाजी लगाए साधुओं के समर्थन में कुछ गतिविधियां हुईं। परिशिष्ट 12 में जब प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल अनशन पर बैठे थे तो उनके समर्थन में हुआ हस्ताक्षर अभियान, प्रोफेसर भरत झुनझुनवाला द्वारा जनवरी 2019 में मातृ सदन में बुलाई एक बैठक में पारित प्रस्ताव, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के अनशन पर बैठने के दौरान कुछ नागरिकों द्वारा प्रधान मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री व उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के अनशन के दौरान उनके समर्थन में मार्च 2019 में निकाली गई पदयात्रा का पर्चा व भरत झुनझुनवाला द्वारा लोक सभा चुनाव के ठीक पहले निकाला गया एक पोस्टर जिसमें एक तुलनात्मक तालिका में यह दिखाया गया है कि कांग्रेस की सरकार ने गंगा के संरक्षण के लिए भाजपा से थोड़ा अधिक काम किया था, दिए गए हैं।

प्रोफेसर अग्रवाल व सरकार की सोच में अंतर

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल ने एक राष्ट्रीय नदी गंगा जी (संरक्षण एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2012 का मसौदा तैयार किया था। सरकार ने भी एक राष्ट्रीय नदी गंगा (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) बिल, 2017, जिसे 2018 में कुछ बदलाव के साथ पुनः लाया गया, तैयार किया। स्वामी सानंद व सरकार के मसौदों में नजरिए का फर्क है।

अपने 5 अगस्त, 2018 के प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में स्वामी सानंद ने कहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपील प्राधिकरण ने उनके कहने पर लोहारी नागपाला पनबिजली परियोजना, जिसपर कुछ काम हो चुका था, को रद्द किया और भागीरथी नदी की गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक की 135 किलोमीटर से ज्यादा लम्बाई को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया, जिसका अर्थ है कि अब वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने अनशन शुरू करने से पहले प्रधान मंत्री को जिन चार मांगों से अवगत कराया था उन्हें दोहरायाः (1) स्वामी सानंद, एडवोकेट एम.सी. मेहता व परितोष त्यागी द्वारा तैयार गंगा के संरक्षण हेतु मसौदे को संसद में पारित करा कानून बनाया जाए, (2) अलकनंदा, धौलीगंगा, नन्दाकिनी, पिण्डर व मंदाकिनी, छह में से वे पांच धाराएं जिन्हें मिलाकर गंगा बनती हैं, छठी भागीरथी पर पहले से ही रोक है, व गंगा एवं गंगा की सहायक नदियों पर निर्माणाधीन व प्रस्तावित सभी पनबिजली परियोजनाओं को निरस्त किया जाए, (3) गंगा क्षेत्र में वन कटान व किसी भी प्रकार के खनन पर पूर्णतया रोक लगाई जाए, (4) गंगा भक्त परिषद का गठन हो जो गंगा के हित में काम करेगी। किंतु प्रधान मंत्री की ओर से स्वामी सानंद की मृत्यु तक कोई जवाब नहीं आया। जबकि 2013 में उनका पांचवां अनशन तब खत्म हुआ जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि नरेन्द्र मोदी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद उनकी गंगा सम्बंधित सारी मांगें मान ली जाएंगी।

स्वामी सानंद गंगा को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित करवाना चाहते थे। गंगा के संरक्षण हेतु उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि गंगा को उसके नैसर्गिक, विशुद्ध, अबाधित स्वरूप में बहने दिया जाए जिसे उन्होंने अविरल की परिभाषा दी थी व उसका पानी अप्रदूषित रहे जिसे उन्होंने निर्मल की परिभाषा दी। वे गंगा में शहरों का गंदा पानी या औद्योगिक कचरे को गंदा या साफ किसी भी तरह से डालने के खिलाफ थे। उन्होंने गंगा किनारे ठोस अपशिष्ट को जलाने, कोई ऐसी इकाई लगाने जिससे प्रदूषण होता हो, वन कटान, अवैध पत्थर व बालू खनन, रिवर फ्रंट बनाने या कोई रसायनिक, जहरीले पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबंध की मांग की थी। असल में किसी भी नदी को बचाने के लिए ये आवश्यक मांगें हैं। महत्वापूर्ण बात यह है कि प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल की यह समझ उ.प्र. राज्य सिंचाई विभाग के लिए रिहंद बांध पर एक अभियंता के रूप में काम करते हुए बननी शुरू हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उ.प्र. सरकार की नौकरी छोड़ दी। बाद में उत्तराखण्ड में भागीरथी पर मनेरी भाली परियोजना के लिए विशेषज्ञ के रूप में जाने का मौका मिला तो यह सोच और परिपक्व हुई। इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव से उन्हें बांधों का नुकसान समझ में आया।

एक सही वैज्ञानिक होने का परिचय देते हुए उन्होंने अविरल की ठीक-ठीक परिभाषा दी - नदी की लम्बाई में सभी स्थानों, यहां तक कि कोई बांध है तो उसके बाद भी, और सभी समय न्यूनतम प्राकृतिक या पर्यावरणीय या परिस्थितिकीय प्रवाह जिसमें निरंतर वायुमण्डल से व भूमि से तीनों तरफ, तली व दोनों तटों, से सम्पर्क के साथ साथ अबाध प्रवाह बना रहे। उनका मानना था कि गंगा के विशेष गुण, सड़न मुक्त, प्रदूषण नाशक, रोग नाशक, स्वास्थ्य वर्धक तभी संरक्षित रहेंगे जब गंगा का अविरल प्रवाह बना रहेगा। इसी तरह निर्मल का मतलब सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप अथवा आर.ओ. या यू.वी. का पानी नहीं है। गंगा में स्वयं को साफ करने की शक्ति है जिसकी वजह उसके पानी में बैक्टीरिया मारने वाले जीवाणु, मानव शौच को पचाने वाले जीवाणु, नदी किनारे पेड़ों से प्राप्त पॉलीमर तत्व, भारी धातु एवं रेडियोधर्मी तत्व, अति सूक्ष्म गाद, आदि की मौजूदगी है। कुल मिला कर गंगा के ऊपरी हिस्से की चट्टानें, साद, वनस्पति जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल हैं, यानी परिस्थितिकी, के कारण गंगा में निर्मल होने का विशेष गुण है। स्वामी सानंद का इस बात पर पूरा भरोसा था कि गंगा का संरक्षण तभी हो सकता है जब गंगा को निर्मल व अविरल बनाए रखा जाए। प्रोफेसर अग्रवाल के गंगा को लेकर विचार

विस्तार से परिशिष्ट 13 में संकलित हैं। यह उनके आखिरी अनशन के दौरान उनके शिष्य प्रणव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया था।

भूतपूर्व जल संसाधन, नदी घाटी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी सार्वजनिक रूप से कहते थे कि उन्हें निर्मल की अवधारणा तो समझ में आती है लेकिन अविरल की नहीं। क्योंकि यदि वे स्वामी सानंद की गंगा को अविरल बनाने की बात मान लेते तो नदी पर बांध कैसे बनवाते? एक दूसरी बात शासक दल भजपा से सुनने को यह मिली है कि उन्हें न तो देश से मतलब है, न धर्म से और न ही लोगों से, उन्हें तो सिर्फ विकास करना है। विकास यानी ऐसा जिसमें पैसा कमीशन के रूप में वापस आता हो ताकि अगले चुनाव का खर्च निकाला जा सके। स्वामी सानंद गंगा के व्यवसायिक दोहन के सख्त खिलाफ थे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, जो स्वामी सानंद के मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हुए, का कहना था कि सिद्धांततः तो वे स्वामी सानंद की बातों को अक्षरशः मानते हैं किंतु सरकार चलाने की अपनी मजबूरियां होती हैं। स्वामी सानंद के साथ साथ गंगा का भी भविष्य उसी समय अंधकारमय हो गया था। दूसरी नदी घाटियों, जिनपर लाखों-करोड़ों लोगों का जीवन व आजीविका निर्भर हैं, पर भी यह खतरा मंडरा रहा है।

स्वामी सानंद व सरकार के नजरिए में फर्क था और इसलिए दोनों का एकमत होना सम्भव नहीं हुआ। उदाहरण के लिए सरकार ने गंगा संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए जो मसौदा अनशन के दौरान 'स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन' के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र के माध्यम से स्वामी सानंद को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा था उसमें गंगा संरक्षण हेतु गंगा पर नियंत्रण स्थापित करने की बात थी जबकि स्वामी सानंद का कहना था कि सरकार को नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय बहाव और गुणवत्तापूर्ण जल, गाद व परिस्थितिकी की जिम्मदारी लेनी पड़ेगी। सरकार का प्रस्ताव गंगा के संरक्षण, सुरक्षा व प्रबंधन हेतु एक गंगा सुरक्षा बल नामक सशस्त्र बल स्थापित करने का है जो भारतीय दंड संहिता, 1973 का पालन करेगा और कानून का उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जाएगा जो संज्ञेय व गैर-जमानती होगा। जबकि स्वामी सानंद एक गंगा के प्रति संवेदनशील व समग्र सोच रखने वाले व्यक्तियों की 'गंगा भक्त परिषद' की मांग कर रहे थे जो गंगा संरक्षण की जिम्मेदारी लेता। स्वामी सानंद पर सरकार यह भी आरोप लगा रही है कि वे गंगा संरक्षण का काम धार्मिक लोगों को सौंपना चाहते थे। इस बात में सत्यता नहीं है। स्वामी सानंद ने 5 अगस्त 2018 को प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में

मांग की है कि 2019 तक एक अस्थाई 20 सदस्यीय 'गंगा भक्त परिषद' का गठन करें, जिसके सदस्य प्रधान मंत्री ही नामित करें, जो गंगा नदी के पानी में खड़े होकर गंगा के हित में काम करने की शपथ लेंगे। इसमें यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि ये सदस्य अनिवार्य रूप से धार्मिक व्यति ही होने चाहिए। हकीकत यह है कि स्वामी सानंद यह नहीं चाहते थे कि गंगा संरक्षण हेतु गठित इकाई में ऐसे नौकरशाह हों जो अपने राजनीतिक आकाओं की मिलीभगत से गंगा का व्यवसायिक दोहन करें। अभी पांच साल पूरे भी नहीं हुए हैं और 'स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन' के सात बार प्रमुख बदले जा चुके हैं। स्वामी सानंद गंगा संरक्षण हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी स्वायत्त इकाई चाहते थे। सरकार का नजरिया लालफीताशाही वाला है जसमें सशस्त्र सुरक्षा बल गंगा का संरक्षण करेगा जबकि स्वामी सानंद का नजरिया मानवीय व परिस्थितिकीय था जो लोगों की सहभागिता पर आधारित था।

स्वामी सानंद की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उनकी मांग को मान कर स्वामी सानंद की जान ही नहीं बल्कि गंगा को भी बचाया जा सकता था। किंतु अब स्वामी सानंद हमारे बीच नहीं रहे और इसी तरह एक दिन गंगा भी नहीं रहेंगी। देश की बहुत सारी नदियां सूख चुकी हैं जिसमें साबरमती नदी भी शामिल है। गंगा का भी यही हाल होने वाला है।

इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के विचारों को मुख्य धारा के वैज्ञानिक भी मानेंगे उनके नाम पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में एक चेयर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोई उनके कार्य को आगे बढ़ा सके। इसका विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर दिया गया है।

https://iitk.ac.in/dora/funds/prof-gd-agarwal-chair.php

प्रोफेसर अग्रवाल के बारे में उनके सहकर्मियों/छात्रों के विचार

मैं स्वर्गीय प्रोफेसर अग्रवाल का जिस मुद्दे को वे मानते थे उसके लिए जो उन्होंने तपस्या की उसका प्रशंसक हूं। उनके विचार जिसमें व्यक्तिगत कार्यवाही सभ्यता के सामूहिक उद्देश्य से जुड़ती है, हलांकि मैं उसे पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन इसके लिए उनका आदर करता हूं। यदि यह बहुत कम या ज्यादा कहा गया है तो यह हमारी अपने बारे में समझ की सीमाओं को दर्शाता है और हमें लम्बी दूरी तय करनी है इससे पहले कि उनकी तपस्या और सभ्यता के उद्देश्यों जिसके लिए प्रयास करना सार्थक है उनका परिणाम हमें मिल सके।

-प्रोफेसर पी. आर. के. राव, सेवा निवृत, इलेक्ट्रिकल इंजीनिरिंग, आई.आई.टी. कानपुर, प्रोफेसर अगवाल के समकालीन

ऐसे बहुत विरले ही होते हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ भी हों तथा उनके अंदर प्रतिबद्धता भी हो।

-भरत झुनझुनवाला, अर्थशास्त्री-लेखक जो प्रोफेसर अग्रवाल के नजदीकी थे व उनके अनशन के दौरान सरकार से वार्ता का प्रयास कर रहे थे

जी.डी. जिस नाम से वे जाने जाते थे ने कभी भी मुख्यधारा में अपने को समाहित करने की कोशिश नहीं की। वे सामान्य प्रोफेसरों से अलग थे और यदि प्रशासन के खिलाफ भी जाना पड़े तो वे सामाजिक मुद्दों को उठाते थे। पहले उन्होंने परिसर से सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया किंतु धीरे-धीरे उनका दायरा बढ़ता गया और पूरे समाज तक पहुंच गया। उन्होंने गंगा की पवित्रता का मुद्दा उठाया और गंगा तपस्या कर अपनी जान देकर उसकी कीमत भी चुकाई। वे अपने बहादुरी, प्रतिबद्धता और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे।

-प्रोफेसर रमेश श्रीवास्तव, सेवा निवृत, भैतिकी शास्त्र, आई.आई.टी. कानपुर, 1961-96

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल में यह क्षमता थी कि एकदम अकेले होने पर भी वे अपने रास्ते पर चलते रहें। जब वे हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में आमरण अनशन सत्याग्रह पर बैठै थे तब मैं चित्रा जी के साथ जाकर उनसे मिला। उन्होंने कहा कि वे मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं व गंगाजी हमेशा ही उनकी मां समान रही हैं। मां गंगा बहुत बीमार बना दी गई हैं और अब इस मां का दर्द उनके लिए बरदाश्त के बाहर हो चुका है। इसलिए उन्होंने यह आमरण अनशन सत्याग्रह तय किया है। उनका यह उपवास भारत की सामाजिक-राजनीति प्रक्रिया में एक दार्शनिक/अध्यात्मिक दखल रहा। इसे भारत में उस नैतिक प्राकृतिक राजनीतिक रास्ता उद्घाटित करते हुए देखा जाना चाहिए जिसमें जंगल, पहाड़ व नदियां मनुष्य जैसी भूमिका में शामिल होंगे। इस संदर्भ में यह याद करना चाहिए कि उत्तराखण्ड की उच्च न्यायालय ने मां गंगा को व्यक्ति के रूप में पहचानने का फैसला दिया है, हलांकि उसे उच्चतम न्यायालय ने नहीं माना।

-सुनील सहस्रबुद्धे, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रोफेसर अग्रवाल के सहकर्मी

***

भाग क

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, जैसा कि मैं उन्हें आई.आई.टी. कानपुर में एक पड़ोसी व सहयोगी के रूप में जानता हूं

प्रोफेसर जी.डी. अगवाल छह वर्ष (1966-72) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हमारे पड़ोसी थे। अमरीका से वे पीएच.डी. करके लौटे तो उन्हें सीधे लेक्चरर से प्रोफेसर प्रोन्नत कर पुराना टाइप 3 क्वार्टर सं. 304 आवंटित हो गया जो हमारे घर सं. 303 के बगल में था जहां हम पिछले 6 माह से रह रहे थे। मैं अपने परिवार - पत्नी, दो बच्चे, एक वृद्ध बुआ के साथ रह रहा था और वे अकेले थे। उनका छोटा भाई जो उस समय बी.टेक. कर रहा था उनके साथ रहता था। कभी उनके रिश्तेदार, दोस्त, शहर या गांव से आते थे। उनकी एक बुआ, चाची या मौसी

कभी आती थीं तो कुछ हफ्तों रहतीं। संस्थान का एक कनिष्ठ कर्मचारी उनके घर से कुछ दूरी पर नौकरों के लिए बने आवास में रहता था, जो खाली समय में उनका भी काम कर दिया करता था। हमने कभी किसी प्रोफेसर को उनके घर मिलने के लिए आते नहीं देखा।

हमारे दूसरे पड़ोसी प्रोफेसर जी.एन. राव, जो अपनी पत्नी, दो बच्चों व भाई के साथ रहते थे, के साथ पारिवारिक स्तर पर हमारा नजदीकी सामाजिक सम्बंध था, प्रोफेसर अगवाल के साथ वैसा नहीं था। उनका रहन सहन बहुत साधारण था व हमेशा कुछ सोच की मुद्रा में रहते थे। वे बहुत भले इंसान थे, अक्सर अपने घरों के सामने घास की लान पर या संस्थान साथ जाते वक्त मिलते थे तो बड़े अदब से पेश आते थे। हमारी वार्ता सामान्य विषयों पर अल्प अवधि की होती थी, कभी भी अकादमिक मामलों पर नहीं।

1972 में हमारा घर बदल गया। उसके बाद मैं उन्हें कभी कभी ही देखता था, ज्यादा उनके बारे में उनके विभाग के अन्य प्रोफेसरों से पता चलता था। जैसा उन जैसे विलक्षण व्यक्तियों के साथ होता है, लोग उन्हें बहुत गम्भीरता से नहीं लेते थे, हलांकि उनका अपमान भी नहीं करते थे।

एक बार मैंने सुना कि प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने छात्रों को छूट दी कि वे किसी भी भाषा में अपनी परीक्षा लिख सकते हैं, वे उसकी जांच करवा लेंगे। भा.प्रौ.सं. में प्रोफेसर को काफी छूट रहती है कि वे किस तरह से पढ़ाए व कैसे मूल्यांकन करे। किंतु यह तो काफी अलग था। शायद प्रायोगिक भी रहा हो। भा.प्रौ.सं. में छात्र विविधता काफी रहती है। उस समय किसी वजह से यह संस्थान काफी लोकप्रिय संस्थान बन गया था। यहां छात्रों व प्रोफेसर को जो स्वतंत्रता मिलती है उस मामले में ही शायद इसकी तरह के दूसरे संस्थानों से यह अलग था। एक तिहाई के करीब छात्र व प्रोफेसर दक्षिण भारत से थे।

उनकी कक्षा भी ऐसी ही रही होगी। मुझे मालूम नहीं कि जो छूट उन्होंने दी थी उसका किसी ने लाभ उठाया या नहीं। किंतु यदि किसी ने किया भी होगा तो प्रोफेसर अग्रवाल को उपयुक्त मूल्यांकनकर्ता अपने विभाग में ही ढूंढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसरों में भी वैसी ही विविधता थी। किंतु उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा यह उनका शिक्षा के प्रति नजरिया व प्रयोग करने के साहस को दिखाता है।

बाद में मैंने सुना कि एक विभागीय बैठक में जहां खूब गरमा-गरम बहस हुई, डॉ. अग्रवाल, जब शायद वह विभागाध्यक्ष भी थे, संस्थान के खस्ता हालात पर इतने निराश थे कि उनके आंसू छलक आए। यह तो तब की बात है जब आम धारणा थी कि संस्थान ठीक-ठाक चल रहा था। इसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने संस्थान छोड़ दिया। उनके मूल्यांकन के मानक निश्चित रूप से अलग थे।

जब हम पांच साल पड़ोसी थे तो एक घटना हुई, छोटी थी लेकिन मामूली नहीं। एक दिन हमें लगा कि उनके घर से हमारे घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने डॉ. अग्रवाल को अवगत करा दिया और अनुमान लगाया कि शायद उनका नौकर हो। डॉ. अगवाल के अनुसार वह व्यक्ति ऐसी हरकत नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने पूछताछ करने का आश्वासन दिया। उसी शाम उन्होंने मुझे सूचित किया कि ऐसी घटना हुई थी और शर्मिंदगी जाहिर करते हुए बताया कि दोषी व्यक्ति उनका मेहमान था। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति मुझसे माफी मांगेगा। अगले दिन सुबह मुझे अपने दरवाजे के नीचे एक कागज के टुकड़े पर माफी लिखी मिली।

शायद उनसे कम नैतिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति होता तो इस अप्रिय घटना को स्वीकार ही न करता क्योंकि हमारी शिकायत का आधार भी सिर्फ शक ही था। उन्होंने जिस तेजी से हमारी शिकायत पर कार्यवाही करी, सम्बंधित व्यक्ति से उसका जुर्म कुबूलवा लिया और हमें सूचित भी कर दिया आश्चर्यचकित करने वाला था। यह उनकी असाधारण निष्कपटता, जिम्मेदारी की भावना व साहस का परिचय देती है। यह वह दौर था जब दिखावा व उपलब्धि जैसी चीजें मनुष्य व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं पर हावी थीं। यदि मैं उनकी जगह होता तो मुझे मालूम नहीं कि मैं बदनामी के ख्याल से खुद का और अपने मेहमान का बचाव करने की कोशिश करता? डॉ. अगवाल कोई साधारण इंसान नहीं थे।

मैं डॉ. अगवाल से कई वर्षों बाद मध्य '90 के दशक में चित्रकूट में जब एक सिविल इंजीनियरिंग विभाग के दल को लेकर गया था तब मिला। वे काफी खुश हुए और उन्होंने हमारी काफी आव-भगत की। वे चित्रकूट में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय से जुड़ चुके थे।

भाग ख

स्वामी सानंद एवं उनकी तपस्या - जैसा मुझे दोस्तों से पता चला

मुझे डॉ. अग्रवाल, जो अब संत सानंद बन गए थे, के बारे में पुनः तब सुनने में आया जब वे अपने अंतिम अनशन, जो उनके लिए आमरण अनशन सिद्ध हुआ, पर बैठ चुके थे। हमें प्रोफसर पी.आर.के. राव की ई-मेल से यह पता चला जो हमें प्रेरित कर रहे थे कि हम कुछ करें।

हमारा सामूहिक प्रयास, जो ज्यादातर कागज पर ही रहा या कुछ ने सरकार से भी बातचीत की कोशिश की होगी, की वजह से सरकार पर कुछ असर पड़ा होगा जो इतना पर्याप्त नहीं था कि सरकार स्वामी सानंद की देश के भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पूंजी को लेकर गहरी चिंता की गम्भीरता को समझ पाती।

यदि हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय में शीघ्र कुछ करे तो हमें उसे तार्किक दृष्टि से समझाना होगा या देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना होगा।

हम स्वामी सानंद के सार्वजनिक बयानों से देखते हैं कि उनका पनबिजली परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से गंगा माई की पवित्रता को बचाने के लिए और फिर पर्यावरण को बचाने के लिए था। उन्होंने विरोधियों के सवाल कि बांध से औद्योगिक विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा व राज्य का विकास होगा के जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दिए जबकि उनके पास सही जानकारी थी। इस वजह से अपने उपवास को प्रभावशाली बनाने में वे असफल रहे।

गंगा के प्रति पवित्र भावना, गहरी आस्था एवं जुड़ाव की तीव्रता पूरे देश में और गंगा के किनारे रहने वालों में विभिन्न राज्यों में जहां से वह होकर बहती है भिन्न भिन्न है। समय के साथ यह पवित्रता या श्रद्धा की भावना धीरे धीरे कम हुई है।

पर्यावरण का मुद्दा जो सिद्धांत व कार्य के स्तर पर स्थापित है किंतु उसका प्रसार न हो पाने के कारण लोग उसके साथ अपने को इस तरह जोड़ नहीं

पाते कि उसका कोई प्रभाव दिखाई पड़े। स्थानीय लोगों का आंदोलन के साथ जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है।

क्या आंदोलन के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन था? यदि नहीं तो क्या इसलिए कि लोगों को लगता है कि परियोजना से लाभ है, खासकर कुछ लोगों को राजगार मिलेगा? क्या यहां भौतिक एवं सांस्कृति जरूरतों, तात्कालिक फायदे व दूरगामी नुकसान और स्थानीय व वैश्विक हितों में टकराव है? क्या यही वजह थी कि इतना जन समर्थन नहीं जुटाया जा सका कि सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जा सके?

हम में से कुछ लोगों का संत सानंद के उपवास के किसी सुखद अंत की सम्भावना पर शक ही था। मालूम नहीं जमीनी स्तर पर जो लोग थे उनका क्या आंकलन था?

शायद संत को भी मालूम रहा होगा कि सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने गंगा माई के प्रति अपनी पवित्र भावना, जिनसे करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हैं, और अपनी जिंदगी उनकी गरिमा बचाने के लिए समर्पित की, यहां तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा दी।

हम में से कुछ लोगों का सुझाव था कि संत सानंद को समझा कर उपवास खत्म करा उनसे कहा जाए कि इस मुद्दे पर और जन जागरण और समर्थन जुटाने का काम करें। कुछ लोगों ने इस तरह की कोशिश भी की होगी।

वे शायद थक भी गए थे और पुनः संघर्ष करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। वे सिर्फ गंगा माई की गोदी में सोना चाहते थे। वे शायद इसी तरह दुनिया से प्रस्थान करना चाहते थे। बिना हारे। इस मनः स्थिति में उनके इस उपवास का तात्कालिक परिणाम उनके लिए कोई विशेष मायने नहीं रखता। परन्तु ऐसी निश्चितता थी कि सत्य अंततः विजयी होगा और सही समझ भी देर सबेर आएगी।

उनके बलिदान की चिंगारी कुछ लोगों के अंदर यह प्रेरणा प्रज्वलित कर सकती है कि पूरी ताकत, प्रतिबद्धता और व्यवहारिकता के साथ लेकिन बिना

सत्यनिष्ठा से कोई समझौता किए इस मुद्दे पर काम कर सकें। सरकार के अंदर व बाहर कुछ प्रभावशाली लोगों को आत्मविश्लेषण करने की भी जरूरत है।

अन्यथा यह इतिहास में एक अच्छे मुद्दे के लिए असफल, लेकिन बेकार नहीं, पवित्र बलिदान के रूप में याद किया जाएगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं गरिमापूर्ण पराजय के, पवित्र बलिदान के जिन्होंने दूसरे लोगों को कार्यवाही के लिए नहीं तो कम से कम अपने जीवन में उन आदर्शों को जीने के लिए प्रेरित किया है।

मुझे उम्मीद है कि हमारे मित्र डॉ. जी.डी. अग्रवाल पर यह जो लिखा जा रहा है उससे नए-पुराने तमाम लोगों को एक ऐसे सार्थक जीवन जिये असाधारण सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति के बारे में पता चलेगा जिसने अपना जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए न्यौछावर किया ताकि वे उससे प्रेरणा लेकर देश की भौतिक व सांस्कृतिक सम्पन्नता हेतु व देश की भलाई के लिए उस काम को आगे बढ़ा सकें और दुनिया के सामने एक आदर्श पेश कर सकें।

-प्रोफेसर सी. वी. आर. मूर्ति, सेवा निवृत, ऐरोस्पेस इंजीनिरिंग, आई.आई.टी. कानपुर, 1966-98, प्रोफेसर अग्रवाल के समकालीन

***

एक अनोखा व्यक्ति

हम शहडोल से वाराणसी बस से जा रहे थे। अचानक मेरे सहयात्री ने चालक को आवाज आई, 'रोको-रोको,' और वह बस से उतर कर ओझल हो गए। थोड़ी देर में वापस आए तो चेहरा खिला था और हाथों में पत्ते की प्लेट पर गरम जलेबियां थीं। यह गुरू दास अग्रवाल का मौलिक चरित्र था, जिस रास्ते से चलते थे उस पर सारी स्वादिष्ट खाने की चीजें व सिनेमा हाल उनको मालूम होते थे और इस रास्ते पर तो वह '60 के दशक के शुरू में रिहन्द बांध बनाने वाले युवा इंजीनियर के रूप् में कई बार सफर कर चुके थे जो उस समय नेहरू के रेणुकूट में शुरुआती आधुनिक मंदिरों में से एक था।

जी.डी. ने रिहन्द बांध बनाने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर कुछ बेमन से, निदेशक के कहने पर कि अन्यथा आई.आई.टी., कानपुर के अमरीका के साथ करार का उल्लंघन होगा, यूनीवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया, बर्कले पीएच.डी. करने चले गए।

वहां जाकर उन्हें जो सीखने का मौका मिला तो उनका मन लग गया। अपने शैक्षणिक काम के अलावा राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए वहां कुछ समान विचार वाले भारतीयों के साथ मिलकर 'भारत की तेज आर्थिक प्रगति के लिए मंच' (फ्रिया) का गठन किया। यह अजीब सा लगने वाला नाम इस सोच के साथ रखा गया था कि बिना आर्थिक प्रगति के भारत की गरीबी दूर नहीं की जा सकती और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रास्ते ही यह प्रगति सम्भव है। 1969 में आई.आई.टी. मुम्बई के कुछ छात्रों ने जो फ्रिया के विचार से प्रथावित थे ने मुझे जी.डी. अग्रवाल से मिलने कानपुर भेजा जहां वे वापस लौट कर आई.आई.टी. में पढ़ाने लगे थे।

हमे कुछ करने का मौका तब मिला जब फ्रिया, मुम्बई के पास शहडोल के एक अखबार का एक संदेश आया कि वहां स्थित एशिया की सबसे बड़ी कागज की मिल के प्रदूषण से जनता परेशान थी किंतु कम्पनी मानने को तैयार नहीं थी कि सोन नदी उसकी वजह से प्रदूषित हो रही थी। यह भारत में पर्यावरण को लेकर बनने वाले कानूनों के पहले का दौर था। मैंने कानपुर की पहली गाड़ी ली और जी.डी. से मिलने निकल पड़ा। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर सकते हो? मेरे दिमाग में प्रदूषण को किसी तरह मापने की बात थी। उन्होंने मेरे विचारों को एक एक करके खारिज किया और फिर एक सम्रगता के साथ चित्र प्रस्तुत किया। मुझे समझ में आया यह उनके समझाने का तरीका था। वे पहले सीखने वाले की बात ध्यान से सुनते थे, फिर निर्दयता से सब खारिज कर देते थे और फिर धीरे धीरे एक ढांचा प्रस्तुत करते थे जिसमें समस्या का निवारण संतोषजनक ढंग से सोचा जा सके (साथ में आलू पूड़ी और खीर मलाई भी मिलती थी)। आई.आई.टी. कानपुर के चार उत्सुक छात्रों को चुना गया जिन्होंने शहडोल जाकर शायद भारत का पहला समुदाय आधारित पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया। सुधीन्द्र शेषादरी, जो उन चार छात्रों में से एक था ने याद किया कि जी.डी. ने कहा था, 'किसी चीज का मूल्य वह किस दिशा में ले जाता है, वह है।'

जी.डी. अपने छात्रों की बहुत फ्रिक करते थे। एक बार जब तीन छात्र अपना कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको अमरीका जाना था, जी.डी. ने उन्हें रेलवे स्टेशन से वापस बुला, अतिरिक्त कक्षाएं लीं व उनका कोर्स पूरा कराया। ये शायद इसी तरह की प्रेरणा थी कि उनके छात्र अनिल अग्रवाल ने 1980 में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र की स्थापना की और हमारे जैसे कुछ अति उत्साहित नवजवानों ने 1973 में शहडोल का पर्यावरण नियोजन तय करने के बारे में सोचा। जी.डी. लगातार शहडोल आते थे और वैकल्पिक समाधानों के सुझाव देते थे। हमने एक फारगो पिकअप ट्रक खरीद ली थी और अरविंद गुप्ता ने उसे डीजल से चलने वाले वाहन में परिवर्तित कर लिया था। जी.डी. ने उसके अनिश्चित व्यवहार के कारण उसका नाम पहले रखा नो-फार-गो (ज्यादा दूर तक न जाने वाली) और फिर नीयर-स्टाप (लगभग खड़ी रहने वाली) किंतु उन्हें उस वाहन में बैठ पूरे जिले में घूमने में आनंद आता था। हम उनके रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की जानकारी का लाभ उठा कर जिस समाज में रहते हैं उसे समझने की दृष्टि से उनसे खूब चर्चा किया करते थे और अक्सर उनकी राय हमसे अलग होती थी। जैसा अरविंद ने एक दिन कबूल किया कि वाम सोच से प्रभावित होने के कारण वह एक निहायत सज्जन इंसान की कद्र नहीं कर पाए। पर सुधीन्द्र याद करते हैं, जी.डी. कहते थे, "मैं तुम लोगों से सहमत तो नहीं लेकिन तुम लोगों को प्यार करता हूं"।

सीखने व सिखाने के पीछे यह प्रेम था जो उनके व्यक्तित्व के केन्द्र में था। एक बार उनके करीबी छात्र अतुल जैन ने उनसे पूछा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की तो उनका जवाब था कि जिस दिन उनका पढ़ाने का काम पूरा हो जाए उस दिन वह उनसे शादी की बात करे। उनके अनुसार वे दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते थे। हलांकि इसने कभी उनको जोड़ी बैठाने के काम से नहीं रोका, वे आंखों में चमक के साथ पूछते, 'क के लिए ख कैसी रहेगी?' आई.आई.टी. से निकलने के बाद वे नव गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव बनाए गए। आई.आई.टी. के ही छात्र संजीव घोटगे के अनुसार वे भारत के पहले तकनीकी रूप से दक्ष पर्यावरणविद् थे। इसके बाद उनके पढ़ने-पढ़ाने का काम विश्वविद्यालय व्यवस्था के बाहर उन लोगों के साथ जुड़ गया तो पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे थे। इसी समय वायु प्रदूषण अधिनियम पारित हुआ और जी.डी. को अहसास हुआ कि कोई भारतीय कम्पनी वायु प्रदूषण नापने का यंत्र ही नहीं बना रही है जो अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जरूरी था। जब किसी बड़ी कम्पनी से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आई.आई.टी. से पढ़कर निकले

एस.के. गुप्ता को इस बात के लिए तैयार किया कि वे इंवायरोटेक कम्पनी बना कर यह उपकरण बनाएं। जब जी.डी. ने निराश होकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस्तीफा दिया तो एस.के. गुप्ता खुशी व्यक्त करते हुए बताते हैं कि उन्होंने जी.डी. को कम्पनी चलाने के लिए आमंत्रित किया और जी.डी. ने बहुत बेहतर तरीके से यह काम किया।

इसी भावना के साथ मैंने 1990 में उन्हें प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड की पहली (और आखिरी) कार्यशाला में समुदायों के स्तर पर प्रदूषण नापने हेतु कम कीमत के उपायों के सम्बंध में दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया था। इस एक हफ्ते की कार्यशाला में कई वैज्ञानिकों, समुदाय के नेताओं, कार्यकर्ताओं व मजदूर संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया और जी.डी. की पर्यावरण विज्ञान को नीचे जमीनी स्तर तक ले जाने में महतवपूर्ण भूमिका रही। इसी बीच उन्होंने चित्रकूट के नव स्थापित महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पर्यावरण विभाग शुरू करने की जिम्मेदारी ले ली और वहीं पर सेवा निवृत होकर एक वृद्धाश्रम में रहने की तैयारी भी करने लगे। किंतु सोनभद्र के वनवासी सेवा आश्रम से एक आग्रह आया कि प्रदूषण अनुश्रवण के लिए उनकी मदद चाहिए और मैंने जी.डी. से पूछा। वे अपने पुराने इलाके में, जहां से उन्होंने नौकरी शुरू की थी में जाने के विचार से काफी उत्साहित हुए। किंतु वहां रिहन्द बांध और उसका जलाशय, जो उन्होंने बनाया था, के इर्द-गिर्द ताप बिजली घरों के निर्माण से उत्पन्न प्रदूषण देखकर वे काफी दुखी हुए। तब आश्रम के साथ मिलकर उन्होंने पुनः एक समुदाय आधारित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ की लेकिन उनका मुझसे हमेशा यह सवाल रहता था कि जन आंदोलन कहां है? वे आश्रम की शुभा बहन से भी यह सवाल किया करते थे और शुभा बहन बताती हैं कि एक सार्वजनिक बैठक में जब सारे ग्राम प्रधान अपने प्रयासों के बारे में बोल चुके तो जी.डी. ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि सिर्फ बात ही बात हो रही है, कार्यवाही कब होगी? वे तभी शांत हुए जब सबने एक लिखित कार्ययोजना दी और एक निश्चित तारीख तक परिणाम दिखाने का वायदा किया। शुभा बहन बताती हैं कि उनके गुस्से से उन्हें भी विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने हमारी बनाई एक व्यवहारिक कार्ययोजना फाड़ कर फेंक दी। रामकुमार विद्यार्थी जो उस समय बाल अधिकारों के लिए काम करते थे फेसबुक पर बताते हैं कि एक बार जी.डी. ने तरंग गांव में सिखाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उस गांव का शिक्षक शराब पीकर आता था तथा बार-बार आग्रह करने पर भी अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं था। जी.डी. के शिक्षक दिवस के अवसर पर वहां जाने की पेशकश से सभी लोग

असमंजस में पड़ गए। उस दिन भी शिक्षक के मुंह से महुआ की महक आ रही थी। जी.डी. ने उन्हें फूल दिए, एक गीता की प्रति दी और उनके पैर छुए और इसके बाद बच्चों को शिक्षक दिवस का महत्व समझाया। रामकुमार के मुताबिक उस दिन से शिक्षक का गांव वालों के साथ व्यवहार में व्यापक परिवर्तन आया और गांव वालों ने मिलकर विद्यालय के जर्जर भवन का पुनर्निमाण किया।

उनके संयुक्त शिक्षण, सरकारी नौकरी, कम्पनी के सलाहकार, समुदाय के व कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के अनुभव ने अंततः उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ की तरफ लौटने के लिए प्रेरित किया। वे कहा करते थे उन्हें अपने तरीके से जीना है, वे दूसरों का कहा क्यों सुनें। वे गंगा के संरक्षण हेतु समर्पित होने के लिए साधु बन गए। अपने विषय के ज्ञान से उन्होंने सरकार तथा अध्यात्मिक-सामाजिक संगठनों को समझाने की कोशिश की किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपना अंतिम अनशन 22 जून, 2018 को प्रारम्भ किया। अगस्त में मैं व रवि चोपड़ा, जो फ्रिया से जुड़े रहे, उनसे मिलने ऋषिकेश गए। हमेशा की तरह उनका व्यवहार स्पष्ट और सामान्य था। उन्होंने अपने शरीर का चिकित्सीय विवरण रखा और बताया कि इस तरह वे छह और हफ्ते जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम उनकी चिंता न करें, बल्कि उनके जाने से हमें, जो आवश्यक कार्य किया जाना है वह करने में, और शक्ति मिलेगी। इससे अधिक प्रेरणादायी गुरू दर्शन और क्या हो सकता है?

-दुनु रॉय, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रोफेसर अग्रवाल के नजदीकी सहयोगी

मैं मुज़फ़्फरनगर शहर से आता हूं और डॉ. अगवाल उसकी एक तहसील कांधला के रहने वाले थे। अक्सर मुज़फ़्फरनगर में वे अपने मामा स्वर्गीय फिरोजी लाल के यहां रहते थे। शुरू से ही उनका स्वभाव काफी सरल था। उन्होंने अपना बी.टेक. रुड़की विश्वविद्यालय से किया जो उस समय एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता था। प्रोफेसर एम.पी. कपूर व एन.सी. निगम उनके साथ पढ़ते थे।

- गिरीराज किशोर, साहित्यकार एवं पूर्व कुलसचिव, आई.आई.टी. कानपुर

मैं प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था लेकिन एक बार जब वे अनशन पर थे तो उनसे मिलने गया था। वे एक दशक से ज्यादा गंगा के मुद्दे पर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने गंगा के लिए, जितने लोगों को मैं जानता हूं उनमें, सबसे

बड़ा योगदान दिया है। हम गंगा को बचाने के उनके धार्मिक या अध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले ही सहमत न हों (हमारा मानना है कि सभी नदियां बराबर हैं व अध्यात्मिक दृष्टिकोण पर केन्द्रित हो हम गंगा के सामाजिक व पर्यावरणीय मुद्दे नहीं छोड़ सकते) लेकिन फिर भी नदी के लिए उनके अभूतपूर्व योगदान व बलिदान को हम नमन करते हैं।

-हिमांशु ठक्कर, संयोजक, बांध, नदी व लोगों का दक्षिण एशिया नेटवर्क, आई.आई.टी. मुम्बई, 1984 व पूर्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन से सम्बद्ध रहे

भारतीय परम्परा के अनुसार हरेक विद्या के चार चरण होते हैं। वे हैं अधीति - बोध - आचरण - प्रचार। जब ये चारों विद्यमान रहते हैं तभी सम्पूर्ण विद्या कहीं होती है। अपने लिए सीखना, जो सीखा उसे दूसरों को सिखाना, जो सिखा रहे हैं उसका अपने जीवन में पालन करना और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करना - यही चार चरण होते हैं। बिना समझ के पालन करना या समझ के भी पालन न करना ये कभी भी हमारे शास्त्र का हिस्सा नहीं रहे हैं।

(तेलुगु में अपने उपन्यास वेयी पडागुलू के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कविसम्राट विश्वनाथ सत्यनारायणा के अंग्रेजी अनुवाद से; इस उपन्यास का हिन्दी अनुवाद श्री पी.व्ही. नरसिंह राव ने सहस्र फाना के नाम से किया था जिन्हें अनुवाद करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।)

प्रोफेसर गुरूदास (जीडी) अग्रवाला/स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने इस परम्परा को जीवन भर निभाया और अंत में इसी परम्परा के तहत अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का मार्ग अपनाया। 'गुरूदास अग्रवाला' का अर्थ होता है अपने गुरू के शब्दों को सावधानी के साथ वास्तविकता में उतारने वाला सबसे श्रेष्ठ। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के केन्द्रीय अभिकल्प निदेशालय के अभिकल्प अभियंता गुरूदास अग्रवाला उस समूह का हिस्सा थे जिसने जलाशय के हिसाब से भारत के सबसे बड़े बांध, और जिसमें पहली बार सीमेण्ट के साथ फ्लाई एश (राख) का इस्तेमाल किया गया था, निर्माण किया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के कोर्स में मैंने अभियंता के रूप उनके अनुभव सुने कि कैसे उन्हें अपनी नौकरी व ज्ञान, जो उन्होंने अपने गुरुओं से प्राप्त किया था कि निर्माण में राख का इस्तेमाल हो सकता था के बीच ज्ञान को चुना और राष्ट्र के लिए करोड़ों रुपयों की बचत की। सरकार ने इस बात का संज्ञान भी लिया और उनके मुख्य

अभियंता सुमन किशोर जैन को 1963 में पद्मश्री से सम्मानित किया और सुमन जैन ने निजी रूप से स्वीकार किया कि पुरस्कार के सही पात्र तो जीडी हैं। यह जी.डी. अग्रवाल जैसे प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति के लिए ही सम्भव था कि जिस ज्ञान को हासिल किया था, उसे दूसरों तक पहुंचाएं, खुद उसका पालन करें और दूसरों को पालन करने के लिए प्ररित करें के मार्ग से कोई समझौता नहीं किया। 1977 में आई.आई.टी. छोड़ते वक्त उन्होंने छात्रों के साथ एक साक्षात्कार में अपनी स्पष्ट सोच की झलक दी है जिसमें वास्तविकता की श्रेणियां भारतीय दर्शन परंपरा से हैं। समय और अनुभव के साथ उनकी अभिव्यक्ति की स्पष्टता में निखार आया और उनके ज्ञान और समझ की झलक 2018 में अपनी तपस्या व छठें व अंतिम अनशन शुरू करने से पहले प्रधान मंत्री को लिखे पहले पत्र में दिखाई पड़ती है। उनके व्यक्तित्व के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी भाषाई संवेदनशीलता को समझें, आदर करें, अपने अंदर उतारें और कार्यव्यवहार में लाएं जिसका सीधा सम्बंध उनकी कार्यवाहियों से था। प्रघान मंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रिय छोटे भाई सम्बोधित करते हुए वे उनको सुझाव देते हैं, “अपने माता, पिता व पूर्वजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर यश व प्रसिद्धि को प्राप्त करो” - जो सुझाव हमें भी उतना ही ग्रहण करना चाहिए। अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्तापूर्ण अभिव्यक्तियों/कार्यवाहियों को अपने अनुभव व तथ्यों के आधार पर उनमें भरोसा पैदा करें यह समय की मांग है। प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल/स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने गंगा पर अपने को केन्द्रित किया किंतु उनका संदेश व्यापक है। हमारे अस्तित्व के अधि दैविका व अध्यात्मिक स्तरों पर समझ पर जोर, गंगा जी की नैसर्गिक धारा के लिए उनकी तीव्र इच्छा जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गंगा तपस्या शुरू की, अपने अभियांत्रिकी के ज्ञान को वर्तमान समय में जो व्यवहारिक है उसमें हस्तांतरित करना, अविरल धारा की मांग - जो निर्मल धारा व नैसर्गिक धारा के लिए अनिवार्य शर्त है - इन सबसे हमें पता चलता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस श्रेष्ठतम शिक्षक ने गंगा जी को एक उदाहरण के रूप में लिया था। उन्होंने अपने सन्यास के नाम स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को चरितार्थ किया। हम समाप्त करने से पहले ध्यान दें कि आदि शंकर के गंगा अष्टकम में अंत में एक श्लोक है जिसकी इस तरह शुरूआत होती है, ‘सानंदम् स्मरतो भविष्यति।’ हमें स्वामी सानंद को समयानुकूल ज्ञान देने और अविरल धारा के आधिभौतिकता स्तर पर तृप्त होने के लिए याद करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उनकी शिक्षा को और समृद्ध करेंगे।

-प्रणव कुमार वशिष्ठ जी. वी., जो पूर्णप्रमति - बेंगलुरू के एक समग्र शिक्षा केन्द्र - से जुड़े हैं व सौभग्यशाली रहे कि प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल से पिछले तीन वर्षों में उनके पूर्णप्रमति की यात्राओं के दौरान सीखने को मौका मिला। इन्होंने कविसम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण के उपन्यास को तेलुगु से अंग्रजी में अनुवाद किया उसकी समीक्षा स्वामी ज्ञान स्वरूप् सानंद ने की जिसमें उन्होंने उपन्यास के नर्म ह्यदय वाले नायक के अनुभवों के साथ अपने जीवन के अनुभवों को पांच दिनों में साझा किया।

***

(नीचे दिया गया साक्षात्कार 15 अगस्त, 1977, में जब प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल आई.आई.टी. छोड़ रहे थे तब छात्रों द्वारा सम्पादित एक पत्रिका प्रतिबिम्ब में छपा था।)

हम तो जाते अपने गांव
(अलविदा डॉ. गुरुदास अग्रवाल)

आई.आई.टी. के छात्रों की पत्रिका प्रतिबिम्ब की ओर से
अंक 1, वर्ष 1
15 अगस्त, 1977

हमारी फैकल्टी के सबसे पुराने सदस्यों में से एक डॉ. जी.डी. अग्रवाल (सिविल इंजीनिरिंग) ने मार्च 1961 से लेकर अब तक संस्थान में कार्य करने के पश्चात् इसी एक अगस्त को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। वार्तालाप शुरू करते हुए उन्होंने बताया कि, "मैंने अध्यापन जीविकोपार्जन के लिए नहीं अपनाया था। मुझे अपने काम में संतोष मिलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन की ओर से बढ़ते हुए दबाव व और स्वतंत्रता पर आघात के कारण मुझे यह महसूस हुआ है कि अब मैं यहां रहते हुए कोई अर्थपूर्ण कार्य नहीं कर सकूंगा। मुझे अब यहां रहने की बहुत बड़ी कीमत अपनी मानसिक अशांति के रूप में चुकानी पड़ रही है। जिसे अदा करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। सभी शिक्षण संस्थानों का यही हाल है - इसलिए किसी अन्य शिक्षण संस्थान में भी नहीं जाऊंगा। गांव जाकर खेती करने का विचार है - इसके अलावा परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"

संस्थान का शिक्षा स्तर

शैक्षणिक स्तर के विषय में डॉ. अग्रवाल का विचार था कि पिछले 4-5 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। पर डॉ. भट्टाचार्य के आने के बाद हर स्तर पर उच्च स्तरीय नौकरशाही ने इस सुधरते स्तर का रुख बदल दिया है, और संस्थान का सारा ध्यान और गतिविधियां बॉस को खुश करने में सिमट गई हैं। डॉ. केलकर के समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय रिसर्च के लिए बहुत स्वतंत्र वातावरण था, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव था और अब इच्छा शक्ति है पर स्वतंत्र वातावरण नहीं।

"जहां तक रिसर्च का भारतीय संदर्भ से जुड़े होने का सवाल है मैं यह समझता हूं कि यहां प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय सैद्धांतिक काम होता है, जिसका भारत के लिए कोई विशेष लाभ नहीं है। और फिर मक्खी एक सेकंड में कितनी बार पंख फड़फड़ाती है यह भी तो रिसर्च की ही कोटि में गिना जाता है।"

प्रशासन

प्रशासन से मतभेद के संदर्भ में उन्होंने सिर्फ यह बताया कि आजकल यहां प्रजातांत्रिक ढांचा बिलकुल समाप्त हो गया है और सिर्फ एक आदमी की सत्ता है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि, "पहले हमारे यहां जो विभागाध्यक्ष चुनने की विधि थी (शिक्षकवर्ग द्वारा) उसे दूसरे संस्थान भी अपनाने लगे थे लेकिन डॉ. भट्टाचार्य ने उसे यहां खत्म कर दिया। अब विभागाध्यक्ष निदेशक द्वारा चुने जाते हैं। विभिन्न कमेटियों में होने वाले विचार-विमर्श का कोई मूल्य नहीं रह जाता। क्योंकि इनमें निदेशक महोदय के अपने आदमी ही घुसे हुए हैं। सर्वत्र नौकरशाही व्याप्त है। किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण उसके उचित या अनुचित के आधार पर न होकर इस आधार पर होता है कि वह संस्थान के नियमों के अनुकूल है या प्रतिकूल। नियम मेरे लिए ब्रह्मवाक्य नहीं है।"

सुधार

सुधार करने की इच्छा हो तो नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम विकास को महत्व देने का लक्ष्य अपनाया जाए तो यह सम्भव है कि प्रति वर्ष 30 नए फैकल्टी मेम्बर्स में से 10 ऐसे

चुने जाएं जो ग्राम विकास के लिए समर्पित हों, लेकिन ये लोग तो नियम को ही ब्रह्मवाक्य मानकर प्रकाशित पर्चों के आधार पर चुनाव करेंगे तो इस बात की आशा कैसे की जा सकती है कि लक्ष्य की पूर्ति हो? परन्तु व्यक्तिगत स्वार्थ के मुद्दों पर नियमों की अवहेलना करते हुए इन्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता। सुधार के लिए महत्व इस बात का नहीं है कि किस तरीके या किस विचारधारा को अपनाया जाए बल्कि सिर्फ इसका है कि उच्च स्तर के अधिकारी संस्थान के लक्ष्यों के प्रति कितने प्रतिबद्ध और जिम्मेदार हैं। यदि कोई उच्च पदाधिकारी लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देता है तो उसे दण्ड दिया जाए या पदच्युत किया जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संस्थान में हो रही गतिविधियों को देखें तो स्पष्ट लगेगा कि उच्च अधिकारी लक्ष्यों को पूरी तरह भूलकर अपना किचन कैबिनेट बनाने में व्यस्त हैं।

इमर्जेंसी के बाद

देश में इमर्जेंसी के बाद कुछ परिवर्तन अवश्य आया है किंतु संस्थान में स्थिति वैसी की वैसी है। पहले जो चुप थे वे आज भी चुप रहना पसंद करते हैं। पहले भी यहां एक आदमी की बात चलती थी, अब भी उसी एक आदमी की बात चलती है। इसी संदर्भ में कर्मचारी आंदोलन के विषय में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अंश तो जनतांत्रिक प्रणाली के लिए है पर मूलतः निजी मांगों पर जोर है जैसे कि मालिक-नौकर सम्बंध में होता है।

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा पद्धति के सुधार की प्रक्रिया में छात्रों की भूमिका के बारे में आपने कहा कि बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने का काम ऊपर वालों का है। यदि शिक्षक वर्ग शिथिल है तो निदेशक सही दिशा प्रदान करें। यदि निदेशक भ्रष्ट हों तो अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नरस् कदम उठांए। यदि वह भी रूचि न लें तो शिक्षा मंत्री उस ओर ध्यान दें। और अगर छात्र चाहें भी तो क्या कर सकते हैं। वे सिर्फ शोर मचा सकते हैं।

साक्षात्कार कर्ता

नरेश कुमार शर्मा (उस समय बी.टेक. मेकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र, 1979 में डिग्री पूरी की, वर्तमान में अर्थशास्त्र विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व डीन)

राजेन्द्र कुमार बोर्डिया (उस समय बी.टेक. मेकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र, 1979 में डिग्री पूरी की, वर्तमान में मटेरियल साइंसेस व इंजीनिरिंग विभाग, क्लेमसन विश्वविद्यालय, साऊथ कैरोलाइना, अमरीका में प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष)

***

जी.डी. की यह स्मृति करीब 40 वर्ष पुरानी है जो उनके सिविल इंजीनियरिंग के उप-विषयों के ज्ञान, सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पर मजबूत पकड़, व उसका अन्य ज्ञान की धाराओं जैसे परिस्थितिकी से अंतर्सम्बंध और पर्यावरण व विकास के द्वैत से पार पाने का साक्ष्य है।

यह याद शहडोल में हमारे अनुभव, जहां मैं, दुनु रॉय, सुधीन्द्र शेषादिरी व अरविंद गुप्ता व अन्य गैर तकनीकि पृष्ठभूमि के लोगों के साथ काम करते थे, पर आधारित है। यह अध्ययन योग्य उदाहरण है कि हम सिर्फ ज्ञान की क्षमता के आधार पर संसाधनों के अभाव में भी कितना कुछ कर सकते हैं।

हम समूह के रूप में जिला स्तर के विस्तृत आंकड़ों के आधार पर, जो हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए थे, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का पर्यावरण नियोजन कर रहे थे। जी.डी. अपने को इस समूह का हिस्सा मानते थे और अक्सर आ जाते थे और हमसे तीव्र बहस करते थे जिससे हम स्थानीय परिवेश का विभिन्न दृष्टिकोणों से सतत मूल्यांकन करते रहते थे। यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हममें से दो विद्युत अभियांत्रिकी, एक रसायनिक अभियांत्रिकी और एक यांत्रिक अभियांत्रिकी पृष्ठभूमि से थे, सिविल से कोई नहीं था। इसलिए बहस इन विषयों से ऊपर उठकर ही हो सकती थी, हलांकि जी.डी. जो हम सबसे उम्र में बड़े थे, धैर्यपूर्वक अपने ज्ञान के बारे में बुनियादी स्तर से सिखाते थे।

हमें यह ध्यान देना होगा कि बात हम उस दौर की कर रहे हैं कि जब अभी भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन नहीं हुआ था और न ही पदार्थ की तीन अवस्थाओं के प्रदूषण - वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - को लेकर कोई कानून थे। जिस तरह से हम प्राकृतिक जंगल में भटक रहे थे उसी तरह हम बौद्धिक जंगल में भी भटक रहे थे जो ज्यादा चक्कर में डालने वाला था।

एक दिन 1979 में जी.डी. सुबह सुबह अचानक प्रकट हुए, बताया कहीं जाने के लिए हमारे पास से गुजर रहे थे सो सोचा कि आ जाएं। इस बात की परवाह किए बगैर कि हममें से कोई वहां न था उन्होंने तय किया कि अपने समय का सदुपयोग करने के लिए वे उस इच्छा को मूर्त रूप देंगे जो काफी दिन से उनके दिमाग में थी कि स्थानीय स्तर पर सिंचाई हेतु कुछ करना चाहिए। वे हमसे काफी दिनों से कह रहे थे कि इलाके में कृषि विकास को बढ़ावा देने व स्थायित्व पैदा करने के लिए छोटे व विकेन्द्रित बांध व नहरें बनानी चाहिएं। हमसे कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद ही चीजों को अपने हाथ में लेने का फैसला लिया।

अगले दिन सुबह छह बजे जी.डी. काम शुरू करने को तैयार थे। उन्होंने पहले जल बहाव की दृष्टि से पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की योजना बनाई। ग्यारह बजे तक पूरा क्षेत्र, जिसमें कुछ नदियां भी पड़ती थीं, का दौरा कर लौट आए। उनके पास कोई उपकरण नहीं था, यहां तक लिखने के लिए कोई कागज भी नहीं।

अब उन्होंने इलाके का एक नक्शा, एक ग्राफ पेपर, एक ड्राइंग पेपर, एक पेंसिल व एक मिटाने वाला रबर मांगा। हलांकि मैं चकित था लेकिन उनको यह सब उपलब्ध करा पाया क्योंकि जी.डी. के औजार हमें मालूम थे।

जो नक्शा हमारे पास उपलब्ध था जिसमें एक मील को एक इंच में दिखाया गया था, उस समय भारत सरकार के सर्वे ऑफ इण्डिया से आसानी से नहीं मिल सकता था। सौभाग्य से लंदन की एक किताब की दुकान से खरीद कर हमें मिल गया था। जी.डी. इस नक्शे को पाकर बहुत खुश हुए।

जी.डी. काम पर लग गए। शाम तक उन्होंने पूरे इलाके का जल प्रवाह क्षेत्र, बांध बनाने के उपयुक्त बिंदु, भूगर्भीय दृष्टि से बांध की ऊंचाई, जल भण्डारण क्षेत्र, दोनों किनारों पर नहर व सिंचाई का क्षेत्र बना डाला। अब सिर्फ उन्हें इलाका में वर्षा के आंकड़े चाहिए थे।

अगली सुबह तक जी.डी. ने देश के एक पिछड़े जिले के एक अर्द्ध अकाल ग्रसित इलाके के कुछ हजार एकड़ के लिए कृषि को स्थायित्व देने के लिए एक सिंचाई योजना बना डाली। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणियों के साथ एक हस्त लिखित आख्या भेजी।

सबसे हतप्रभ करने वाली बात यह थी के जी.डी. ने एक इलाके की लघु सिंचाई योजना एक दिन में बना डाली जिसको बनाने में किसी नौकरीशाही को शायद सालों लगते।

कुछ चीजें मैंने सीखीं, हलांकि बाहर रहकर। कई वर्षों बाद जब मैंने भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.) के साथ काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि जी.डी. हजारों ऐसी योजना पूरे देश के लिए बना सकते थे यदि उनके पास एक कम्प्यूटर व आंकड़े उपलब्ध होते। मेरी जानकारी में अभी भी यह काम होना बाकी है। यह दिखाता है कि हमारी नौकरशाही कितनी अकार्यकुशल है और 70 सालों बाद भी देश के विकास में बाधा बनी हुई है।

कई सालों के बाद राजेन्द्र सिंह को सुनते हुए मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने राजस्थान में जिन जोहड़ का निर्माण करवाया उनके स्थान व आकार का सुझाव जी.डी. से मिला था। राजेन्द्र सिंह ने मुझे जी.डी. के मूल लिखित दस्तावेज भेजे। इस बात का काफी प्रसार हुआ है कि इस तरह के प्रयास लोगों के पारम्परिक ज्ञान के आधार पर हुए हैं जबकि हकीकत है कि उसमें जी.डी. के माध्यम से आधुनिक विज्ञान का भी योगदान है।

आखिरी में महाराष्ट्र के असफल सिंचाई अनुभव से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में जनता के रुपए 70,000 करोड़ खर्च कर भी हम सिंचित क्षेत्र का सिर्फ 1 प्रतिशत विस्तार कर पाए जबकि किसानों की आत्महत्याएं जारी हैं। जलवायु परिवर्तन से स्थिति और बिगड़ने वाली है।

जी.डी. जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव को नकारने की इस देश को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। भविष्य की अभियंताओं की पीढ़ी को तो उनके जैसा दिशा निर्देश देने वाला कोई उपलब्ध भी नहीं होगा। उनके जाने से हम सबका बहुत नुकसान हुआ है।

-संजीव घोटगे, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के पूर्व छात्र, पूर्व प्रोफसर, सेण्टर फॉर एपलाइड सिम्टम्स एनालिसिस इन डेवलपमेण्ट, पुणे व वरिष्ठ फेलो व प्रमुख, सेण्टर फॉर क्लाइमेट एण्ड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, पुणे

***

प्रोफेसर गुरुदास अगवाल

मैं प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल (जीडीए) से पहली बार जुलाई 1961 में मिला जब मैंने 16 वर्ष की उम्र में आई.आई.टी. कानपुर में पहले वर्ष के छात्र के रूप में प्रवेश किया। हमें नवाबगंज में एक छात्रावास में रखा गया था, जो शायद 1947 के पहले किसी अंग्रेज अधिकारी का बंगला रहा होगा क्योंकि उसका वास्तुशिल्प औपनिवेशिक था। जीडीए हमारे पहले वार्डन थे। वे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की नौकरी छोड़ कर आए थे। उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। इस बंगले में केन्द्रीय गलियारे के दोनों ओर 4 कमरे थे, कुल 8 कमरे और 16 छात्र यहां रहते थे।

जीडीए हमें सुबह साढ़े पांच बजे उठा देते थे, जो हमें अखरता था, और पास एक मैदान में शारीरिक अभ्यास के लिए ले जाते। किंतु चूंकि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में बड़े हुए हैं हमने बिना कोई प्रश्न खड़ा किए इसे स्वीकार कर लिया, और यह मेरे जैसे आरामपंसद लोगों के लिए ठीक भी था, हलांकि मैं कक्षा 10 तक क्रिकेट खेलता था। इस उम्र में दोस्ती जल्दी हो जाती है, आज भी मैं अपने उन दिनों के ज्यादातर सहपाठियों के साथ सम्पर्क में हूं। मेरी दृष्टि में जीडीए एक अनुशासन पंसद व्यक्ति थे। वे हमसे दूरी बना कर रखते थे और कभी भी फालतू बात नहीं करते थे।

हमारे दूसरे वर्ष में जीडीए ने एक पदयात्रा का आयोजन किया हमारे निर्माणाधीन परिसर तक, शायद वह भूमिपूजन का अवसर था, लेकिन हममें से ज्यादातर के लिए वह 9 किलोमीटर की पदयात्रा काफी भारी लग रही थी। स्पष्ट है कि हम शारीरिक श्रम के आदी नहीं थे किंतु मुझे आश्चर्य हुआ कि हम यह दूरी चल पाए, मैं थक गया लेकिन बहुत नहीं। बाद में मैंने अपने जीवन में कई बार 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और मैं एक धावक बन गया किंतु उस दिन जीडीए हमें एक कठोर अनुशासक के रूप में ही नजर आए। मेरी जिंदगी में जो भी अनुशासन आया उसमें जीडीए का हमें सुबह सुबह अभ्यास पर ले जाने का बड़ा योगदान है।

हमारे आई.आई.टी. कानपुर के नए परिसर पर जाने के कुछ दिन बाद ही जीडीए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले पर्यावरण अभियांत्रिकी में शोध करने चले गए। फिर वे मुझे आई.आई.टी. परिसर पर नहीं दिखाई पड़े जहां से 1966 में पढ़ाई पूरी कर निकल गया। उन्होंने लौट कर कुछ वर्षों आई.आई.टी. में पढ़ाया और फिर नौकरी छोड़ परिस्थितिकी, खासकर नदियों, पर काम करने लगे।

मैंने 1966 के बाद अपना ज्यादातर समय बर्कले, कैलिफोर्निया में गुजारा और यहीं पर जीडीए से मेरी दूसरी मुलाकात '90 के दशक के शुरू या मध्य में हुई जहां वे एक कांफ्रेंस में भाग लेने आए थे। वे मेरे साथ एक दिन रहे और हम आस-पास के प्राकृतिक वातावरण में घूमने गए। उन्हें मेरी पत्नी का ताजा रोटी बना कर खिलाना बहुत पसंद आया जिसका उन्होंने जिक्र किया। अब वे मेरे लिए अनुशासक नहीं थे किंतु फिर भी एक शिक्षक के रूप में मेरे लिए वे सम्मानित थे। मुझे मालूम था कि अब वे भारत के जाने माने पर्यावरणविद् बन गए थे लेकिन उनका जीवन उसी प्रकार सरल और उपभोक्तावाद से दूर था जैसा हमने तीन दशक पहले देखा था।

आखिरी बार जीडीए 2002 में मुझसे मिलने कानपुर के एक अस्पताल में आए थे। मैं अपनी भारत यात्रा के दौरान गम्भीर रूप से बिमार पड़ गया था और मुझे भर्ती कराया गया था। अब वे सेवा निवृत हो चुके थे और मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रह रहे थे। जीडीए हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे यह मुझे मालूम था। उन्होंने पानी व वायु के प्रदूषण मापने वाले उपकरण के निर्माण हेतु एक कम्पनी स्थापित कर उसे चलाया और फिर अपने सहयोगियों को सौंप दिया। मैं बहुत कमजोर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। जब जीडीए कमरे में प्रवेश किए, उन्होंने अपना हाथ करुणापूर्वक मेरे माथे पर रखा, मुझे लगा कि ये मेरे अनुशासक वार्डन नहीं मेरे पिताजी समान हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि उनके अंदर कितनी आत्मीयता और मानवता भरी पड़ी है जो बाद में उनके नदी परिस्थितिकी के लिए आंदोलन में भी मुख्य कारक रही। भारतीय नदियों, जिसमें गंगा उनका सबसे बेहतर प्रतीक है क्योंकि वह भारतीय सभ्यता की स्रोत व पोषक है, को प्रदूषण से बचाना हमारे सामने परिस्थितिकी के लगातार होते ह्रास को रोकने की चुनौती का हिस्सा है।

- राजेन्द्र सहाय, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के पूर्व छात्र

***

वैज्ञानिक एवं तपस्वी

जी.डी. अगवाल गंगा के प्रति सामूहिक चेतना जगाने के लिए जीए और मरे।

भारत ने सही अर्थों में अपना गंगापुत्र स्वामी सानंद, जैसा कि प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल को जाना जाता था, सरकार से गंगा के संरक्षण हेतु कार्यवाही की मांग करते हुए अपने अनशन के 112वें दिन, 11 अक्टूबर को खो दिया।

जीडी, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से कहते थे, एक अच्छे और अनोखे इंसान थे। 2011 में साधु बनने से पहले उनके खादी के कपड़ों से उनकी तर्कशील बुद्धि, व्यापक ज्ञान व उपलब्धियों का अंदाजा नहीं होता था। उन्होंने 1950 में उ.प्र. सरकार के सिंचाई विभाग में अभिकल्प अभियंता के रूप में नौकरी शुरू की व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष बने और फिर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव और इसके अलावा भारत की पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी समितियों में रह कर नीति निर्माण व नियंत्रक व्यवस्थाएं बनाने के काम में सहयोग किया।

जीडी साधारण जीवन व उच्च विचार के प्रतीक थे। उनके जीवन के आखिरी 25 वर्षों का बड़ा हिस्सा चित्रकूट में बीता जहां वे महात्मा गांधी ग्रामीण विश्वविद्यालय में मानद् प्रोफेसर बन गए थे। ये उत्कृष्ट वैज्ञानिक अपने 200 वर्ग फीट की साधारण सी झोपड़ी में खुद झाड़ू लगाते थे, कपड़े धोते थे व खाना बनाते थे। ये साइकिल, राज्य परिवहन की साधारण बस अथवा रेल के द्वितीय श्रेणी डिब्बे में सफर करते थे।

आई.आई.टी. के ही एक भूतपूर्व छात्र के अनुसार वे भारत के पहले तकनीकी रूप से दक्ष पर्यावरणविद् थे। रुड़की विश्वविद्यालय (अब आई.आई.टी. रुड़की) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के एम.एस. व पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं। दिल से जीडी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सिद्धांत से ज्यादा उनकी रुचि

सम्भावित समाधानों में थी। उन्होंने विकास के मुद्दे पर काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए। जाने माने नामों में दुनु रॉय (आई.आई.टी. मुम्बई, '67) जो फ्रिया की भारतीय शाखा के पहले प्रमुख थे, जिन्होंने सृजनात्मक विदूषक कारखाना स्थापित किया और फिर नई दिल्ली में हजार्डस् सेण्टर स्थापित किया, अनिल अग्रवाल (आई.आई.टी. कानपुर, '70), जिन्होंने ने नई दिल्ली में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र स्थापित किया और जलपुरुष राजेन्द्र सिंह।

2007 में गंगोत्री में गंगा मंदिर की यात्रा पर उनको मनेरी भाली 1 के अलावा टिहरी बांध से ऊपर चार और प्रस्तावित बांधों की श्रंखला का पता चला। उनको समझ में आया कि गंगा के एकमात्र मौलिक हिस्से को ये चार बांध बरबाद कर देंगे। अन्य विकल्पों पर विचार करने के बाद 14 अप्रैल, 2008 को जीडी ने घोषणा की कि मध्य जून से वे आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक कि गंगा पर गंगोत्री से लेकर मनेरी तक सभी बांधों पर काम रोक नहीं दिया जाता।

उनके पहले अनशन में बांधों से पर्यावरणीय प्रवाह का मुद्दा पनबिजली उत्पादन के संदर्भ में केन्द्र में आया। इसके बाद गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। उनके 2009 में दूसरे अनशन से राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना हुई। 2010 के तीसरे अनशन ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने गंगोत्री व उत्तरकाशी के बीच तीन परियोजनाओं को रद्द किया और भागीरथी को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया।

2018 में चार वर्ष इंतजार करने के बाद स्वामी सानंद ने नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी और उन्हें याद दिलाया कि वाराणसी लोक सभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि, "मां गंगा ने मुझे बुलाया है" उन्होंने प्रधान मंत्री के सामने चार मांगे रखीं और उन्हें अवगत कराया कि यदि ये मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 22 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनकी मांगें थीं, (1) 2012 में गंगा महासभा द्वारा गंगा के संरक्षण हेतु जो बिल तैयार किया गया था उस आधार पर संसद में एक समग्र बिल पेश करें; (2) गंगा और उसके ऊपरी हिस्से में छह सहायक नदियों पर सभी प्रस्तावित व निर्माणाधीन बांधों को रोका जाए; (3) गंगा की मुख्य धारा में नदी में होने वाले खनन को रोका जाए; (4) एक प्रतिबद्ध एवं काबिल लोगों का स्वायत्त समूह तैयार किया जाए जो गंगा के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले सके।

प्रधान मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। 9 सितम्बर को उन्होंने घोषणा कर दी कि 9 अक्टूबर से वे पानी भी छोड़ देंगे। सरकार के उच्च अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं से वार्ता विफल रहीं। फौलादी इच्छा शक्ति वाले प्रोफेसर स्वामी सानंद ने बलिदान होने का रास्ता चुना इस उम्मीद में कि सरकार या भारत की जनता की अंतरात्मा शायद जागृत हो।

-रवि चोपड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के निकट के सहयोगी (यह लेख इण्डियन एक्सप्रेस में छपा था)

परिशिष्ट 1: प्रोफेसर गुरु दास अग्रवाल का जीवन चित्र

जन्मः 20 जुलाई, 1932, सम्भवतः कांधला, मुजफ्फरनगर में जहां के वे रहने वाले थे

स्नातक की शिक्षाः सिविल इंजीनियरिंग, रुड़की विश्वविद्यालय, 1953

उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के लिए अभिकल्प अभियंता के रूप में कार्य किया, 1954-60

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के सिविल व पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग में अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया, 1 मार्च, 1961

प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत, 2 दिसम्बर, 1971

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से त्यागपत्र, 2 दिसम्बर, 1977

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य-सचिव

निदेशक, इन्वायरोटेक इंस्ट्रूमेण्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड

मानद् प्रोफेसर, पर्यावरणीय विज्ञान, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय, चित्रकूट, मध्य प्रदेश

पहला अनशनः 13 से 30 जून, 2008

दूसरा अनशनः 14 जनवरी से 20 फरवरी, 2009

तीसरा अनशनः 20 जुलाई से 23 अगस्त, 2010

चौथा अनशनः 14 जनवरी से 16 अप्रैल, 2012, इलाहाबाद में फलाहार, हरिद्वार में नींबू पानी पर, वाराणसी में निराजल जिसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया

पांचवां अनशनः 13 जून से 13 अक्टूबर, 2013

छठा अनशनः 22 जून से 11 अक्टूबर, 2018

मृत्युः 11 अक्टूबर, 2018, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में ह्यदय आघात से

परिशिष्ट 2: मातृ सदन द्वारा आयोजित अनशनों की सूची

1. 3-16 मार्च, 1998: कुम्भ क्षेत्र को क्रशिंग व खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कराने तथा गंगा की धारा से वाहनों के आने-जाने पर रोक लगाने के लिए स्वामी गोकुलानंद सरस्वती व स्वामी निगमानंद सरस्वती द्वारा
2. 27 मई से 9 जून, 1998: गंगा से वाहनों के आने-जाने पर रोक लगाने की मांग के लिए स्वामी निगमानंद सरस्वती व स्वामी गुणानंद सरस्वती द्वारा
3. 1-9 जून, 1998: प्रशासन की बर्बरता के खिलाफ स्वामी गोपिलानंद द्वारा
4. 9-21 जनवरी, 2000: ईमानदार प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की बहाली व माफिया राज की समाप्ति के लिए स्वामी निखिलानंद सरस्वती व ब्रह्मचारी दिव्यानंद द्वारा
5. 7-18 फरवरी, 2000: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भ्रष्ट न्यायाधीश के खिलाफ नैनी जेल में स्वामी गोकुलानंद सरस्वती, स्वामी निखिलानंद सरस्वती, स्वामी गोपिलानंद सरस्वती व ब्रह्मचारी मनोहर दास द्वारा
6. 9-18 फरवरी, 2000: उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सामने बैठे संतों को उठा लेने के बाद स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा हरिद्वार में
7. 11-29 जुलाई, 2000: ईमानदार अधिकारियों की बहाली व स्वच्छ, स्पष्ट व पारदर्शी स्थानांतरण नीति के लिए स्वामी गोकुलानंद सरस्वती व ब्रह्मचारी नरेशानंद द्वारा
8. 19-29 जुलाई, 2000: प्रशासन के अमर्यादित व्यवहार के विरुद्ध ब्रह्मचारी दिव्यानंद द्वारा
9. 12 अगस्त से 4 सितम्बर, 2000: प्रशासन द्वारा मुख्य मंत्री से मिलाने का वायदा कर न मिलाने पर स्वामी गोकुलानंद सरस्वती व स्वामी सच्चिदानंद द्वारा

10. 26 अगस्त से 4 सितम्बर, 2000: प्रशासन की अभद्रता के खिलाफ ब्रह्मचारी मनोहर दास द्वारा
11. 5-24 सितम्बर, 2000: स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू करने पर 7 सितम्बर को उन्हें सभी संतों के साथ जेल में डाल दिया, जेल में सभी अनशन पर रहे, स्वामी शिवानंद को आर्सेनिक जहर दिया गया
12. 24 जुलाई, 2001 से 9 जनवरी 2002: स्वामी शिवानंद को जेल में दिए गए जहर की सी.बी.आई. जांच की मांग के लिए स्वामी गुणानंद सरस्वती व ब्रह्मचारी दिव्यानंद द्वारा, सत्याग्रहियों को 15 अगस्त को जेल भेज दिया गया
13. 11 अगस्त, 2001 से 9 जनवरी 2002: सत्याग्रहियों को जबरदस्ती उठा ले जाने के विरुद्ध स्वामी गोपिलानंद द्वारा
14. 5 सितम्बर से 30 अक्टूबर, 2001: उ.प्र. से अलग हुए उत्तरांचल के प्रथम मुख्य मंत्री स्वामी नित्यानंद को भ्रष्टाचार की वजह से हटाने की मांग को लेकर स्वामी गोकुलानंद सरस्वती द्वारा जंतर-मंतर, नई दिल्ली में
15. 6 दिसम्बर, 2001: तत्कालीन मुख्य मंत्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मातृ सदन आकर वायदा-खिलाफी के विरुद्ध स्वामी सच्चिदानंद द्वारा गांधी पार्क, देरादून में
16. 22 दिसम्बर, 2001 से 4 मार्च, 2002: स्वामी शिवानंद को जेल में दिए गए जहर की सी.बी.आई. जांच की मांग के लिए स्वामी निगमानंद सरस्वती द्वारा
17. 8-22 अप्रैल, 2003: ध्वनि प्रदूषण विरोधी माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश के अनुपालन हेतु ब्रह्मचारी दिव्यानंद द्वारा
18. 6-12 अप्रैल, 2004: अर्द्धकुम्भ 2004 में अव्यवस्था व भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा
19. 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2007: मातृ सदन से सुरक्षा हटाए जाने की जांच की मांग के लिए स्वामी निगमानंद सरस्वती द्वारा
20. 10-26 मई, 2007: मातृ सदन की सुरक्षा, खनन, वन व भू माफिया की जांच की मांग के लिए स्वामी गोपिलानंद सरस्वती द्वारा
21. 22 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2007: कुम्भ क्षेत्र में खनन के विरुद्ध स्वामी गोपिलानंद सरस्वती द्वारा
22. 20 जनवरी से 1 अप्रैल, 2008: कुम्भ क्षेत्र को क्रशिंग व खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कराने के लिए स्वामी निगमानंद सरस्वती द्वारा

23. 6 फरवरी से 7 मार्च, 2009: कुम्भ क्षेत्र को क्रशिंग व खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कराने के लिए ब्रह्मचारी दयानंद द्वारा
24. 15 अक्टूबर, 2009 से 26 मार्च, 2010: कुम्भ क्षेत्र को क्रशिंग व खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कराने के लिए ब्रह्मचारी दयानंद द्वारा
25. 27 अक्टूबर से 18 नवम्बर, 2009: कुम्भ क्षेत्र को क्रशिंग व खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कराने के लिए ब्रह्मचारी यजनानंद द्वारा
26. 18 नवम्बर, 2009 से 9 जनवरी, 2010: कुम्भ क्षेत्र को क्रशिंग व खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कराने के लिए स्वामी पूर्णानंद द्वारा
27. 20 जनवरी से 6 फरवरी, 2010: कुम्भ क्षेत्र को घटाने के विरोध में, शासन-प्रशासन ने कुम्भ क्षेत्र को सुरक्षित रखने की मांग के लिए 15 अक्टूबर, 2009 से 26 मार्च, 2010 तक चले आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, संतों पर फर्जी मुकदमे हुए, जेल में उत्पीड़न हुआ, 5 फरवरी, 2010 को 1998 की स्थिति बहाल की गई
28. 20 जुलाई से 24 अगस्त, 2010: प्रोफेसर गुरु दास अगवाल/स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद द्वारा गंगा संरक्षण हेतु तीन बांधों पाला मनेरी, लोहारी नाग पाला व भैरोंघाटी रद्द कराया
29. 18 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2010: कुम्भ क्षेत्र को सुरक्षित रखने, अवैध खनन व क्रशिंग पर प्रतिबंध हेतु स्पष्ट आदेश की मांग को लेकर स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा
30. 28 जनवरी से 19 फरवरी, 2011: उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के दो भ्रष्ट न्यायाधीशों व रजिस्ट्रार, जुडीशियल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के लिए ब्रह्मचारी यजनानंद द्वारा
31. 19 फरवरी से 13 जून, 2011: भ्रष्ट न्यायायिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के लिए ब्रह्मचारी यजनानंद का अनशन खत्म करवा स्वामी निगमानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया अनशन उनकी मौत का कारण बना, उन्हें खनन माफिया व प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी अस्पताल में आर्गेनोफास्फेट का इंजेक्शन देकर मारा गया
32. 30 जुलाई से 14 अगस्त, 2011: स्वामी निगमानंद सरस्वती की हत्या की सी.बी.आई. जांच की मांग के लिए स्वामी पूर्णानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, सी.बी.आई. की केन्द्रीय प्रवक्ता धारिणी मिश्र द्वारा डॉ. विजय वर्मा को एसएमएस द्वारा जांच बैठाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर अनशन समाप्त हुआ

33. 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 2011: पूरी गंगा में खनन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध की मांग के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा, 5 दिसम्बर को शासनादेश जारी हुआ
34. 8 फरवरी से 8 मार्च, 2012: भागीरथी, अलकनंदा व मंदाकिनी पर निर्मित व निर्माणाधीन सभी बांधों को निरस्त किए जाने की मांग के लिए स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद द्वारा, 8 मार्च को स्वामी जी तपस्या जारी रखते हुए वाराणसी को प्रस्थान कर गए
35. 6 अगस्त से 10 सितम्बर, 2012: पांच सूत्रीय मांगों, जिसमें स्वामी निगमानंद की हत्या की निष्पक्ष जांच व कुम्भ क्षेत्र के विस्तार प्रमुख थीं, स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, शासन द्वारा कुम्भ मेला प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010 के अनुसार पत्र जारी हुआ
36. 10 दिसम्बर, 2012 से 13 जनवरी, 2013: बिशुनपुर व भोगपुर में बिना ई.आई.ए. के खनन के विरुद्ध स्वामी पूर्णानंद सरस्वती द्वारा, 22 दिसम्बर को उन्हें भा.द.सं. की धारा 309, आत्महत्या के प्रयास, में गिरफ्तार किया गया। डॉ. वर्मा द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर, सरकार को अवमानना की नोटिस, खनन बंद हुआ, 19 जनवरी को स्वामी पूर्णानंद जमानत पर रिहा हुए, पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की, प्रवर न्यायालय में आश्रम ने उसे चुनौती दी, 11 अप्रैल को न्यायालय ने मामले को झूठा पाया और स्वामी पूर्णानंद सम्मान उन्मोचित हुए
37. 22 दिसम्बर, 2012 से 19 जनवरी, 2013: 3-4 दिन में एक बार आहार व दिन में एक बार फल पर स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा
38. 13 जून से 12 अक्टूबर, 2013: भागीरथी, अलकनंदा व मंदाकिनी पर निर्मित व निर्माणाधीन सभी बांधों को निरस्त किए जाने की मांग के लिए स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद द्वारा शुरू किया गया, 1 अगस्त को पुलिस द्वारा छल से धारा 309 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया, 9 अगस्त को रात 1 बजे पुनः जिला कारागार लाया गया, 19 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले उनको रिहा करने का आदेश दिया, 22 अगस्त को मातृ सदन पहुंच अनशन जारी रखा, शासन, प्रशासन व केन्द्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैए से 100 दिनों के अनशन के बाद जल त्याग की घोषणा, 24 सितम्बर को प्रशासन ने दून अस्पताल में भर्ती कर नाक के रास्ते नली से तरल पदार्थ

दिया, 12 अक्टूबर को वृंदावन जाकर स्वामी जी ने औपचारिक रूप से अनशन समाप्त किया

39. 14 फरवरी से 14 मार्च, 2014: खनन के विरुद्ध व स्वामी निगमानंद की हत्या की जांच के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू, 9 मार्च को उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वामी निगमानंद की मौत की जांच हेतु विशेष जांच दल के गठन का शासनादेश जारी किया व 14 मार्च को उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क की सीमा के दस किलोमीटर के अंदर खनन बिना एन.बी.डबलू.एल. की अनुमति के नहीं हो सकता ऐसा आदेश जारी किया
40. 14 जुलाई से 27 जुलाई, 2014: स्टोन क्रशर व खनन पर हमेशा के लिए रोक की मांग के लिए ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, जिलाधिकारी का लिखित आश्वासन प्राप्त
41. 27 अगस्त से 16 सितम्बर, 2014: स्टोन क्रशर पर रोक की मांग के लिए ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा
42. 19 फरवरी से 12 मार्च, 2015: मुख्य मंत्री हरीश रावत द्वारा सभी नियमों को ताक पर रख खनन पुनः शुरू कराया गया, इसके विरुद्ध व सम्बंधित मांगों के लिए ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, 12 मार्च को जिलाधिकारी हरीशचन्द्र सेमवाल द्वारा पिलरबंदी व अन्य कुछ शर्तों के अनुपालन न होने की दशा में पट्टा निरस्त करने का आदेश जारी किया गया, एस.डी.एम. वीर सिंह बुधियाल के हाथों अनशन समाप्त कराया गया
43. 31 मार्च से 21 अप्रैल, 2015: कुम्भ क्षेत्र व गंगा के संरक्षण हेतु पांच मांगों को लेकर स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, जिलाधिकारी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की आख्या व राष्ट्रीय हरित न्यायालय के आदेश पर आवश्यक कार्यवाही हेतु खनन निदेशक को लिखा गया, खनन पर रोक लगी
44. 16 मई से 7 जून, 2015: जिलाधिकारी हरिश्चंद्र सेमवाल व खनन निदेशक श्रीधर बाबू अद्दांकी को निलंबित करने की मांग के लिए ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, 2 जून को अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा से वार्ता के क्रम में गंगा संरक्षण की मांगों को मान

लेने के बाद मुख्य मंत्री हरीश रावत द्वारा 7 जून को अनशन समाप्त कराया गया

45. 21 मई से 7 जून, 2015: स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, 22 मई से जल त्याग की घोषणा, 25 मई को प्रशासन द्वारा पोकलैण्ड मशीनों को गंगा क्षेत्र से बाहर निकालने के निर्णय पर एलेक्ट्रॉल ग्रहण किया, किंतु 28 मई से पुनः जल त्याग, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा द्वारा पोकलैण्ड व खनन पर प्रतिबंध के निर्णय के बाद फिर 30 मई एलेक्ट्रॉल ग्रहण किया, 2 जून को राकेश शर्मा से वार्ता के क्रम में गंगा संरक्षण की मांगों को मान लेने के बाद मुख्य मंत्री हरीश रावत द्वारा 7 जून को अनशन समाप्त कराया गया
46. 22-23 अक्टूबर, 2015: ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध की मांग के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा
47. 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 2015: गंगा में खनन के दोषी के विरुद्ध कार्यवाही व खनन सामग्री खरीदने वाले क्रशर जब्त करने की मांग के लिए ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, जिलाधिकारी द्वारा 7 दिसम्बर को खनन पर रोक लगाई गई और उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित न्यायालय के आदेशों सहित अन्य बिन्दुओं पर शासन को निर्णय लेने के लिए लिखा
48. 7 दिसम्बर, 2015 सुबह से शाम: कुम्भ मेला क्षेत्र का विस्तार प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010 के अनुसार करने व अन्य मांगों के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू करते ही प्रशासन में खलबली मची, जिलाधिकारी द्वारा कुम्भ क्षेत्र के विस्तार के सम्बंध में एक पत्र सचिव नगर विकास को लिखा गया
49. 9-19 जनवरी, 2016: मुख्य मंत्री हरीश रावत द्वारा रायवाला से भोगपुर को खनन निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए जाने का उल्लंघन करते हुए बिशुनपुर से भोगपुर खनन पुनः शुरू करने पर रायवाला से भोगपुर को खनन निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने व कुम्भ क्षेत्र का विस्तार भोगपुर तक करने की मांग के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू, हरीश रावत ने खनन बंद कराया और बंद रखने का निर्देश दिया और अगले 10 दिनों में वार्ता के बाद रायवाला से भोगपुर को खनन निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने सम्बंधी अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया
50. 15 फरवरी से 18 मार्च, 2016: कुम्भ क्षेत्र का विस्तार प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010 के अनुसार भोगपुर तक करने के लिए ब्रह्मचारी

आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, 18 मार्च को औद्योगिक विकास अनुभाग द्वारा रायपुर से भोगपुर तक खनन बंद रखने, दिए गए निजी नापभूमि के पट्टे निरस्त करने और इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु एक वैज्ञानिक दल के गठन सम्बंधी शासनादेश जारी किया गया, किंतु इससे पहले 29 फरवरी को अपर जिलाधिकारी जीवन सिंह नागन्याल, पुलिस अधीक्षक नगर नवनीत सिंह भुल्लर, उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह, पुलिस उपाधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह, थानाध्यक्ष कनखल रितेश शाह 15-20 पुलिस वालों को लेकर रात को 11 बजे आए और उनकी अनुमति के बिना उनकी सुरक्षा के लिए उनके कमरे पर लगा ताला तोड़ उनका अपहरण कर ले गए और ले जाकर दून अस्पताल में संक्रामक रोगियों के बीच स्टेचर पर रखा। 1 मार्च को 3 बजे दिन में एम्स, ऋषिकेश ले गए। 2 मार्च समाचार पत्रों से ज्ञात होने पर उन्हें वापस मातृ सदन लाया गया।

51. 29 फरवरी से 18 मार्च, 2016: कुम्भ क्षेत्र का विस्तार प्रशासनिक प्रतिवेदन 2010 के अनुसार भोगपुर तक करने के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, किंतु 7 मार्च को उपजिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह व थानाध्यक्ष कनखल रितेश शाह 15-20 पुलिस वालों को लेकर आए और आश्रम के मुख्य द्वार का ताला ताड़ा, स्वामी जी के पूजा गृह का ग्रिल व मुख्य दरवाजे से पहले लगी जाली को कटर से काटा और मुख्य दरवाजे को भी नुकसान पहुंचा स्वामी जी की तपस्या में विघ्न डाला। 18 मार्च को अपर सचिव, खनन द्वारा शासनादेश जारी कर रायपुर से भोगपुर तक खनन बंद रखने, समस्त निजी पट्टे निरस्त करने और इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु एक वैज्ञानिक दल के गठन सम्बंधी शासनादेश जारी किया गया।
52. 5-27 नवम्बर, 2016: खनन विरुद्ध ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, प्रशासन ने अनदेखा किया, स्वामी शिवानंद सरस्वती ने संयम तप में प्रवेश किया।
53. 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2016: स्वामी शिवानंद सरस्वती का संयम तप में प्रवेश, 2 दिसम्बर को जल त्याग, 6 दिसम्बर को सी.पी.सी.बी. को निर्देश
54. 14-24 मई, 2017: उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, शासन-प्रशासन की अनदेखी

55. 24 मई से 5 जून, 2017: उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, शासन-प्रशासन की अनदेखी, 28-29 मई की रात भारी पुलिस दल द्वारा हमला, गला घोंटकर मारने की कोशिश, 5 जून को गंगा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कार्यवाही हेतु कड़ा लिखित निर्देश
56. 30 अक्टूबर से 15 दिसम्बर, 2017: ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, 7 दिसम्बर को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उठाकर दून अस्पताल में ले जाकर जहर देने की कोशिश, 9 दिसम्बर एम्स, ऋषिकेश में भर्ती करा वहां भी यातना देने की कोशिश, मातृ सदन द्वारा वापस आश्रम लाकर अनशन स्थगित कराया
57. 15 दिसम्बर, 2017 से 13 जनवरी, 2018: स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया, 29 दिसम्बर को धारा 144 लागू की गई, जिला न्यायालय से 2 जनवरी को स्थगनादेश
58. 22 जून से 11 अक्टूबर, 2018: प्रोफेसर गुरु दास अगवाल उर्फ स्वामी ज्ञान स्वरूप् सानंद द्वारा गंगा संरक्षण हेतु आमरण अनशन, 10 जुलाई को प्रशासन द्वारा जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा मारने की कोशिश, उच्च न्यायालय के आदेश में छूट 23 जुलाई वापस मातृ सदन आए, 13 अगस्त को प्रशासन के अनुरोध पर एसिडिटी के इलाज हेतु एम्स, ऋषिकेश में भर्ती कराया गया, 21 अगस्त को मातृ सदन वापसी, 2 अगस्त को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड ने स्काइप के माध्यम से स्वामी जी से लैपटाप कम्प्यूटर पर बात की, 3 अगस्त की रात केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती मातृ सदन पहुंचीं व फोन पर केन्द्रीय गंगा मंत्री नितिन गडकरी से बात कराई, 10 अक्टूबर को धारा 144 लगा स्वामी जी को पुनः उठा ले गए और 11 अक्टूबर मातृ सदन के आरोप अनुसार एम्स, ऋषिकेश में उनकी हत्या की गई, मातृ सदन का आरोप है कि जब तक साधु मातृ सदन में रहते हैं उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है, अस्पताल में भर्ती कराते ही तबियत बिगड़ने लगती है।
59. 24 अक्टूबर, 2018 से 4 मई, 2019 तक: स्वामी सानंद की शहादत के क्रम में आश्रम द्वारा पूर्व में लिए फैसले के अनुसार स्वामी सानंद के संकल्प को पूरा करने के लिए 26 वर्षीय ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा शुरू किया गया, दं.अ.सं. की धारा 144 लगा कर 29 नवम्बर, 2018 को एस.डी.एम. मनीष कुमार द्वारा जबरन उठा कर ले जाया गया और एम्स, ऋषिकेश में भर्ती करा दिया, अस्पताल में कुछ आवंछित पदार्थ दिए

जाने के प्रयास के बाद ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद चिकित्सीय राय के विरुद्ध वापस आश्रम आ गए, 4 मई, 2019 को स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र के अवैध खनन को रोकने के लिखित आदेश व बांधों का काम रोकने के मौखिक आश्वासन पर अनशन समाप्त हुआ, सरकार शायद 19 मई को वाराणसी में होने वाले नरेन्द्र मोदी के चुनाव से पहले नहीं चाह रही थी कि साल भर के अंदर गंगा को लेकर दूसरा साधु मर जाए, 4 मई से ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद जल त्याग करने वाले थे

60. 24 अक्टूबर, 2018 से 4 मई, 2019 तक: ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के बाद अनशन पर बैठने की तैयारी से स्वामी पुनयानंद इस पूरी अवधि में फलाहार पर रहे और ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को कुछ होने की स्थिति में जल पर अनशन शुरू करने वाले थे
61. 15 दिसम्बर, 2019 से: आश्रम के इतिहास में पहली बार एक महिला साध्वी पद्मावती ने स्वामी सानंद की मांगों को पूरा करवाने कि लिए अनशन शुरू किया है, 30 जनवरी, 2020 को पुलिस ने उठाया, गर्भवती होने का घिनौना आरोप लगाया, साध्वी की तबियत खराब, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में भर्ती कराया गया
62. 30 जनवरी से 10 मार्च, 2020 से: ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद ने किया साध्वी पद्मावती को पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में 22 फरवरी को भर्ती, 5 मार्च को मुक्त किए गए, उत्तराखण्ड पुलिस-प्रशासन ने जिम्मेदारी लेने से मना किया, 9 मार्च को मातृ सदन वापस गए
63. 10 से 29 मार्च, 2020: स्वामी शिवानंद सरस्वती द्वारा अपने शिष्यों की दुर्दशा व अपमान न सह पाने के कारण शुरू किया गया, किन्तु कोरोना संकट की वजह से लागू तालाबंदी के कारण समाप्त किया

परिशिष्ट 3: गंगा पर पनबिजली परियोजनाएं

अस्तित्व में: बद्रीनाथ, 1.25 मेगावाट, तपोवन, 0.8 मेगावाट, थराली, 0.2 मेगावाट, तिलवाड़ा, 0.2 मेगावाट, उरगाम, 3 मेगावाट, विष्णुप्रयाग, 400 मेगावाट, मनेरी भाली 1, 99 मेगावाट, मनेरी भाली 2, 304 मेगावाट, टिहरी, 1000 मेगावाट

निर्माणाधीन: कालीगंगा 1, 4 मेगावाट, कालीगंगा 2, 6 मेगावाट, कोटलीभेल 1बी, 93.2 मेगावाट, मधमहेश्वर, 10 मेगावाट, तपोवन विष्णुगाड, 520 मेगावाट, श्रीनगर, 330 मेगावाट, कोटेश्वर, 400 मेगावाट, कोटी भेल 1ए, 195 मेगावाट, कोटी भेल 1बी, 320 मेगावाट, कोटी भेल 2, 530 मेगावाट, पाला मनेरी 1, 480 मेगावाट

प्रस्तावित: अलकनंदा (बद्रीनाथ), 300 मेगावाट, बागोली, 72 मेगावाट, बावला नंदप्रयाग, 132 मेगावाट, चुनी सेमी, 24 मेगावाट, देवदी, 60 मेगावाट, देवसारी, 255 मेगावाट, गौरीकुण्ड, 18.6 मेगावाट, गोहाना ताल, 60 मेगावाट, जेलम तमक, 60 मेगावाट, कर्णप्रयाग, 160 मेगावाट, लक्ष्मणगंगा, 4.4 मेगावाट, लता तपोवन, 330 मेगावाट, मलेरी जेलम, 55 मेगावाट, नंदप्रयाग लंगासू, 141 मेगावाट, पडली, 27 मेगावाट, फाटा ब्यूंग, 10.8 मेगावाट, रामबाड़ा, 24 मेगावाट, ऋषिगंगा 1, 70 मेगावाट, ऋषिगंगा 2, 35 मेगावाट, सिंगोली भटवारी, 99 मेगावाट, तमक लता, 280 मेगावाट, उरगाम 2, 3.8 मेगावाट, उतियासू, 860 मेगावाट, विष्णुप्रयाग पीपलकोटी, 444 मेगावाट, भैरोंघाटी 1, 380 मेगावाट, भैरोंघाटी 2, 65 मेगावाट, भीलांगना 1, 22.5 मेगावाट, भीलांगना 2, 11 मेगावाट, गंगोत्री, 55 मेगावाट, हर्सिल, 210 मेगावाट, जधगंगा, 50 मेगावाट, कारमोली, 140 मेगावाट, टिहरी पी.एस.एस., 1000 मेगावाट

परित्यक्त: लोहारीनाग पाला, 600 मेगावाट

परिशिष्ट 4: नितिन गडकरी व प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के बीच पत्राचार

नितिन गडकरी द्वारा प्रोफेसर जी.डी. अगवाल को लिखा पत्र:

नितिन गडकरी
मंत्री
जल संसाधन, नदी घाटी विकास एवं गंगा संरक्षण
सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन
भारत सरकार

आदरणीय स्वामी जी,

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार गंगा की अविरलता व निर्मलता के प्रति कटिबद्ध है और इसी संदर्भ में एक समीकृत कार्यक्रम 'नमामि गंगे' कार्यान्वित कर रही है। गंगा के शुद्धिकरण के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इससे सम्बंधित कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं तथा बाकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है। हमें विश्वास है कि अधिकांश परियोजनाएं और बाकी के कार्य शीघ्र ही जमीनी स्तर पर दिखने लगेंगे। इसका एक उदाहरण कानपुर का सीसामऊ नाला है जिसमें पहले 14 करोड़ लीटर प्रति दिन गंदा पानी गंगा में जाता था और अब इसमें से 8 करोड़ लीटर प्रति दिन पानी डायवर्ट करके बिंगावन अवजल प्रशोधन संयंत्र में जाना शुरू हो गया है जिससे सीसामऊ नाला अब आधा हो गया है। इसी प्रकार की और भी योजनाएं अग्रिम चरणों में हैं।

मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप कृप्या अपना अनशन त्याग दें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप प्रत्यक्ष रूप से अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे अवगत कराने का अनुरोध स्वाकार करें।

सादर,
भवदीय,

(नितिन गडकरी)
स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद
मातृ सदन, कनखल,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

***

नितिन गडकरी द्वारा प्रोफेसर जी.डी. अगवाल को लिखे पत्र का जवाब:

मातृ सदन
कनखल, हरिद्वार, उ.ख.
4 जुलाई, 2018
प्रिय भाई नितिन गडकरी जी,

भाई धारिया जी द्वारा लाया गया आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में मैं निम्न बातें कहना चाहूंगा।

1. गंगा जी विशेष हैं, मात्र शास्त्रों में वर्णित होने और हमारी परम्पराओं में पूजित होने, या आधुनिक चिंतन में मां की भांति अपनी घाटी (बेसिन) का सृजन, पालन करने और उसका मल ढोने के कारण नहीं अपितु इस कारण कि गंगा जल गुणवत्ता में विशेष है, अति विशेष, अनुपम। स्वतंत्रता पूर्व तक की हमारी पीढ़ियां इस अनुपमता, विशेषतया गंगाजल के न सड़ने और इनकी रोग-नाशक क्षमता को केवल परम्परा से मानती ही नहीं थी, अपने अनुभव से जानती थी। स्वतंत्रता बाद हमने इस पर वैज्ञानिक शोध करके समझने और तब निर्णय लेने के बजाए, इसे मात्र अंधविश्वास कहकर नकार दिया और अन्य जल, नदियों की तरह योजना बनाने, निर्माण करने और दोहन में लग गए। अपनी बात के प्रमाण स्वरूप कुछ

उदाहरण जो भी थोड़ा बहुत शोधकार्य देश में हुआ उसमें से कुछ के प्राप्त सीमित परिणामों से देता हूंः

(क) 1974-75 में भा.प्रौ.सं. कानपुर के एम.टेक. डिसर्टेशन में मेरे छात्र श्री काशी प्रसाद ने पाया कि कानपुर से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर बिठूर से लिए गए गंगा जल में कॉलिफॉर्म नष्ट करने की विलक्षण शक्ति (सड़न विरोधी) थी जो कानपुर के जल आपूर्ति प्रवेश वेल पर आधी रह जाती थी पर जलकल के फिल्टर किए हुए जल या भूगर्भ जल में शून्य थी। निष्कर्ष था कि यह गंगाजल में निलम्बित सूक्ष्मकणों के कारण है।

(ख) 1975-77 में भा.प्रौ.सं. कानपुर में डॉ. डी.एस. भार्गव की पीएच.डी. के लिए शोधकार्य में पाया गया कि गंगाजल (हरिद्वार) में जैविक प्रदूषण को (बी.ओ.डी. को) नष्ट करने की अत्याधिक क्षमता है (बी.ओ.डी. क्षय की दर सामान्य से 15-16 गुणा अधिक थी) यह सम्भवतः हिमालय की वनस्पति से आए एक्सट्रा सेल्यूलर पालीमरस् के कारण था। पर तब बांध नहीं बने थे।

(ग) 2008-2010 के राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, नागपुर (सी.एस.आई.आर.) शोध कार्य में भागीरथी जी के जल में धातुओं के एक विशिष्ट मिश्रण, रेडियोधर्मिता तथा संसार में अभी तक कहीं न पाए गए मल्टी-स्पीशी कोलीफेज पाए गए। इनके कारण टिहरी बांध से ऊपर गंगाजल में विशेष कॉलिफॉर्म नाशक क्षमता थी। ये सब गाद के साथ बांध के पीछे बैठ गए और नीचे कॉलिफॉर्म नाशक या सड़न नाशक क्षमता शून्य या नगण्य हो गई।

(घ) 2016-17 के आई.एम.बी.टी., चण्डीगढ़ (सी.एस.आई.आर.) में डॉ. माईलराज के शोध में उन्होंने गंगाजी के गाद के इल्युमिना नेक्स्ट सीक्वेनसिंग पूल्ड मेटाजिनॉमिक डी.एन.ए. विश्लेषण से उस गाद में विश्व में अनुपम फेज विविधता पाई जो बीसियों रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम हैं - अट्ठारह रोगाणु प्रजातियां (जिनमें टी.बी., हैजा, टायफाइड, पेट की बहुत सी बिमारियां शामिल हैं) तो उन्होंने नाम लेकर गिनाई हैं।

क्या फिर भी हम गंगा जी या गंगा जल को सामान्य नदी या जल की तरह देखने के अधिकारी हैं?

2. आपने अपने पत्र में ढ़ेर सारी परियोजनाओं की बात की है। मेरे अनुमान के अनुसार तो आपके या सम्बंधित राज्य सरकारों के योजनाकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर न गंगा जी को या उनकी विशेषता को समझते हैं न उनके मन में गंगा जी की इतनी श्रद्धा-समर्पण है कि वे गंगा जी के हितों को सर्वोपरि रख सकें, उन्हें तो बस अपने अधिकारियों को संतुष्ट करना है। उदाहरणार्थ आपने अपने 30 जून के प्रणव जी के हाथ जो पत्र भेजा उसमें कानपुर के सीसामऊ नाले के 14 करोड़ लीटर प्रति दिन प्रवाह में से 8 करोड़ लीटर प्रति दिन के डाइवर्ज़न की बात लिखी। मेरा अनुमान है कि यह पम्प हाउस और सीवर को पम्प करके किया गया है। तो 8 करोड़ लीटर प्रति दिन तो डाइवर्ज़न की अधिकतम क्षमता हुई। 14 करोड़ लीटर प्रति दिन क्या है? नाले का औसत प्रवाह? जिस समय, जिस दिन नापा गया उस समय का प्रवाह? मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह नाले का अधिकतम (कम से कम पिछले दस वर्षों का अधिकतम) नहीं है। जिसे गंगा जी की चिंता होती वह अधिकतम की बात करता।

3. नगर के अवजल (अवजल या अन्य गंदे पानी) का शोधन क्या गंगा जी की जिम्मेदारी है, नगर निगम, विकास निगम, सरकार का नगर विकास विभाग या फिर यह गंदगी पैदा करने वालों की नहीं? क्या बूढ़ी मां ही इन स्मार्ट फोन धारी, वैभव प्रेमी युवाओं और अधेड़ों के मल को साफ करने, ढोने को लगाई दासी हैं। ऐसी योजनाओं का व्यय नमामि गंगे या गंगा संरक्षण के खाते में क्यों पड़े?

4. मुझे लगता है कि विस्तृत चर्चा के बाद गंगा संरक्षण पर हमारे द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट (राष्ट्रीय नदी गंगाजी (संरक्षण एवं प्रबंधन) विधेयक, 2012) संसद द्वारा पारित करना और उसके अनुसार गंगाजी से सम्बंधित कार्यों पर निर्णय और क्रियान्वयन करना ही इस समय सर्वोत्तम विकल्प है। मेरा तो सुझाव है कि 9-16 जुलाई वाले सप्ताह में मोदी जी, आप, रविशंकर प्रसाद, उमा भारती जी और मंत्रिमण्डल के अन्य जिन्हें चाहें, हम लोगों जिन्होंने यह ड्राफ्ट बनाया था (मैं, परितोष त्यागी, एम.सी. मेहता, सेवा निवृत न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय, सेवा निवृत न्यायमूर्ति कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट संतोष गुप्ता, गोविन्द शर्मा) के साथ दो दिन विस्तृत चर्चा करके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दें, 18 जुलाई को संसद में रख 18-19 में चर्चा करा 19 या 20 जुलाई को पारित करा दें। यह विधेयक पारित हो जाए और मोदी जी लिखित में दें कि अब गंगाजी से थोड़ा सा भी सम्बंध रखने वाले सब कार्य इसके अनुसार ही होंगे तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा।

इच्छा शक्ति और समर्पण चाहिए - गंगाजी को अन्य सब विषयों पर प्राथमिकता दो। भक्ति का दिखावा नहीं, समर्पण।

मेरी बातें कुछ कड़वी लगें तो ध्यान देना कि आप लोगों की गलत नीतियों और आर्थिक विकास-लोलुपता से ही यह स्थिति आई है।

प्रभु तुम सबको सन्मति दे।

तुम्हारा भाई
ज्ञानस्वरूप सानंद

परिशिष्ट 5: 2018 में प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल द्वारा लिखे पत्र व प्रधान मंत्री की ट्वीट

भारत के प्रधान मंत्री के नाम खुला पत्र:

उत्तर काशी
24 फरवरी, 2018
प्रिय छोटे भाई नरेन्द्र मोदी,

माता-पिता-पूर्वजों के प्रति कर्तव्य पालन कर यश प्राप्त करो।

भाई, प्रधान मंत्री तो तुम बाद में बने, मां गंगा जी के बेटों में तो मैं तुम से 18 वर्ष बड़ा हूं। 2014 के लोक सभा चुनाव तक तो तुम भी स्वयं मां गंगा जी के समझदार, लाडले, और मां के प्रति समर्पित बेटा होने की बात करते थे - पर वह चुनाव मां के आशीर्वाद और प्रभु राम की कृपा से जीतकर अब तो तुम मां के कुछ लालची विलासता-प्रिय बेटे-बेटियों के समूह में फंस गए हो और उन नालायकों की विलासता के साधन (जैसे अधिक बिजली) जुटाने के लिए, जिसे तुम लोग विकास कहते हो, कभी जल मार्ग के नाम से बूढ़ी मां को बोझा ढोने वाला खच्चर बना देना चाहते हो, कभी उर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए हल का, गाड़ी का या कोल्हू जैसी मशीनों का बैल। मां के शरीर का ढेर सारा रक्त तो ढेर सारे भूखे बेटे-बेटियों की फौज को पालने में ही चला जा रहा है जिन नालायकों की भूख ही नहीं मिटती। और जिन्हें मां के गिरते स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान नहीं। मां के रक्त के बल पर ही सूरमा बने तुम्हारी चाण्डाल चैकड़ी के कई सदस्यों की नजर तो हर समय जैसे मां के बचे खुचे रक्त को चूस लेने पर ही लगी रहती है, मां जीवित रहे या भले ही मर जाए। तुम्हारे संविधान द्वारा घोषित इन बालिगों को तो जैसे मां को मां नहीं, अपनी सम्पत्ति मानने का अधिकार मिल गया है। समझदार बच्चे तो नाबालिग या छोटे रहने पर भी मातृ ऋण उतारने की, मां को स्वस्थ्य-सुखी रखने

की ही साचते हैं और अपने नासमझ भाई-बहनों को समझाते भी हैं। वे कुछ नासमझ, नालायक, स्वार्थी भाई-बहनों के स्वार्थ परक हित साधन के लिए मां पर बोझ लादने, उसे हल, कोल्हू या मशीनों में जोतने की तो सोच भी नहीं सकते खून चूसने की तो बात ही दूर है।

तुम्हारा अग्रज होने, तुमसे विद्या-बुद्धि में भी बड़ा होने और सबसे ऊपर मां गंगा जी के स्वास्थ्य-सुख-प्रसन्नता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए तैयार होने में तुम से आगे होने के कारण गंगा जी से सम्बंधित विषयों में तुम्हें समझाने का, तुम्हें निर्देश तक देने का जो मेरा हक बनता है वह मां की ढेर सारी मनौतियों और कुछ अपने भाग्य और साथ में लोक लुभावनी चालाकियों के बल पर तुम्हारे सिंहासनारूढ़ हो जाने से कम नहीं हो जाता। उसी हक से तुमसे अपनी निम्न अपेक्षाएं सामने रख रहा हूं-

अपेक्षा (क) त्रिपथा मां गंगाजी की अलकनंदा बाहु को छेदन करने वाली विष्णुगाड-पीपलकोटी परियोजना तथा मंदाकिनी बाहु को छेदन करने वाली फाटा-ब्यूंग, सिंगोली-भटवारी परियोजनाओं पर सभी निर्माण कार्य तुरंत बंद कराओ और वे तब तक पूर्णतया बंद रहें जब तक, (अ) अपेक्षा (ख) के अंतर्गत उन पर संसद में विस्तृत चर्चा के बाद मत विभाजन द्वारा मां गंगा के हितों की दृष्टि से आवश्यक निर्णय न हो, और (आ) अपेक्षा (ग) में बताई गई परिषद की भी सहमति न हो।

अपेक्षा (ख) तुम्हारी सरकार द्वारा मां गंगाजी के संरक्षण तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के हित में प्रबंधन के उद्देश्य से लगभग दो वर्ष पूर्व गठित न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय समिति के द्वारा प्रस्तावित गंगाजी संरक्षण विधेयक को अविलम्ब संसद में विचार कर उसे पारित करने के बजाए, उसे ठंडे बस्ते में डाल देने के अपराधी तुम नहीं तुम्हारा कोई नालायक सहयोगी या अधिकारी है, तो उसे तुरंत बरखास्त करो और स्वयं पश्चाताप स्वरूप शीघ्रातिशीघ्र उसे पारित तथा लागू कराओ। विक्रम संवत 2075 में गंगा संरक्षण विधेयक के कानून बन कर लागू होने तक संसद अन्य कोई भी कार्य न करे - श्रद्धांजलि या शोक प्रस्ताव या प्रश्न काल भी नहीं - मां गंगाजी के संरक्षण से ऊपर अब कुछ न हो।

अपेक्षा (ग) राष्ट्र में एक गंगा भक्त परिषद गठित हो जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हो सकें पर प्रत्येक सदस्य प्रवेश पर

यह शपथ ले कि वह कुछ भी सोचते, कहते, करते समय गंगाजी के हितों का ध्यान रखेगा और उसका कोई भी बयान, सुझाव, प्रस्ताव, सहमति और कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे मां गंगाजी का रत्ती भर भी अहित होने की रत्ती भर भी सम्भावना हो। गंगाजी के विषय में किसी भी निर्माण या विकास कार्य को करने के लिए गंगा संरक्षण विधेयक (कानून) के अंतर्गत स्वीकार्य होने के साथ साथ इस गंगा भक्त परिषद की सहमति भी आवश्यक हो।

पिछले साढ़े तीन से अधिक वर्ष तुम्हारी व तुम्हारी सरकार की प्राथमिकताएं और कार्यपद्धति देखते हुए मेरी अपेक्षाएं मेरे जीवन में पूरा होने की सम्भवना नगण्य ही हैं और मां गंगाजी के हितों की इस प्रकार उपेक्षा से होने वाली असह्य यातना से मेरा जीवन ही यातना बनकर रह गया है - अतः मैंने निर्णय किया है गंगा दश्हरा (22 जून, 2018) तक उपरोक्त तीनों अपेक्षाएं पूरी न होने की स्थिति में मैं आमरण उपवास करता हुआ और मां गंगा जी को पृथ्वी पर लाने वाले महाराजा भगीरथ के वंशज शक्तिमान प्रभु राम से मां गंगा के प्रति अहित करने और अपने एक गंगा भक्त बड़े भाई की हत्या करने का अपराध का तुम्हें समुचित दण्ड देने की प्रार्थना करता हुआ प्राणत्याग दूं।

तुम्हारा मां गंगा भक्त
बड़ा भाई

(ज्ञानस्वरूप सानंद)
सन्यास पूर्व - डॉ. गुरुदास अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, आई.आई.टी. कानपुर एवं
सदस्य-सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली

***

प्रधान मंत्री के नाम दूसरा खुला पत्र:

प्रधान मंत्री के नाम खुला पत्र
मातृ सदन, कनखल
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड
दिनांकः 13 जून, 2018

प्रिय छोटे भाई नरेन्द्र मोदी,

मां गंगाजी की दुर्दशा को तुम्हारी बहुस्तरीय सरकार और सरकारी मण्डलियों (जैसे नमामि गंगे) द्वारा पूर्ण अवहेलना ही नहीं, जानते बूझते इरादतन किए जा रहे मां गंगा जी और पूरे पर्यावरण-निःसर्ग-प्रकृति को पहुँचाए जा रहे अहित के विषय को लेकर, मैंने तुम्हें एक खुला पत्र 24 फरवरी, 2018 को उत्तरकाशी से लिखा था जिसे श्रीनगर गढ़वाल पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट किया गया था। पत्र की प्रति, जिसपर स्पीड पोस्ट कराने की रसीद की प्रतिकृति भी है, तुम्हें याद दिलाने व प्रमाण हेतु साथ लगा रहा हूं।

जैसा मुझे पहले ही जानना चाहिए था, साढ़े तीन महीने के 106 दिन में, न कोई प्राप्ति सूचना न कोई जवाब या प्रतिक्रिया या मां गंगाजी या पर्यावरण के हित में (जिससे गंगाजी या निःसर्ग का कोई वास्तविक हित हुआ हो) कोई छोटा सा भी कार्य। तुम्हें क्या फुरसत मां गंगा की दुर्दशा या मुझ जैसे बूढ़ों की व्यथा की और देखने की???

ठीक है भाई मैं क्यों व्यथा झेलता रहूं? मैं भी तुम्हें कोसते हुए और प्रभु राम जी से तुम्हें मां गंगाजी की अवहेलना, पूर्ण दुर्दशा और अपने बड़े भाई की हत्या के लिए पर्याप्त दण्ड देने की प्रार्थना करता हूं, शुक्रवार 22 जून, 2018 (गंगावतरण दिवस) से निरंतर उपवास करता हुआ प्राण त्याग देने के निश्चय का पालन करूंगा। आशा तो नहीं है कि तुम्हारे पास ध्यान देने का समय होगा, पर यदि राम जी के प्रताप से, मां गंगा जी की सुध लने का मन बने तो मां के स्वास्थ्य के हित में निम्न कार्य तुरंत आवश्यक हैंः

गंगा जी के लिए गंगा महासभा द्वारा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम ड्राफ्ट 2012 पर तुरंत संसद द्वारा चर्चा कराकर पास कराना (इस ड्राफ्ट के प्रस्तावकों में मैं, एडवोकेट एम.सी. मेहता व डॉ. परितोष त्यागी शामिल थे), ऐसा न हो सकने पर उस ड्राफ्ट के अध्याय 1 (धारा 1 से धारा 9) को राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा तुरंत लागू एवं प्रभावी करना।

उपरोक्त के अंतर्गत अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिण्डर और मंदाकिनी पर सभी निर्माणाधीन /प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना तुरंत निरस्त करना।

उपरोक्त ड्राफ्ट अधिनियम की धारा 4(डी) वन कटान तथा 4(एफ) खनन, 4(जी) किसी भी प्रकार की खुदान पर पूर्ण रोक तुरंत लागू करना, विशेषतया हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में।

मेरे 24 फरवरी के पत्र की अपेक्षा - ग में वर्णित गंगा भक्त परिषद का अस्थाई गठन, (जून 2019 तक के लिए) तुम्हारे द्वारा नामांकित 20 सदस्यों का जो गंगा जी और केवल गंगा जी के हित में काम करने की शपथ गंगा जी में खड़े होकर लें और गंगा से जुड़े सभी विषयों पर इसका मत निर्णायक माना जाए (तुम स्वयं तो यह शपथ ले नहीं पाओगे शायद क्योंकि तुम संविधान से जुड़े हो)।

प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दें और अपने अच्छे बुरे सभी कामों का फल भी। मां गंगा जी की अवहेलना, उन्हें धोखा देने को किसी स्थिति में माफ न करें...

तुम्हारा मां गंगा भक्त
बड़ा भाई

(ज्ञानस्वरूप सानंद)
सन्यास पूर्व नाम- गुरु दास अग्रवाल (पूर्व प्रोफेसर, आई.आई.टी. कानपुर)
सदस्य-सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली

***

प्रधान मंत्री को लिखा गया तीसरा पत्र
मातृ सदन, जगजीतपुर
कनखल, हरिद्वार।
दिनांकः 5 अगस्त, 2018

श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी,
माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी,

मैंने आपको गंगाजी के सम्बंध में कई पत्र लिखे, लेकिन मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला। मुझे यह विश्वास था कि आप प्रधान मंत्री बनने के बाद गंगाजी की चिंता करेंगे, क्योंकि आपने स्वयं बनारस में 2014 के चुनाव में यह कहा था कि मुझे मां गंगा ने बनारस बुलाया है, उस समय मुझे विश्वास हो गया था कि आप शायद गंगा जी के लिए कुछ करेंगे, इसलिए मैं लगभग साढ़े चार वर्ष शांति से प्रतीक्षा करता रहा। आपको पता होगा कि मैंने गंगाजी के लिए पहले भी अनशन किए हैं तथा मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए मनमोहन सिंह जी ने लोहारी नागपाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट रद्द कर दिए थे जो कि 90 प्रतिशत बन चुके थे तथा जिसमें सरकार को हजारों करोड़ की क्षति उठानी पड़ी थी, लेकिन गंगा जी के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यह कदम उठाया था। इसके साथ ही इन्होंने भागीरथी जी के गंगोत्री जी से उत्तरकाशी तक का क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदलशील क्षेत्र घोषित करा दिया था जिससे गंगा जी को हानि पहुंचा सकने वाले कार्य न हों।

मेरी अपेक्षा यह थी कि आप इससे दो कदम आगे बढ़ेंगे तथा गंगाजी के लिए और विशेष प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने तो गंगा का मंत्रालय ही बना दिया था, लेकिन इस चार सालों में आपकी सरकार द्वारा जो कुछ भी हुआ उससे गंगाजी को कोई लाभ नहीं हुआ, उसकी जगह कॉरपोरेट सेक्टर और व्यापारिक घरानों को ही लाभ दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आपने गंगा से मुनाफा कमाने की ही बात सोची है। गंगाजी को आप कुछ दे नहीं रहे हैं ऐसा आपकी सभी योजनाओं से लगता है। कहने को आप भले ही कहें कि अब हमे गंगाजी से कुछ लेना नहीं है, उन्हें देना ही है।

दिनांक 3 अगस्त, 2018 को मुझसे केन्द्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती जी मिलने आईं थीं। उन्होंने नितिन गडकरी जी से मेरी फोन पर बात करवाई थी, किंतु समाधान तो आपको करना है, इसलिए मैं सुश्री उमा भारती जी को कोई जवाब नहीं दे सका। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी नीचे दी गई चार मांगों को, जो वही हैं जो मेरे आपको 13 जून 2018 को भेजे पत्र में थीं, स्वीकार कर लीजिए अन्यथा मैं गंगाजी के लिए उपवास करता हुआ अपनी जान दे दूंगा। मुझे अपनी जान दे देने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गंगा जी का काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आई.आई.टी. का प्रोफेसर रहा हूं तथा मैं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं गंगा जी से जुड़ी हुई सरकारी संस्थाओं में रहा हूं। उसी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि आपकी सरकार ने इन चार सालों में कोई भी सार्थक प्रयत्न गंगाजी को बचाने

की दिशा में नहीं किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी इन चार मांगों को स्वीकार किया जाए। मैं आपको यह पत्र उमा भारती जी के माध्यम से भेज रहा हूं।

मेरी चार मांगें निम्न हैं-

गंगा जी के लिए गंगा महासभा द्वारा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम ड्राफ्ट 2012 पर, तुरंत संसद द्वारा चर्चा कराकर पास कराना (इस ड्राफ्ट के प्रस्तावकों में मैं, एडवोकेट एम.सी. मेहता व इं. परितोष त्यागी शामिल थे), ऐसा न हो सकने पर उस ड्राफ्ट के अध्याय 1 (धारा 1 से धारा 9) को राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा तुरंत लागू एवं प्रभावी करना।

उपरोक्त के अंतर्गत अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिण्डर और मंदाकिनी पर सभी निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना तुरंत निरस्त करना और गंगाजी एवं गंगाजी की सहायक नदियों पर सभी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं को भी निरस्त किया जाए।

उपरोक्त ड्राफ्ट अधिनियम की धारा 4(डी) वन कटान तथा 4(एफ) खनन, 4(जी) किसी भी प्रकार की खुदान पर पूर्ण रोक तुरंत लागू करना, विशेषतया हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में।

एक गंगा भक्त परिषद का अस्थाई गठन, (जून 2019 तक के लिए)। इसमें आपके द्वारा नामांकित 20 सदस्य, जो गंगा जी और केवल गंगा जी के हित में काम करने की शपथ गंगा जी में खड़े होकर लें, हों और गंगा से जुड़े सभी विषयों पर इसका मत निर्णायक माना जाए।

मेरे द्वारा आपको भेजे गए अपने पत्र दिनांकित 13 जून 2018 का कोई उत्तर या प्रतिक्रिया न पाकर मैंने 22 जून 2018 से उपवास प्रारम्भ कर दिया है इसलिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने तथा धन्यवाद सहित।
भवदीय,

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद
(पूर्व में प्रोफेसर जी.डी. अगवाल)

***

प्रधान मंत्री को लिखा गया आखिरी पत्र
मातृ सदन, जगजीतपुर
कनखल, हरिद्वार।
दिनांकः 30 सितम्बर, 2018

सेवा मेंः श्री नरेन्द्र भाई मादी
माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषयः मां गंगा जी की वर्तमान भीषण दुर्दशा के लिए तुरंत अतिआवश्यक कदम उठाने और उनकी अविरलता, प्रवाह तथा जल, गाद तथा प्राणीतंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए मेरा 22 जून से चल रहा आमरण अनशन।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी,

आज मेरे विषयान्तर्गत उपवास/तपस्या का 101वां दिन पूरा हुआ। फरवरी में केन्द्र सरकार के गंगा मंत्रालय/नमामि गंगे आदि के क्रियाकलापों से पूर्णतया निराश हो जब मैंने 22 जून तक कुछ अपेक्षाएं पूरी न होने पर 22 जून 2018 से आमरण अपवास करने का निर्णय लिया तो 24 फरवरी को इस आशय का पत्र अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट करते हुए स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा था (देंखें संलग्नक 1 स्पीड पोस्ट की प्रतिलिपि के साथ)। पत्र पर किसी भी प्रकार प्रतिक्रिया न पाने पर और न ही भू-स्थिति या कार्य विधि में कोई भी अंतर दिखने पर दूसरा पत्र 13 जून, 2018 पुनः अपनी अपेक्षाओं और 22 जून से आमरण अनशन करने का अपना निर्णय स्पष्ट करते हुए आपको भेजा (देंखें संलग्नक 2 स्पीड पोस्ट की प्रतिलिपि के साथ)। एक बार फिर न कोई प्रतिक्रिया, न भू-स्थिति में कोई बदलाव। फलतः मैंने अपने निश्चयानुसार 22 जून 2018 से अपना आमरण उपवास प्रारम्भ कर सूचना आपको अपने 23 जून के पत्र से दे दी (देंखें संलग्नक 3)।

आपने 2014 के चुनाव के लिए वाराणसी से उम्मीदवारी भाषण में कहा था - 'मुझे तो मां गंगा जी ने बुलाया है - अब गंगा से लेना कुछ नहीं, अब तो बस देना ही है।' मैंने समझा आप भी हृदय से गंगा जी को मां मानते हैं (जैसा कि मैं स्वयं मानता हूं और 2008 से गंगा जी की अविरलता, उसके नैसर्गिक स्वरूप और गुणों को बचाए रखने के लिए यथाशक्ति प्रयास करता रहा हूं) और मां गंगाजी के नाते आप मुझसे 18 वर्ष छोटे होने से मेरे छोटे भाई हुए। इसी नाते आपको अपने पहले तीन (संलग्नक 1 से 3) पत्र आपको छोटा भाई मानते हुए लिख डाले। जुलाई के अंत में ध्यान आया कि भले ही मां गंगा जी ने आपको बड़े प्यार से बुलाया, जिताया और प्रधान मंत्री पद दिलाया पर सत्ता की जद्दोजहद (और शायद मद भी) में मां किसे याद रहेगी - और मां की ही याद नहीं तो भाई कौन और कैसा। यह भी लगा कि हो सकता है कि मेरे पत्र आपके हाथों तक पहुंचे ही न हों - शासन तंत्र में ही कहीं उलझे पड़े हों। अतः 5 अगस्त 2018 पुनः आपको एक पत्र अबकी बार आपको छोटा भाई नहीं प्रधान मंत्री सम्बोधित करते हुए भेजा (देंखें संलग्नक 4) और आप तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसकी एक प्रति बहन उमाश्री भारती जी के माध्यम से भिजवाई। मुझे पता चला है कि वह पत्र आपके हाथों व केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक तक पहुंचा है। पर परिणाम? परिणाम, आज तक तो वही ढाक के तीन पात। कोई अर्थपूर्ण पहल नहीं। गंगा मंत्री गडकरी जी को न गंगाजी की समझ है न उनके प्रति आस्था (हां, दिखाने भर की श्रद्धा हो सकती है)। फिर सड़कों के जाल से फुरसत कहां, और गंगाजी में मालवाहक जहाज भी तो चलाने हैं, चाहे उसके लिए गंगाजी को वाराणसी की खाड़ी में परिवर्तित करना पड़े। नमामि गंगे के हजारों करोड़ रुपए से सैकड़ों अवजल प्रशोधन प्लांट बन जाएंगे और करोड़ों नगर वासियों का वोट मिलने का जुगाड़ हो जाएगा। गंगा जी बेचारी क्या देंगी?

तो जैसा मैंने आपने पहले वाक्य में लिखा, आज मात्र नींबू पानी लेकर उपवास करते हुए मेरा 101वां दिन है - यदि सरकार को गंगाजी के विषय में, वे युगों युगों तक अपने नैसर्गिक गुणों से भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वालों को लाभान्वित करती रहें, इस दिशा में कोई पहल करनी थी तो इतना समय पर्याप्त से भी अधिक था। अतः मैंने निर्णय लिया है कि मैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा (तदनुसार 9 अक्टूबर, 2018) को मध्यान्ह अंतिम गंगा स्नान, जीवन में अंतिम बार जल और यज्ञशेष लेकर जल भी पूर्णतया (मुंह, नाक, ड्रिप, सिरिंज या किसी भी माध्यम से) लेना छोड़ दूंगा और प्राणांत की प्रतीक्षा करूंगा (9 अक्टूबर मध्यांह 12 बजे के बाद यदि कोई मुझे मां गंगाजी के बारे में मेरी सभी मांगें पूरी करने का प्रमाण भी दे तो

मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा)। प्रभु राम जी मेरा संकल्प शीघ्र पूरा करें, जिससे मैं शीघ्र उनके दरबार में पहुंच, गंगाजी की (जो प्रभु राम जी की भी पूज्या हैं) अवहेलना करने और उनके हितों को हानि पहुंचाने वालों को समुचित दण्ड दिला सकूं। उनकी अदालत में तो मैं अपनी हत्या का आरोप भी व्यक्तिगत रूप से आप पर लगाऊंगा - अदालत माने न माने।

प्रभु राम जी आपको सदबुद्धि दें इस शुभकामना के साथ।

मां गंगा जी के प्रति सच्ची निष्ठा वाला
उनका पुत्र

(स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद)
सन्यास पूर्व डॉ. गुरुदास अग्रवाल
प्रोफेसर एण्ड हेड, सिविल, आई.आई.टी. कानपुर
सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रतिलिपिः
माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
माननीय मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
माननीय चेयरमैन, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली।
श्री नितिन गडकरी जी, मा. जल संसाधन व गंगा पुनर्जीवन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
सुश्री उमा भारती जी, मा. पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
श्रीमान मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस, देहरादून।
श्रीमान मण्डलायुक्त, हरिद्वार।
श्रीमान जिलाधिकारी, जिला हरिद्वार।
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला हरिद्वार।
श्रीमान थानाध्यक्ष, थाना कनखल, हरिद्वार।

***

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल का आखिरी लिखित संदेश:

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
दिनांकः 11 अक्टूबर, सुबह 6 बजकर 45 मिनट

कल (10 अक्टूबर, 2018) दिन में 1 बजे हरिद्वार प्रशासन ने मुझे जबरदस्ती मातृ सदन से उठाकर यहां एम्स, ऋषिकेश में भर्ती करा दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सक मां गंगाजी के संरक्षण के मेरे मुद्दे व मेरी तपस्या का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि चिकित्सीय इलाज की एक पेशेवर संस्थान होने के कारण उनके सामने तीन ही विकल्प हैं-(1) मुंह या नाक के रास्ते मेरी इच्छाविरुद्ध खाद्य पदार्थ डालना, (2) नसों के माध्यम से तरल पदार्थ देना, (3) अस्पताल में भर्ती ही न करना। उनकी जांचों में उन्होंने पाया कि मेरे शरीर के खून में पोटैशियम की खतरनाक कमी है (सामान्य 3.5 की जगह 1.7) और यह शरीर में पानी की कमी का द्योतक है। उनके समझाने पर मैं मान गया हूं कि मुंह के रास्ते और नसों के रास्ते मुझे 500 मिलीलीटर प्रतिदिन पोटैशियम दे दिया जाए। मैं एम्स का अपने मुद्दे व उपवास पर समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ।

(प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल)

(मूल पत्र हस्त लिखित है। यह आश्चर्य की बात है कि 111 दिनों से अनशन पर किसी व्यक्ति की लिखाई इतनी साफ है। यह भी आश्चर्य की बात है कि यह पत्र लिखने के कुछ घंटों बाद ही स्वामी सांनद की मत्यु हो जाती है।)

***

प्रोफेसर अग्रवाल के मरने के बाद नरेन्द्र मोदी का ट्विटर संदेश:

श्री जी.डी. अग्रवाल जी के मरने से दुखी हुआ। सीखने, सिखाने, पर्यावरण संरक्षण, खास गंगा सफाई के लिए उनके अंदर की ललक हमेशा याद की जाएगी। मेरी श्रद्धांजलि।

11/10/18

(प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल द्वारा प्रधान मंत्री को लिखे चार पत्रों या अपने अनशन पर प्रधान मंत्री की अकेली प्रतिक्रिया थी, और वह भी देर से आई। सवाल यह है कि नरेन्द्र मोदी जीवित जी.डी. अग्रवाल से मिलने से क्यों कतराते रहे?)

परिशिष्ट 6: स्वामी निगमानंद का मुख्य न्यायाधीशों के नाम पत्र

मातृ सदन
जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार
उत्तराखण्ड-249408
दिनांकः 19 फरवरी, 2011

सेवा मेंः 1. माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड

विषयः उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की संवेदनहीनता।

माननीय,

मातृ सदन एक अध्यात्मिक आश्रम है जो पर्यावरण के संरक्षण और भ्रष्टाचार के विरोध में काम करता है।

न्यायालय की सत्यनिष्ठा अक्षुण्ण रखने के लिए आज 23 दिनों से (28 जनवरी, 2011 से) स्वामी यजनानंद मातृ सदन के शांत परिसर पर तपस्यारत हैं।

हाल की कुछ घटनाएं संकेत देती हैं कि अंधेरा काफी गहरा है क्योंकि एक तरफ सब कुछ नियमों-कानूनों के खिलाफ किया जा रहा है और सत्य का सम्मान करने वाले कुछ ही हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पत्र एमएस/2के11/हरिद्वार/33 दिनांक 14 फरवरी, 2011 में लिखा था जब एक

वकील न्यायाधीश बन जाता है तो उसे अपना पूर्वाग्रह छोड़ सत्य का साथ देना चाहिए।

सत्याग्रह के दौरान भी जिन न्यायाधीशों की हमने शिकायत की थी वे मामले सुन कर फैसले दे रहे हैं। सुनवाई की तारीख के पहले न्यायालय बदलने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता, फैक्स किए हुए आवेदनों को महत्व नहीं दिया जाता और कूड़े में फेंक दिया जाता है। न्यायालय के दौरान भी आवेदन पर कार्यवाही नहीं होती। ये दिखाता है कि हमारी माननीय न्यायपालिका में कितनी संवेदनहीनता व्याप्त है। विशेष अपील की जाती है तो विशेष अपील के सिद्धांत की ही अनदेखी की जाती है, बल्कि उसे दबाने की कोशिश होती है। संवेदनहीनता इतनी अधिक है कि सत्याग्रह के बावजूद कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है और सीधे बात करने के बजाए सांकेतिक भाषा में बात हो रही है और सम्मानित लोग अपनी बातों से मुकर रहे हैं।

सत्यमेव जयते तो सब ओर लिखा हुआ है किंतु सत्य का अभाव है। हमें गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए यह संदेश देने के लिए महात्मा गांधी की मूर्तियां व फोटो न्यायालय कक्षों से लेकर बाहर भी लगे हैं। चूंकि अंधकार गहरा है और वेदों व श्रुतियों में लिखा है कि अंधकार से मुक्ति के लिए तप करना पड़ता है, मैं, स्वामी निगमानंद, जो मातृ सदन के सभी साधुओं में सबसे वरिष्ठ हूं, ब्रह्मचारी यजनानंद जी से आग्रह करता हूं कि वे 28 जनवरी 2011 से लगातार चल रहे अपने अनशन को विराम दें और भ्रष्टाचार हटाने व न्यायालय की गरिमा, सम्मान व पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए मुझे सत्याग्रह और पवित्र बलिदान का एक मौका दें।

कई लोग यह कहने लगे हैं, जिसमें कुछ न्यायाधीश भी शामिल हैं कि एक नवजवान साधु को मरने के लिए बैठा दिया है। इन टिप्पणियों के प्रकाश में मैं, मातृ सदन का सबसे वरिष्ठ साधु, अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जब बलिदान की मांग हो तो मैं अपने को प्रस्तुत करूं।

लोग सत्य को सुनने और बरदाश्त करने की क्षमता खोते जा रहे हैं। सरकार की कार्यपालिका के खिलाफ तो गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं लेकिन न्यायापालिका भी उससे अछूती नहीं रह गई है। एक पवित्र बलिदान का मांग है और मैं, स्वामी निगमानंद, अपने को इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और

आज 19 फरवरी 2011 की दोपहर से मैं सतत उपवास के रूप में अपना सत्याग्रह शुरू करूंगा।

ससम्मान,
भवदीय

(स्वामी निगमानंद सरस्वती)
मातृ सदन, हरिद्वार
प्रतिलिपिः जानकारी के लिए
जिलाधिकारी हरिद्वार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार

जिलाधिकारी का ध्यानाकर्षणः आपके कार्यालय में फैक्स लेने में दिक्कत खड़ी करते हैं और हमारे सारे फैक्स ज्ञानेश अग्रवाल को भेज दिए जाते हैं।

परिशिष्ट 7: स्वामी शिवानंद द्वारा मोदी सरकार की कठोर आलोचना

प्रोफेसर अगवाल के उपवास के 108वें दिन और जल त्याग के एक दिन पहले

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः 8 अक्टूबर, 2018

मोदी जी का एक लेख पढ़ने को मिला। लेख बहुत ही सुन्दर था। इसमें अथर्ववेद के भूमि सूक्त का एक मंत्र उद्धत किया गया था।

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ।। अथर्व 12.1.3

यानि, जिसमें समुद्र, नदी, जल हो, जिसमें खेती तथा अन्न होता हो, जिसमें यह क्रियाशील प्राण तृप्त होता हो, जिसमें पूर्व से पान करने वाला रसयुक्त पेय हो, वह भूमि हमें प्रदान करें। वेद के प्रत्येक मंत्र के ऋषि होते हैं जिन्होंने प्रथम इसे देखा, उसके देवता होते हैं, वह किसी छंद में होता है तथा उसका किसी में विनियोग होता है। अब ऋषि, देवता व छंद तो ज्ञात है परन्तु मोदी जी इसका विनियोग किसमें कर रहे हैं? आजकल के लेखक मंत्रों का विनियोग तीन ढंग से करते हैं:

1. अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए कि मैं वेद का ज्ञाता हूं
2. उसके तथ्य को समझने के लिए
3. उसके सही रूप को जीवन में उतारने के लिए।

मोदी जी को दूसरे और तीसरे विनियोग से कोई मतलब नहीं है। भारतवर्ष में समस्त नदी व जल को दूषित कर नदी व स्रोत के अमृत तुल्य जल को विष बना रहे हैं तथा बोतलबंद जल कारपोरेट जगत के हित के लिए लोगों को पान

करवाते हैं। लगता है भारतवर्ष में गरीब लोग, पशु, पक्षी व जलीय जीव को शुद्ध जल पान करने का अधिकार ही नहीं रहा। अन्य नदी की बात कौन करे अमृततुल्य गंगा नदी को पहले बांध में बांधकर और फिर उसमें जहाज आदि चलाने के उपक्रम कर उसे नष्ट कर रहे हैं। नदी तो अब भारतवर्ष में रही ही नहीं, क्योंकि जो अपने उद्गम से मचलती, इठलाती, अपने दोनों किनारों को छूती भूमि और भूमा से लगातार सम्पर्क में रहती हुई, चलकर अपने लय स्थान में जाती है उसे ही नदी कहते हैं। मोदी जी द्वारा उद्धत उसी भूमि सूक्त के 9वें मंत्र जो इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैः

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा।। अथर्व 12.1.9

ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जिसमें जल चारों बगल समानरूप से रात-दिन बिना प्रमाद के (लगातार अविरल) बहता है, ऐसी प्रचुर धारा वाली भूमि हमें दुग्ध के समान सारभूत फल देवे, हमें वर्च (तेज) से सम्पन्न करें (जिन्हें स्वामी सानंद जी वैज्ञानिक भाषा में लैटीट्यूडिनल, लांगीट्यूडिनल, वर्टिकल और टेम्पोरल कनक्टीविटी कहते हैं)।

अब प्रश्न उठता है कि मोदी जी के भूमि सूक्त का विनियोग पहला है या तीसरा?

अथर्ववेद के इसी सूक्त के भाव को लेकर एक 87 वर्षीय ऋषि स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद मातृ सदन में आज 108 दिनों से अन्न त्याग कर गंगा जैसे अमृततुल्य पवित्र नदी को अपने मूलभूत रूप में लाने के लिए तपस्या पर हैं और मोदी जी एवं उनके जल संसाधन, जहाजरानी, परिवहन व गंगा मंत्री, जिन्हें गंगाजी की गरिमा का पता भी नहीं है और गंगाजी के प्रति श्रद्धा है ही नहीं, अपनी सम्पत्ति समझ गंगाजी को नष्ट करने पर उतारू हैं। इस ढंग से तो भारतवर्ष की समस्त नदियां विलुप्त हो जाएंगी और भारतवर्ष के बच्चों को नदी देखने और अध्ययन करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। वैसे मोदी जी को विदेशी रहन सहन बहुत भाता है, स्वदेशी से उनको मतलब नहीं है, तभी तो वे वाराणसी जैसे सांस्कृतिक शहर को क्योटो बनाना चाहते हैं।

मोदी जी कृप्या समय रहते चेतिए, मात्र दो दिन का समय है, 9 अक्टूबर के दोपहर से स्वामी जी जल का भी परित्याग करेंगे उसके बाद उनका जीवन बचना मुश्किल है, यह आपके लिए अमिट कलंक होगा। आपको पता ही होगा कि 2011 में मातृ सदन के संत स्वामी निगमानंद सरस्वती की आपकी उत्तराखण्ड की सरकार, जिस समय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी मुख्य मंत्री थे, ने बलिदान ले लिया (या स्पष्ट शब्दों में कहें तो हत्या करवाने के निमित्त बने)।

स्वामी सानंद जी के पुण्यधाम के गमन के बाद मैं स्वयं तपस्या पर बैठूंगा तथा हमारे प्रणानांत के बाद यह क्रम जारी रहेगा....।

यहां भगीरथ के द्वारा गंगाजी को दिए वचन का स्मरण दिला दूं-

साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः।
हरन्त्यघं तेंऽगसंगात् तेष्वास्ते ह्यघभिद्हरिः।। श्रीमद्भागवत 9.9.6

यानी, सर्वत्यागी, अपनी इन्द्रियों से उपरत होकर शांत, ब्रह्मिष्ठ व लोक को पावन करने वाले सन्यासी अपने अंग संग तेरे पाप का हरण करेंगे क्योंकि अध (पाप) का भेदन करने वाले हरि उनके हृदय में वास करते हैं। मातृ सदन व स्वामी सानंद जी भगीरथ के द्वारा दिए गए इसी आश्वासन का पालन कर रहे हैं।

स्वामी शिवानंद
मातृ सदन आश्रम, हरिद्वार

परिशिष्ट 8: ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद द्वारा लिखा गया प्रधान मंत्री को पत्र

मातृ सदन
जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड (भारत)-249208

संदर्भ सं. एसएस/2के18/हरिद्वार/225
दिनांकः 21 अक्टूबर, 2018

प्रेषितः
श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली

विषयः मां गंगा के सेवार्थ बलिदानी स्वामी निगमानंद सरस्वती, बाबा नागनाथ और अब ज्ञान स्वरूप सानंद (डॉ. जी.डी. अग्रवाल) के शरीरांत के क्रम में जारी संत गोपालदास और मेरी तपस्या।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी,

मां गंगा हमारे देश की पहचान, संस्कृति और सभ्यता का प्रवाह है। समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य एवं दिव्य अध्यात्मिक धरोहर है, जो मानव की उपभोग प्रधान विकास नीति की शिकार बन क्षत-विक्षत और दुर्दशा को प्राप्त हुई है। विदित हो कि राजा भगीरथ के तप से जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित होने को आईं तो उन्होंने भगीरथ से पूछा कि मुझमें लोग अपने पाप छोड़ेंगे तो फिर उस पाप से मुझे कौन मुक्त करेगा? तब भगीरथ ने उन्हें वचन दिया कि-

साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः।
हरन्त्यघं तेंऽगसंगात् तेष्वास्ते ह्यघभिद्हरिः।। श्रीमद्भागवत 9.9.6

अर्थात, जो संसार को त्याग कर सन्यासी हो चुके हैं, संसार से उपरत होकर शांत चित्त वाले हैं, ब्रह्मिष्ठ हैं व लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी हैं, वे अपने अंग संग (शरीर स्नान, शरीर बलिदान) से तुम्हारे पापों का हरण कर लेंगे। क्योंकि उनके हृदय में पाप का भेदन करने वाले श्री हरि निवास करते हैं।

मां गंगा के लिए तप करने वाले भागीरथ का यह वचन हम संतों के हृदय में मां की पीड़ा देख स्वयं चरितार्थ हो उठता है। शायद मां की दुर्दशा की यह पीड़ा आपके नीति निर्धारकों को अपने निहित आर्थिक लाभ के लोभ में न दिखाई दे, और वह इसे हमारी व्यक्तिगत भावना का बहाव मात्र समझने की भूल कर रहे हैं। किंतु यदि आप भारतीय संस्कृति और ऋषि परम्परा का तनिक भी ज्ञान रखते हैं तो आप यह जानेंगे कि यह पीड़ा उपभोग प्रधान आसुरिक विकास से पंच महाभूतों में व्याप्त होती अशांति और इसके चलते सारे विश्व में गहराते पर्यावरणीय संकट की पीड़ा की भी प्रतिनिधि है। यह पीड़ा आदर्श विहीन विकास नीतियों के बहाव में पतित हो रही मानव चेतना और फलस्वरूप बढ़ते अधर्म, अपराध और हर जगह पनपते भ्रष्टाचार की पीड़ा की भी प्रतिनिधि है। यह पीड़ा है कि आपने मां गंगा को केवल एक जल संसाधन मात्र मान लिया है और सब तरह के व्यापारों के द्वार उन पर खोल विकास के नाम पर उन्हें हर तरह से रौंदने का जरिया बनाया। स्वामी सानंद जी के आपको प्रेषित पत्रों में साफ झलकती इस पीड़ा का कृप्या गम्भीर संज्ञान ग्रहण करें।

यदि आपने इस पीड़ा की वास्तविकता को समझा होता तो पवित्र गंगाजल को मार्केटिंग के नजरिए से देख कमाई करने वाली सोच रखने वाले व्यक्ति को गंगा मंत्री न नियुक्त किया होता। ऐसा व्यक्ति कैसे स्वामी सानंद की मां गंगा के प्रति पीड़ा और मांग की संवेदनशीलता को समझ सकता था? इसलिए जब आपके गंगा मंत्री जी ने यह असत्य और खोखला बयान दिया कि स्वामी सानंद की मांगें मान ली गई हैं, तो इस असत्य संवेदनहीन व्यवहार को देख उनके हृदय की पीड़ा और गहरा गई। मातृ सदन, हरिद्वार सहित जलपुरुष राजेन्द्र सिंह आदि अपने अनुयायियों को तत्काल इस झूठ के खण्डन हेतु कहा और स्वयं भी मृत्यु के 1 घंटे पूर्व अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए इसका विस्तृत खण्डन किया जिसकी विडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने सहयोगियों से करवाई। क्या सरकार द्वारा प्रचारित इस असत्य और मिथ्याचरण का मूल उद्देश्य ये था कि सानंद जी इस मिथ्या को

जानने से पूर्व ही इस दुनिया से जा चुके होंगे और इस तरह सानंद और उनके संकल्प दोनों खत्म हो जाएंगे???

क्या आप समझ सकते हैं कि हम संतों की इस पीड़ा का मूल आपकी उपभोग प्रधान विकास नीति का ही अतिरेक है। मानव अपने उपभोग के लिए सब कुछ नष्ट करने पर आमादा है। जीव-जंतु, पर्यावरण, संस्कृति सबको अपने उपभोग प्रधान विकास की बलिवेदी पर कुर्बान कर रहा है, वही नास्तिक नीति और नजरिया जब आपकी सरकार भी अपनाए रखेगी तो कैसे समझेगी हमारी पीड़ा? हमारी संस्कृति हमें सह-अस्तित्व की शिक्षा देती है। सब ब्रह्मरूप हैं (सर्वं खल्विदं ब्रह्म) इस आदर्श का पाठ पढ़ाती है जो हमें मर्यादाओं का ज्ञान कराता है। आपके 'विकास' के नजरिए में तो सब चराचर जगत केवल मनुष्य के उपभोग का संसाधन मात्र है, आपकी सरकार स्वयं को राष्ट्रवादी कहती है पर विकास का नजरिया व चश्मा 'पाश्चात्य' का चढ़ाया हुए है। इसलिए आपके विकास की नजर में कोई चीज पवित्र, पावन नहीं अपितु हर चीज में आपको बाजार, दाम और कमाई नजर आती है। मां गंगा पर भी विकास रूपी यही व्यभिचारी दृष्टि और पाप व्यवहार आज भगीरथ के उपरोक्त वचन को हम संतों को हृदय में चरितार्थ कर हमें अपने अंगसंगात (बलिदान) देने हेतु बाध्य कर रहा है। यह कैसा 'विकास' है? क्या यह सबका साथ (सह-अस्तित्व) है? क्या यह सबका (जल, पर्यावरण, वन, खेत खलिहान, वन-जीव्य, पंच महाभूत और अध्यात्मिक) विकास है? या फिर विनाश है!!!

सूचना मिली कि स्वामी सानंद की मां गंगा के प्रति समर्पित मांगों को आपकी सरकार में लोगों द्वारा 'एक आदमी की जिद्द' बता कर उपेक्षित किया गया। लोकतंत्र में यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सरकार इस तरह से विषय की गम्भीरता को धूमिल कर राजा होने के अहंकार में चूर होकर व्यवहार करे। यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि गंगा के विषय का प्रतिनिधि न देख स्वामी सानंद को सरकार के दुश्मन के तौर पर 'एक व्यक्ति' मात्र देख उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 2011 में मातृ सदन के संत स्वामी निगमानंद कुम्भ नगरी हरिद्वार में गंगा को खनन की विभीषिका से मुक्त करने हेतु बलिदान हुए। वर्ष 2014 में वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर लम्बे समय से गंगा की अविरलता हेतु अनशन पर बैठे बाबा नागनाथ ने अनशन से जीर्ण हो चुके शरीर को छोड़ दिया, जो देश में अधिक चर्चा तक न प्राप्त कर सका। इसके बाद चार साल आपकी सरकार में गंगा को लेकर कुछ गम्भीर व ठोस करने की संवेदना जगाना तो दूर अपितु आपकी सरकार में तो

गंगा की उद्गम हिमालयी चोटियों के पर्यावरण को ही नाश करने के कदम बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। जून 2013 की आपदा के सबक को आपने भुला दिया। इसी संवेदनहीनता से आहत जून 2018 में स्वामी सानंद 22 जून से अनशन पर बैठने की घोषणा कर दिए उसी दौरान संत गोपालदास ने भी अपनी बद्रीनाथ यात्रा में गंगा घाटियों में चल रहे हिमालयी पर्यावरण के निर्मम विनाश का नजारा देखा। बांधों के निर्माण के साथ ही चारधाम परियोजना के चलते काटे जा रहे हजारों हिमालयी पेड़ और वनस्पितयां, पहाड़ी ढालों का कटान, भारी मशीनों का गंगा के उद्गम हिमालय में उपद्रव और देव-भूमि के इस बाजारीकरण की पीड़ा और व्यथा ने गोपालदास को भी 24 जून को भगवान बद्रीनाथ के चरणों में अनशन पर बैठने को बाध्य किया। वहां का प्रशासन उन्हें जोशीमठ, चमोली और अंततः ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल ले आया, जब से उनका अनशन ऋषिकेश में जारी था। स्वामी सानंद जी के प्राणोत्सर्ग के बाद संत गोपालदास ने सानंद जी की मांगों के क्रम में उनकी तपःस्थली रही मातृ सदन में ही अपना अनशन जारी किया और जल त्याग कर दिया। आश्चर्य है कि सरकार के समाधान की राह पर आगे आने के बजाए जबरन संत गोपालदास को भी उठाकर उत्तराखण्ड से ही बाहर कर दिया।

इस क्रम में आपको अवगत कराना है कि स्वामी निगमानंद और बाबा नागनाथ के गंगा हेतु हुए बलिदान पर भी सरकार नहीं जागी तो स्वामी सानंद जी भी प्राणांत हो गया है। मातृ सदन ने स्वामी सानंद को वचन दिया था कि यदि इस तपस्या में संकल्प पूर्ति से पहले उनका शरीरांत हो जाता है तो मातृ सदन मां गंगा के उनके संकल्प को पूरा करने हेतु प्रारम्भ की हुई तपस्या आगे बढ़ाएगा। चूंकि संत गोपालदास जल त्याग कर चुके हैं और उन्हें जबरन यहां से उठा बाहर भेज दिया है, अतः इस सम्बंध में मेरे द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 स्वामी सानंद जी के संकल्प पूर्ति के क्रम में शुरू की जाने वाली गंगा तपस्या (आमरण अनशन) का आप संज्ञान ग्रहण करें।

गंगा से हमें अब लेना नहीं अपितु देना है, आप के द्वारा व्यक्त इस भावना पर यदि कायम हैं तो तुरंत गंगा के कार्य को साधेंगे, अन्यथा यदि मां गंगा पर आपके विकास रूपी बाजारू आक्रमण जारी रहे तो उसके निवारण हेतु मुझे भी बलिदान की राह चुननी ही होगी।

मुझे पूर्ण आशा है कि आप भारतीय परिपेक्ष्य में विकास की अवधारणा के ज्ञाता सलाहकार जनों की नियुक्त कर स्वयं इस विषय की कमान सम्भालेंगे।

स्वामी सानंद जी की चार मांगों के तहत गंगा जी सहित उसकी समस्त सहायक नदियों पर प्रस्तावित व निर्माणाधीन बांध परियोजनाओं का तत्काल निरस्तीकरण और कुम्भ नगरी पूरे हरिद्वार में गंगा जी पर खनन निषिद्ध कर आप स्वामी सानंद को पूरे देश की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। उनकी इन दो मांगों को लम्बित रखने का काई कारण नहीं है। इसके उपरांत उनके द्वारा संशोधित गंगा विधेयक को संसद में रखने और भक्त परिषद पर मातृ सदन और यहां से जुड़े उनके गंगा परिवार से परामर्श वार्ता कर कार्य को एक तय सीमा के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा सकता है। आपसे शीघ्र संवेदनशीलता की अपेक्षा में-
संतों की बलिदानी परम्परा के क्रम में अनशनरत,

(ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद)
मातृ सदन, हरिद्वार

प्रतिलिपिः (निम्न जनों को जिन्होंने स्वामी सानंद से सम्पर्क किया)
श्रीमान नितिन गडकरी जी, मंत्री जल संसाधन, नई दिल्ली
सुश्री उमा भारती, मंत्री, स्वच्छता एवं पेय जल
श्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
श्री मोहन भागवत जी, सरसंघचालक, द्वारा श्री कृष्ण गोपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

परिशिष्ट 9: स्वच्छ भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के साथ पत्राचार

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के जल त्याग के एक दिन पहले जारी महानिदेशक का पत्र

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
9 अक्टूबर, 2018

सेवा में: जिलाधिकारी
हरिद्वार

विषयः खनन गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश के सम्बंध में

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (इसके बाद सिर्फ अधिनियम कहा जाएगा) के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 3187(ई), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 (इसके बाद सिर्फ प्राधिकरण आदेश 2016 कहा जाएगा) के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन एक प्राधिकरण के रूप में हुआ है ताकि गंगा और सम्बंधित विषयों पर अपने अधिकार व कार्य का इस्तेमाल कर सके।

उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 39 में स्वच्छ भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन के कार्य दिए गए हैं और इस पैरा के बिंदु सी के तहत गंगा के पुनर्जीवन व संरक्षण के उद्देश्य से सुधारात्मक कार्यवाहियों हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन क्षेत्रों को चिन्हित करेगा।

ऐसा बताया गया है कि हरिद्वार में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड द्वारा गंगा नदी के तल में लघु खनिज का खनन गांव धोबीघाट, मिस्सेरपुर, अजीतपुर, बिशनपुर, सज्जनपुर पिल्ली, रायगढ़ ऐथल व रायगढ़ मस्तकान में किया जा रहा है जिसमें ट्रकों व ट्रक्टरों के नदी से आने जाने के कारण नदी का प्रदूषण हो रहा है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मामला सं. 10/2015 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों, प्रबंध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम व प्रबंध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम को निम्नलिखित प्रावधान के पालन हेतु निर्देश पत्र सं. 962/ग्री0.ट्राइब्यूनल/भू0खनी0/2015-16, दिनांक 2 फरवरी 2016 जारी किया गया हैः

- नदी के तल में खनन अत्यंत नियंत्रित तरीके से व सम्बंधित अधिकारियों की कड़ी देख-रेख में हो

- नदी के तल में किसी मशीनीकृत खनन को अनुमति नहीं मिलेगी। नदी तल में जे.सी.बी. को अनुमति नहीं मिलेगी

- सक्शन पम्प जैसे यांत्रिक क्रियाओं से भी नदी या नदी तल से खनिज खींचने की अनुमति नहीं मिलेगी

- नियंत्रित खनन उन्हीं मौसम में हो सकेगा जिसमें अनुमति मिलेगी और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा

गंगा व सहायक नदियों के पुनर्जीवन, संरक्षण या प्रबंधन, प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने अथवा कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए प्राधिकरण आदेश 2016 के पैरा 41(2)(एम) सहपठित पैरा 41 का बिंदु 3 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अधिकृत करता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जांच आख्या व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मामला सं. 117/2015, दिनांक 15 अप्रैल

2015 के आदेश को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश पत्र सं. पीसीआई - एसएसआई/ निर्देश-जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/2016, दिनांक 6 दिसम्बर 2016 के माध्यम से प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, जिलाधिकारी, हरिद्वार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करने का कहा हैः

जिलाधिकारी, हरिद्वार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार के निर्णय के अनुसार हरिद्वार के अंदर रायवाला से भोगपुर तक गंगा नदी में खनन पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन हो और नदी के इस हिस्से में कोई अवैध खनन न हो।

अवैध खनन पर रोक के लिए जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा 16 फरवरी 2016 को लिखे पत्र के प्रकाश में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड सरकार तुरंत जरूरी आदेश जारी कर हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर हिस्से में गंगा के किनारे स्टोन क्रशर/पलवराइजर पर प्रतिबंध लगाएं।

उत्तराखण्ड सरकार से उपरोक्त आदेश आते ही हरिद्वार के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्टोन क्रशर/पलवराइजर बंद करा देंगे।

उपरोक्त के आलोक में और प्राधिकरण आदेश 2016 के पैरा 8 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में निहित अधिकार का उपयोग कर निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कराएंः

सुनिश्चित करें कि उत्तराखण्ड सरकार के हरिद्वार में गंगा नदी के रायवाला से भोगपुर तक हिस्से में खनन पर प्रतिबंध के निर्णय का कड़ाई से पालन हो और माननीय हरित अधिकरण के मामला सं. 10/2015, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के फैसले के प्रावधान के तहत कोई अवैध खनन न हो।

जिलाधिकारी, हरिद्वार तुरंत एक आवश्यक आदेश जारी कर हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर तक गंगा के किनारे स्टोन क्रशर/पलवराइजर बंद करवाएं व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हरेक चार माह पर उपरोक्त के अनुपालन की आख्या भेजें।

(राजीव रंजन मिश्र)
महानिदेशक

प्रतिलिपिः
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड - जानकारी हेतु
सचिव, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्जीवन, भारत सरकार सह अध्यक्ष, प्रमुख समिति
परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखण्ड - आवश्यक कार्यवाही व स्वच्छ भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन को स्वतंत्र अनुपालन आख्या भेजने हेतु

***

ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के अनशन के दौरान महानिदेशक द्वारा जारी किया गया पत्र:

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
26 अप्रैल, 2019
फाइल सं. टी-02/2016-17/450/राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/मिसलेनियस

प्रतिः जिलाधिकारी
हरिद्वार
उत्तराखण्ड

विषयः पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देश के सम्बंध में

संदर्भः 1. महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का 9 अक्टूबर, 2018 का पत्र
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ आईपीसी-2/ निर्देश/जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/2016, दिनांक 23 अप्रैल, 2019

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु संदर्भ सं. 1 के माध्यम से निर्देश जारी हुए थे। इस निर्देश के मुख्य क्रियान्वयन वाले बिंदु निम्न हैंः

1. सुनिश्चित करें कि उत्तराखण्ड सरकार के हरिद्वार में गंगा नदी के रायवाला से भोगपुर तक हिस्से में खनन पर प्रतिबंध के निर्णय का कड़ाई से पालन हो और माननीय हरित अधिकरण के मामला सं. 10/2015, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के फैसले के प्रावधान के तहत कोई अवैध खनन न हो। जिलाधिकारी, हरिद्वार तुरंत एक आवश्यक आदेश जारी कर हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर तक गंगा के किनारे स्टोन क्रशर/पलवराइजर बंद करवाएं व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हरेक चार माह पर उपरोक्त के अनुपालन की आख्या भेजें।

2. यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी से कोई भी अनुपालन आख्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3. चूंकि संदर्भित विषय पर कई शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 दिसम्बर 2018 को शिकायतकर्ताओं और उत्तराखण्ड सरकार की एक बैठक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय पर रखी जिसमें उत्तराखण्ड सरकार ने अपना कोई प्रतिनिधि ही नहीं भेजा। बाद में उत्तराखण्ड सरकार की राय जानकर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 अप्रैल 2019 को उपरोक्त संदर्भ सं. 2 जारी किया जिसमें मातृ सदन की दिनांक 19 अप्रैल 2019 की शिकायत की जांच और 10 मई 2019 तक तथ्यात्मक आख्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करने के स्पष्ट निर्देश हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य सरकार को अवैध खनन पर कड़ी नजर रखने व उल्लंघकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया है ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के दिनांक 9 अक्टूबर 2018 के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन हो।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दिनांक 9 अक्टूबर 2018 के उपरोक्त संदर्भ सं. 1 के अनुसार अपने निर्देश दोहराती है और समय समय पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किए गए प्रावधानों के अनुसार

जिलाधिकारी से अवैध खनन रोकने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की दृष्टि से निम्न कार्यवाही करने का निर्देश देती हैः

- संदर्भ 1 में जिक्र आख्या 1 मई 2019 तक प्रस्तुत करें। आख्या में पिछले 6 माह में अवैध खनन को रोकने हेतु किए गए दौरों का विवरण दिया जाए।

- जहां अनुमति है उसके अलावा खनन वाले इलाके चिन्हित करें और तुरंत उचित कार्यवाही करें।

- विभिन्न जांच एजेंसियों के मिश्रित दल का अवैध खनन रोकने की दृष्टि से औचक निरीक्षण हो।

- पुलिस को अवैध सामग्री, खनन स्थल पर या ले जाते हुए, जब्त करने और कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का स्पष्ट निर्देश दें और निर्देश की एक प्रति हमे भेजें।

- बालू खनन व पत्थर तोड़ने सम्बंधित सारे निर्णय जिलाधिकारी की वेबसाइट व अन्य जगहों पर सार्वजनिक होने चाहिए।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश, दिनांक 23 अप्रैल 2019 के निर्देशानुसार 10 मई 2019 तक तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करें।

- संदर्भ 1 के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2018 के निर्देशानुसार चार माह पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

5. उपरोक्त में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासन की है और उल्लंघन की स्थिति में उपयुक्त जिला प्राधिकरण को जिम्मेदार मान उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।

6. इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

(राजीव रंजन मिश्र)

महानिदेशक

1. प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड - जानकारी हेतु इस आग्रह के साथ कि उपयुक्त निर्देश जारी करें।

जानकारी हेतुः
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
3. सचिव, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

***

ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का उपवास वापस लेने के लिए महानिदेशक का आग्रह

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
26 अप्रैल, 2019
पत्र सं. टी-02/2016-17/450/राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन/मिसलेनियस

सेवा मेंः
स्वामी शिवानंद जी
मातृ सदन
जगजीतपुर, हरिद्वार
उत्तराखण्ड-249408

आदरणीय स्वामी जी,

मेरी 25 मई 2019 की मातृ सदन की यात्रा के दौरान हमारी बातचीत का संदर्भ लें।

1. जहां तक अवैध खनन का मामला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य सरकार व जिला प्रशासन को समय समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ निर्देश दे रहें हैं। आपसे 25 अप्रैल 2019 को वार्ता के बाद जिला प्रशासन, हरिद्वार को 26 अप्रैल 2019 को नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं (प्रति संलग्न है)। अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी 26

अप्रैल 2019 के पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष औचक निरीक्षण दलों का गठन करें। अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखे पत्र की प्रति भी संलग्न है।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक विशेष दल ने सम्बंधित क्षेत्र का दौरा किया है। 29 अप्रैल 2019 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड से आग्रह किया गया है कि हरिद्वार जिला प्रशासन को जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें।

3. जहां तक उत्तराखण्ड की पन बिजली परियोजनाओं का मामला है विभिन्न हितधारकों से बातचीत हुई है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय के दलों ने स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत की हैं। वार्ता और स्थलीय निरीक्षणों से प्राप्त आख्याओं के आधार पर उत्तराखण्ड की पन बिजली परियोजनाओं पर जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाना है।

4. भारत सरकार गंगा की अविरलता व निर्मलता सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह वाली अधिसूचना जारी करना गंगा की अविरलता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उपरोक्त के प्रकाश में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप स्वामी आत्मबोधानंद जी को अपना अनशन रोकने के लिए मनाएं तथा उनका महत्वपूर्ण जीवन बचाएं।

भवदीय,

(राजीव रंजन मिश्र)
महानिदेशक

***

स्वामी शिवानंद जी का महानिदेशक के पत्र का जवाब:

मातृ सदन
जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार
उत्त्राखण्ड (भारत)-249408
संदर्भ सं. एमएस/2के19/हरिद्वार/51

सेवा में
श्री राजीव रंजन मिश्र जी
महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, भारत सरकार
नई दिल्ली

विषयः गंगाजी और उनके लिए तपस्यारत संतों के प्रति आपकी संवेदनशीलता के संदर्भ में।

मिश्र जी,

ईश्वर आपका भला करे,

गंगाजी और उनके लिए तपस्यारत संतों के प्रति आपकी संवेदनशीलता के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मातृ सदन में 25 अप्रैल 2019 की वार्ता और आपके 4 मई 2019 के लिखित पत्र के बाद मैंने ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को उपवास रोकने के लिए कहा है। आप और श्री अशोक कुमार, कार्यकारी परियोजना निदेशक 25 अप्रैल 2019 को मातृ सदन आए, हमारी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद आपने कार्यवाही भी शुरू की इसकी हम प्रशंसा करते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत के खिलाफ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत आपके निर्देश के उल्लंघन के लिए फौजदारी कार्यवाही शुरू करने के लिए कदम उठाएंगे।

जहां तक गंगाजी और उसकी सहायक नदियों पर पन बिजली परियोजनाओं का सवाल है भारत सरकार ने सभी प्रस्तावित बांधों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आपसे सौहद्र्यपूर्ण वार्ता के दौरान जहां तक चार निर्माणाधीन बांधों पर काम रोकने का सवाल है हलांकि ऐसा औपचारिक रूप में नहीं है लेकिन हकीकत यही है फाटा ब्यूंग बंद कर दिया गया है और बंद रहना चाहिए, तपोवन-विष्णुगाड को डब्लू.आई.आई. ने अस्वीकृत कर दिया है, तो दो ही

बचते हैं सिंगोली-भटवारी और विष्णुगाड-पीपलकोटी। सिंगोली-भटवारी और विष्णुगाड-पीपलकोटी पर व्यय धन कोई वजह नहीं होनी चाहिए इन्हें रद्द करने का विचार करते समय। उपर्युक्त चारों बांध गंगाजी की अविरलता व पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और गंगाजी से ऊपर कुछ भी नहीं। शेष बांधों के स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार आप उन्हें रद्द करने का निर्णय लें।

हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से उपर्युक्त चार बांधों के रद्द होने की सूचना भी मिलेगी जो गंगाजी को पुनर्जीवित करने की दिशा में नया संदेश होगा। स्वामी सानंद के बलिदान को भी महात्मा गांधी के देश में सम्मान मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद की भावना पराजित नहीं होगी, ऐसा कह मैंने उन्हें उपवास रोकने को कहा है।

सधन्यवाद,
स्वामी शिवानंद
मातृ सदन, हरिद्वार

परिशिष्ट 10: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समूह की पर्यावरणीय प्रवाह की संस्तुति

ऊपरी गंगा हिस्से में सात चुनी हुई जगहों पर पर्यावरणीय प्रवाह आंकलन के परिणाम

(भा.प्रौ.सं. समूह की आख्या)

स्थल	मानसून क	मानसून ख	गैर मानसून क	गैर मानसून ख	कम प्रवाह क	कम प्रवाह ख	सालाना क	सलाना ख
भागीरथी नदी पर रनारी, धरासु	46	61	53	67	62	79	47	62
भागीरथी पर देवप्रयाग से ऊपर	35	67	38	69	43	77	35	67
अलकनंदा पर रूद्रप्रया	40	64	46	69	48	71	42	65

ग से नीचे								
गंगा पर देव प्रयाग से नीचे	59	71	61	71	73	83	60	71
गंगा पर ऋषिकेश से ऊपर	50	64	67	72	79	85	54	66
गंगा पर ऋषिकेश में केन्द्रीय जल आयोग स्टेशन	53	64	71	72	83	85	56	66
गंगा पर पशुलोक बराज से नीचे	58	64	37	76	42	85	55	66

मानसूनः 1 जून से अक्टूबर 20
गैर मानसूनः 21 अक्टूबर से 31 मई
कम प्रवाहः 16 दिसम्बर से 15 मार्च
कः औसत नैसर्गिक प्रवाह का प्रतिशत
खः 90 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह का प्रतिशत

परिशिष्ट 11: संयुक्त राष्ट्र ने संतों के उपवास का संज्ञान लिया

संयुक्त राष्ट्र ने भारत से पवित्र गंगा के गम्भीर प्रदूषण को साफ करने को कहा

2 दिसम्बर, 2018, चारलोट प्वाइंटिंग द्वारा

संयुकत राष्ट्र ने 86 वर्षीय पर्यावरणविद् कार्यकर्ता स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के मरने के बाद भारत सरकार से कहा है कि वह गंगा नदी को साफ करे। स्वामी सानंद नदी की सफाई न होने के खिलाफ 111 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे।

हिंदू जिसकी पूजा करते हैं, गंगा भारत और बंग्लादेश से होकर बहती है। सं.रा. पर्यावरण के अनुसार गंगा अत्यंत पवित्र व बहुत गंदी है।

स्वामी सानंद ने अपनी सारी जिंदगी गंगा को बचाने में लगा दी। गंगा अपनी लम्बाई में करीब 600 किलोमीटर परिस्थितिकीय रूप से मृत है, इसलिए स्वामी सानंद 'गंगा के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एक कानून' बनाने की मांग कर रहे थे ताकि गंगा पर बनने वाले अवैध बांधों एवं उसमें होने वाले अवैध खनन को रोका जा सके।

सरकार का दावा है कि गंगा में प्रदूषण कम करने का काम चल रहा है, सरकार नमामि गंगे परियोजनाएं के तहत अब तक 2016 से गंगा की सफाई पर 46 करोड़ डॉलर खर्च कर चुकी है - सानंद के अनुसार यह प्रयास पूरे नहीं पड़ रहे।

देश के विभिन्न इलाकों में गंदगी अभी भी गंगा में बह कर जा रही है। ऐसा ठीक से काम न करने वाले अवजल प्रशोधन संयंत्र की वजह से भी है और

वाराणसी जैसे शहर में जहां 40 करोड़ लीटर अवजल निकलता है अभी इतनी क्षमता ही नहीं है कि इतने अवजल का प्रशोधन किया जा सके।

किंतु पर्यावरण को लेकर फिर भी कुछ उम्मीद दिखती है। प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ काम करने व जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए सं.रा. पर्यावरण ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को चैम्पियनस् ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। किंतु गंगा के मुद्दे पर सं.रा. का मानना है कि नरेन्द्र मोदी को अभी और काम करना है।

सं.रा. के अनुसार, 'मोदी के नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखने वाली नीतियां तथा जमीनी स्तर पर हरित पहल लेकर भारत दुनिया में पांचवां बड़ा सौर उर्जा उत्पादक व छठा बड़ा पुनर्प्राप्य संसाधनों से उर्जा प्राप्त करने वाला देश बन गया है'।

वह आगे कहता है, गंगा दुखी कर देने वाली हद तक गंदी हैं और उनको साफ करने के प्रयासों में काफी कमी है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी कि अवजल को गंगा में न बहाया जाए ऐसी अभी भी जारी है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वामी सानंद पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने गंगा के लिए अपनी जान दी। इससे पहले गंगा को लेकर ही 2011 में स्वामी निगमानंद सरस्वती ने 114 दिनों के अनशन के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे।

"संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नहीं चाहता कि पर्यावरण को बचाने वाले अन्य किसी को इस तरह से गंगा की सफाई के मुद्दे पर अपनी जान देनी पड़े," ऐसा संस्थान ने कहा। "हम मोदी और उसकी सरकार से आग्रह करेंगे कि वे सारे कार्य कर अपने वायदे को पूरा करें और पवित्र गंगा को उसकी जिंदगी और स्वास्थ्य वापस लौटाएं।"

परिशिष्ट 12: गंगा के लिए अनशनरत साधुओं के समर्थन में

प्रोफेसर अग्रवाल के अनशन के दौरान एक हस्ताक्षर अभियान

86 वर्षीय स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जो पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के नाम से पढ़ा चुके हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सदस्य-सचिव रह चुके हैं 22 जून, 2018 से गंगा के संरक्षण हेतु एक कानून बनाने की मांग को लेकर हरिद्वार में अनशन पर बैठे हैं। उनके पहले उपवासों की वजह से तीन पनबिजली परियोजनाएं रोकी गई हैं और भागीरथी नदी की 135 किलोमीटर की लम्बाई पर अबाधित प्रवाह सुनिश्चित हो पाया। भागीरथी ही अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है।

पहले गंगा एक्शन प्लान के नाम पर रु. 500 करोड़ खर्च हुए, अब नमामि गंगे के रु. 20,000 करोड़ के बजट में से रु. 7,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं और फिर भी ज्यादातर अवजल व औद्योगिक कचरा गंगा में यूं ही बहाया जा रहा है, जैसे कि देश की अन्य नदियों जिसमें साबरमती भी शामिल है, क्योंकि हमारे अवजल प्रशोधन संयंत्रों व कॉमन एफ्लूएण्ट ट्रीटमेण्ट संयंत्रों की इतनी क्षमता ही नहीं कि वे सारा अवजल व औद्योगिक कचरा साफ कर सकें, और जो क्षमता है भी उसका भ्रष्टाचार व अन्य कारणों से पूरा इस्तेमाल नहीं होता।

यह आश्चर्य की बात है कि जो सरकार अपने को हिन्दुत्ववादी बताती है और जिसने जल संसाधन मंत्रालय के नाम में गंगा पुनर्जीवन जुड़वाया वह स्वामी सानंद के उपवास पर खामोश है और संचार माध्यम भी इस साजिश में शामिल हैं।

हम मांग करते हैं कि सरकार स्वामी सानंद की जान बचाने की दृष्टि से उनसे बात करे और इस देश की नदियों एवं अन्य जल स्रोतों को बचाने के लिए कुछ ठोस निर्णय ले।

मेधा पाटकर, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय
स्वामी अग्निवेश, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, दिल्ली
मल्लिका साराभाई, सामाजिक कार्यकर्ती एवं शास्त्रीय नर्तकी, अहमदाबाद
जार्ज लाइटमैन, एमेरिटस प्रोफेसर, यूनीवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले (जहां से प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल ने पीएच.डी. की)
पी.आर.के. राव, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, प्रो. अग्रवाल के समकालीन
सी.वी.आर. मूर्ति, पूर्व प्रोफेसर, भा.प्रौ.सं., कानपुर, प्रो. अग्रवाल के समकालीन
के.आर. श्रीवत्सन, पूर्व प्रोफेसर, भा.प्रौ.सं., कानपुर
गिरीराज किशोर, पद्मश्री, साहित्यकार, पूर्व कुल सचिव, भा.प्रौ.सं., कानपुर
राहुल वर्मन, प्रोफेसर, भा.प्रौ.सं., कानपुर
संगीता कोहली, प्रोफेसर, भा.प्रौ.सं., दिल्ली, उससे पहले भा.प्रौ.सं., कानपुर
सिद्धार्थ रामाचंद्रन, प्रोफेसर, बॉस्टन यूनीवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमरीका, पूर्व छात्र, भा.प्रौ.सं., कानपुर
संजीव घोटगे, पूर्व छात्र, भा.प्रौ.सं., कानपुर, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के पूर्व छात्र
सुशील हाण्डा, पूर्व छात्र, भा.प्रौ.सं., कानपुर, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के पूर्व छात्र
सी.वी. सिंह, पूर्व छात्र, भा.प्रौ.सं., कानपुर, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के पूर्व छात्र
प्रताप सी. गुप्ता, पूर्व छात्र, भा.प्रौ.सं., कानपुर, वर्तमान में आस्ट्रेलिया में
राम पुनियानी, ऑल इण्डिया सेक्यूलर फोरम, पूर्व प्रोफेसर, भा.प्रौ.सं., मुम्बई
उदय भानु चित्रांशी, भा.प्रौ.सं., रुड़की
दिलीप कुमार, पीएच.डी., भा.प्रौ.सं., का.हि.वि.वि., वाराणसी
कवीश कुमार, छात्र, भा.प्रौ.सं., गांधीनगर
विश्वेश गुट्टल, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू
ज्योति झा, छात्रा, आई.आई.आई.टी., हैदराबाद
घनश्याम शाह, पूर्व प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू वि.वि., यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो, वर्तमान में अहमदाबाद में
सुनील सहस्रबुद्धे, पूर्व प्रोफेसर गांधी विद्या संस्थान, वाराणसी
प्रजित कुमार बासु, प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र, हैदराबाद वि.वि.
प्रेम सिंह, प्रोफेसर, दिल्ली वि.वि., दिल्ली
अचिन वनाईक, पूर्व प्रोफेसर, दिल्ली वि.वि., दिल्ली
मोहन भगत, एमेरिटस प्रोफेसर, यूनीवर्सिटी ऑफ मेरीलैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका

निशरीन जाफरी, पूर्व सांसद एहसान जाफरी की बेटी, वर्तमान में अमरीका में रह रही हैं
विद्या भूषण रावत, कार्यकर्ता एवं लेखक, दिल्ली
दक्षिण छारा, फिल्म निर्माता, नाटककार, विमुक्त जातियों के नेता, अहमदाबाद
समर बागची, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, पश्चिम बंगाल
तपन कुमार बोस, शांति व लोकतंत्र हेतु पाकिस्तान भारत मंच, दिल्ली
रवि किरण जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता व लोक स्वातंत्र्य संगठन
गेबरियल डीट्रीच, ज.आं.रा.स., तमिल नाडू
विजया रामाचंद्रन, जागृति बाल विकास समिति, कानपुर
सुगन बरंठ, नई तालीम समिति, सेवाग्राम, वर्धा
मोहन हीराभाई हीरालाल, समन्वयक, वृक्षमित्र, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र
चंद्रभाल त्रिपाठी, साम्प्रदायिक सद्भावना समिति, नई दिल्ली
परसिस जिनवाला, सामाजिक कार्यकर्ती, अहमदाबाद
सागर रबाड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता, अहमदाबाद
मजहर हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता, हैदरादाबाद
आचार्य सच्चिदानंद भारती, आचार्य गुरु, त्यागार्चना शांति मिशन, धर्म भारती आश्रम, कोच्चि, केरल
पैमेला फिलीपोस, पत्रकार, नई दिल्ली
हेमंत बर्मन, पत्राकार, गुवाहाटी
सुहेल हाश्मी, फिल्म निर्माता व लेखक, दिल्ली
एम.जी. देवसहायम, आई.ए.एस. (सेवा निवृत)
संदीप पाण्डेय, सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया), आशा परिवार, लखनऊ
गजल श्रीनिवास, लोकप्रिय गायक, हैदराबाद
मनेश गुप्ता, जन कल्याण उपभोक्ता समिति, मुजफ्फनगर
फैसल खान, खुदाई खिदमतगार, दिल्ली
अल्पना भारती, दार्शनिक व राजनीतिक चिंतक, हैदराबाद
प्रकर्ष श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
मुजाहिद नफीस, सामाजिक कार्यकर्ता, अहमदाबाद
नवीन तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता व उद्यमी, लखनऊ
बॉबी रमाकांत, सिटीजनस् न्यूज़ सर्विस, लखनऊ
गौरव सिंह, युवा शक्ति संगठन, लखनऊ
प्रवीण श्रीवास्तव, क्वीन्स कालेज, लखनऊ
प्रंकुर श्रीवास्तव, ईशा फाउण्डेशन, कोयम्बटूर

हिमानी गोयल, एनालिस्ट, गुड़गांव
मुदित शुक्ल, आशा परिवार, चण्डीगढ़
पूजा श्रीवास्तव, गृहणी, दिल्ली
पल्लवी श्रीवास्तव, गृहणी, गुड़गांव
शरद पटेल, भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान, लखनऊ
विशेष शर्मा, पूर्व छात्र, भा.प्रौ.सं., का.हि.वि.वि., वाराणसी
विनोद कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, लखनऊ
हफीज किदवई, खुदाई खिदमतगार, लखनऊ
नीरज कुमार सिंह, सोशलिस्ट युवजन सभा, दिल्ली
रूचि सक्सेना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
प्रतिमा कुमारी, इलाहाबाद
भवानी शंकर कुसुम, सामाजिक कार्यकर्ता, जयपुर
दिनेश प्रियमन, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्नाव
बृज खण्डेलवाल, समन्वयक, नदी जोड़ो अभियान, आगरा
अनुज जैन, लखनऊ
जफर इकबाल, जी.ओ.पी.आई.ओ., वाशिंग्टन, सं.रा.अ.
ए.सी. माथुर, सेवा निवृत विंग कमाण्डर
दर्शन आनंद रस्तोगी, सेवा निवृत मुख्य अभियंता, ऑल इण्डिया रेडियो व दूरदर्शन
अशोक कुमार जैन, निर्माण सलाहकार, नोएडा
एस.एल. गुट्टी, प्रबंध सम्पादक, जनता साप्ताहिक, मुम्बई
प्रभा चतुर्वेदी, अध्यक्ष, एक्सनोरा, लखनऊ
रचन दाईमारी, पीएच.डी. शोध छात्र, गुजरात केन्द्रीय वि.वि., गांधीनगर
धनंजय राय, सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक, बलिया
प्रताप नारायण
नवीन खन्ना, पर्यावरणविद् व लेखक, दिल्ली
कृष्ण मुरारी यादव, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, कानपुर
डॉ. वी.एन. शर्मा, पर्यावरण सलाहकार व सामाजिक कार्यकर्ता
चंद्रशेखर, शोध छात्र
शशिरेखा, प्रधानाचार्या, पूर्णप्रमति
गीता नारायण, गृहणी, बेंगलुरू
सुकृति, गृहणी, हैदराबाद
उर्वशी शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ती, लखनऊ
टी.वी. राजन, महासचिव, अखिल केरल नदी संरक्षण परिषद

अनिल कुमार दुबे, प्रोफेसर, लखनऊ
सुहास कोल्हेकर, ज.आं.रा.स., महाराष्ट्र
महेन्द्र यादव, कोशी नवनिर्माण मंच व ज.आं.रा.स., बिहार
विजयराघवन चेलिया, ज.आं.रा.स., केरल
रघुराम, पूर्णप्रमति, बेंगलुरू
डॉ. आर.एन. कुशवाहा, उन्नाव
प्रतीक सक्सेना, बी.टेक. छात्र, हैदराबाद
मुहम्मद नईम, एसिसटेण्ट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, बुंदेलखण्ड वि.वि., झांसी
एम. गुरुमूर्ति, उद्यमी, बेंगलुरू
रवि प्रसाद, प्रतिमा प्रसाद, सं.रा.अ.
सुधीर कुमार उगल, उद्यमी व सामाजिक कार्यकर्ता, रांची, झारखण्ड
प्रेम वर्मा, समन्वयक, झारखण्ड नागरिक प्रयास
निखिल वाजपेई, नोएडा
वल्लभचार्य पाण्डेय, साझा सांस्कृतिक मंच, वाराणसी
राम जनम, स्वाराज अभियान, वाराणसी
जागृति राही, विज़न संस्था, वाराणसी
जगन्नाथ कुशवाहा, लोक एकता दल, वाराणसी
उमा बी.आर., पूर्णप्रमति, बेंगलुरू
आर.पी. शाही, रांची
अनिल विरमानी
अभिषेक दुबे, पर्यावरण व वीगन कार्यकर्ता, गोण्डा
कृपा श्रीकांत
जम्बूनाथ बी.एन.
चंद्रशेखर
रजनी संतोष, बेंगलुरू
वाई.एस. राजा राव
सेत्तालक्ष्मी पी.एन.
अरणव समाहित
राजीव घ्यानी, स्वाराज इण्डिया
कृपाल सिंह मण्डलोई, खुदाई खिदमतगार, नीमच, मध्य प्रदेश
गिरीधारी बोरा, तत्व फाउण्डेशन, लखनऊ
आकांक्षा जायसवाल, तत्व फाउण्डेशन, लखनऊ
दिलीप के. सोम, सं.रा.अ.

डॉ. नीतू खुराना बत्रा, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, लखनऊ
शारदा चिंताला

(यह अपील लेखक द्वारा स्वामी सानंद को मातृ सदन में उनके अनशन के 62वें दिन 22 अगस्त 2018 को दी गई।)

***

19-20 जनवरी, 2019 को मातृ सदन, हरिद्वार में भारत झुनझुनवाला द्वारा बुलाई गई एक बैठक में पारित प्रस्ताव जो एडवोकेट पी.एस. शारदा द्वारा तैयार किया गया

गंगा संकल्प

आज भारत की पहचान गंगा अपने उद्गम स्थल से लेकर सागर में अपने तिरोहण तक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। देश की गंगा-जमुनी तहजीब की पहचान गंगा, उत्तराखण्ड में प्रस्तावित लगभग 200, निर्माणाधीन और बन चुके बड़े बांधें में बंध रही है। भागीरथी देवप्रयाग में विष्णुपदीगंगा, अलकनंदा से मिलकर गंगा का संपूर्ण रूप धारण करती हैं। अलकनंदा में धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिण्डर और मंदाकिनी क्रमशः विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में मिलती हैं।

फिलहाल टिहरी, विष्णुप्रयाग व श्रीनगर जैसे विभिन्न प्रकार के जलाशय और सुरंग वाले बांधों ने गंगा का प्राकृतिक रूप समाप्त कर दिया है। आज गंगा या तो जलाशय में दिखती है या सुरंग में मोड़ दी गई है और नदी तल सूखा दिखता है। पहाड़ में नदी लोगों की नहीं रही। नदी से मिलने वाली मछली, रेत, लकड़ी अब नहीं मिलतीं। बांधों से उजाड़े हुए लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है और नदी जलचरों का जीवन भी समाप्त होता जा रहा है।

जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, गंगा जैसे ही मैदानी इलाके में पहुंचती है, तेजी से घटते हुए तटीय क्षेत्र की ओर, जानलेवा गैर-कानूनी खनन, उद्योगों व शहरों के जहर उगलते प्रदूषण तत्व उसका भक्षण शुरू कर देते हैं। रही सही कसर जल मार्ग के नाम पर बनाई जाने वाली परियोजनाएं पूरी कर देती हैं।

निश्चित ही मां गंगा का यह भक्षण और व्यवसायीकरण उन्हें दिन-प्रतिदिन मृत्यु की ओर ले जा रहा है। इस बुरे प्रभाव के कारण नदी और उस पर आश्रित जीव-जंतुओं के जीवन का अधिकार भी नष्ट हो रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के भावी जीवन की सम्भावनाएं भी इस वजह से नष्ट हो रही हैं।

गंगा की लूट और विनाश को तुरंत रोकना है

इस तरह की गम्भीर वास्तविकता से प्रभावित पीढ़ी दर पीढ़ी का सामना करते हुए, हम मानते हैं कि वतर्मान पीढ़ी को अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं करने के लालच के साथ नदी को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। गंगा इस प्रकार नहीं रोकी जा सकतीं। हम देश के कोने कोने से आए जन प्रतिनिधि जो गंगा के लिए चिंतित हैं कनखल, हरिद्वार में इकट्ठा हुए और हमने गंगा संकल्प लिया।

हम किसी भी प्रकार से गंगा के दोहन को नकारते हैं। अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अथक रूप से, शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक रूप से, अपने प्रयासों, समय और ऊर्जा को समर्पित करते हुए कानून के दायरे में रहकर मां गंगा के जीवन रक्षा हेतु हर कार्यवाही करेंगे जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे किंतु हम इन तक सीमित नहीं रहेंगे।

1. यह सुनिश्चित करें कि गंगा नदी का सिल्टयुकत अविरल प्रवाह हिमालय से सागर तक, न केवल बहाल हो, बल्कि भविष्य में भी उसमें कोई हस्तक्षेप न हो।

2. यह सुनिश्चित करें कि गंगा नदी पर कोई नया बांध या बराज नहीं बनाया जाए और नदी के अविरल प्रवाह के मार्ग पर कहीं भी निर्माणाधीन बांधों व बराजों को हटा दिया जाए जिससे गंगा की प्राकृतिक पवित्रता बनी रहे।

3. गंगा पर मौजूद सभी बांध हटाए जाएं।

4. सीपीसीबी के आदेश पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 अनुक्रमांक पत्र संख्या पीसीआई - एसएसआई/निर्देश - डी.एम./एस.एस.पी.,

हरिद्वार/2016 जो कि गंगा के दोनों ओर 5 किलोमीटर तक रायवाला 2, भोगपुर, हरिद्वार तक खनन और स्टोन क्रशर को वर्जित करता है, को तुरंत लागू किया जाए। इस आदेश को रायघाटी तक बढ़ा कर वहां भी लागू किया जाए।

5. गंगा पर निर्माणाधीन सिंगोली-भटवारी, तपोवन-विष्णुगाड व विष्णुगाड-पीपलकोटी बांधों को रोक दिया जाए।

6. मातृ सदन में संतों ने आमरण अनशन की अटूट श्रंखला में अपनी प्राणों की आहुति दी हैं और आज भी दे रहे हैं। सरकार उनसे तुरंत बातचीत शुरू करे।

यह संकल्प 20 जनवरी, 2019 को हरिद्वार, उत्तराखण्ड से जारी किया गया।

***

गंगा पर कार्यवाही के लिए पर्यावरण पर काम करने वाले समूहों व नागरिकों का प्रधान मंत्री के नाम पत्र

19 फरवरी, 2019
सेवा में:

1. माननीय श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधान मंत्री, भारत सरकार

2. माननीय नितिन गडकरी
जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन मंत्री
भारत सरकार

3. माननीय त्रिवेन्द्र रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

विषयः गंगा नदी।

आदरणीय महोदय,

इसमें कोई दोराय नहीं कि गंगा को अविरल बहना चाहिए, अन्यथा वह विलुप्त हो जाएगी और उसके खतरनाक परिणाम होंगे। इस बात की पुष्टि रवि चोपड़ा समिति आख्या में है जो सर्वोच्च न्यायालय में जमा की गई है, जिसके अनुसार 2013 के बाद से उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं और इसमें बांधों की भूमिका है। आपकी सरकार ने संकल्प लिया है कि गंगा को उसकी उप धाराओं जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, आदि, के साथ पुनर्जीवित करेंगे।

पहले से बने बांधों से हुए नुकसान के अलावा वर्तमान में निर्माणाधीन चार बांध तपोवन-विष्णुगाड, विष्णुगाड-पीपलकोटी, सिंगोली-भटवारी व फाटा-ब्यूंग की वजह से भी गंगा को खतरा उत्पन्न हो गया है।

गंगा के अस्तित्व के लिए उसकी कराह की ओर स्वामी सानंद ने पिछले वर्ष 111 दिनों अनशन किया किंतु वे अनसुने मर गए। उनके अनशन के क्रम को संत गोपाल दास ने आगे बढ़ाया लेकिन 146 दिनों के अनशन के बाद वे रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। उनकी आवाज भी नहीं सुनी गई। वर्तमान में अनशन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मातृ सदन, हरिद्वार के 26 वर्षीय ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद 24 अक्टूबर, 2018 से बैठे हैं जब तक आपके यहां से कोई सकारात्मक उत्तर न मिल जाए।

आपकी सरकार की ओर से उनसे बातचीत होनी चाहिए ताकि नदी की जीवंतता को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें और नदी के लिए अनशन करने वाले किसी की जान न जाए।

भूगर्भीय दृष्टि से हिमालय अभी जवान पहाड़ है। पनबिजली परियोजनाओं के बांध, सुरंग, आदि से नदी का नुकसान होता है, उसकी जैव विविधता छिन्न भिन्न होती है व हिमालय पहाड़ कमजोर होते हैं। भूस्खलन बढ़ रहे हैं। ये जहां बांध अस्तित्व में हैं विष्णु प्रयाग, श्रीनगर, मनेरी भाली 1 व 2, टिहरी व कोटेश्वर में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर द्वारा

पाया गया कि टिहरी, जहां पानी रुक जाता है वहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता, जो मीथेन उत्सर्जन से पता चलता है।

पर्यावरणीय प्रवाह वाली 9 अक्टूबर, 2018 की सरकार (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय) की अधिसूचना किसी वैज्ञानिक आंकलन, कोई समयबद्ध कार्यक्रम या गंगा को लेकर किसी दृष्टि के तहत नहीं तय की गई है। हरिद्वार पर 6 प्रतिशत व रुड़की पर 3 प्रतिशत पर्यावरणीय प्रवाह की बात की गई है। यह किसी भी नदी के लिए अपर्याप्त है यह देखते हुए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के समूह की आख्या के अनुसार जहां बांध हैं वहां 50 प्रतिशत पर्यावरणीय प्रवाह की संस्तुति की गई है। मार्च 2015 में जल संसाधन मंत्रालय व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संयुक्त आख्या में पर्यावरणीय प्रवाह निकालने की विधि बताई गई थी। 9 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना पीछे ले जाने वाली बात है। इस अधिसूचना को वापस ले, इसकी जगह मार्च 2015 वाली आख्या का पालन करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

गंगा नदी को बचाने व पुनर्जीवित करने के लिए कृप्या निम्न कदम उठाएं।

1. निर्माणाधीन चार बांध परियोजनाओं तपोवन-विष्णुगाड, विष्णुगाड-पीपलकोटी, सिंगोली-भटवारी व फाटा-ब्यूंग को रोकें और गंगा व उसकी सहायक नदियों पर अन्य निर्माणाधीन व प्रस्तावित बांधों को भी निरस्त करें। बड़ी पन बिजली परियोजनाएं वैसे भी आर्थिक दृष्टि से जायज नहीं ठहराई जा सकतीं।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 6 दिसम्बर, 2016 का आदेश पीसीआई-एसएसआई/ निर्देश- जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार/2016 तत्काल लागू कर गंगा के दोनों ओर 5 किलोमीटर तक रायवाला 2, भोगपुर, हरिद्वार तक और रायघाटी तक खनन व स्टोन क्रशर पर रोक लगे।

3. गंगा में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से पहले कानूनी रूप से सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन, जन सुनवाई व मूल्यांकन अनिवार्य

किया जाना चाहिए। इस समय गंगा घाटी में बड़े हस्तक्षेप के रूप में चार धाम परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, रिवर फ्रंट डेवलपमेण्ट, ड्रेजिंग, बड़ी पन बिजली परियोजना जैसे लखवर में ली गई हैं जिनमें किसी वजह से उपरोक्त प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं।

4. मातृ सदन के संत एक एक करके अनशन पर बैठ रहे हैं और अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। सरकार उनसे बात करे और उनकी समस्याओं का निराकरण करे।

आपकी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

आपसे शीघ्र प्रतिक्रिया की अपेक्षा,

सागर रबाड़ी, अध्यक्ष, खेड़ुत एकता मंच, गुजरात
डॉ. ई.ए.एस. शर्मा, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार, वर्तमान में विशाखापट्टनम में
आशीष कोठारी, कल्पवृक्ष, पुणे
डॉ. रवि चोपड़ा, संस्थापक, भूतपूर्व निदेशक, पीपुल्स साइंस इन्सटीट्यूट, देहरादून
मनोज मिश्र, यमुना जिए अभियान, भोपाल
रोहित प्रजापति, गुजरात
विक्रांत तोंगड, सोशल एक्शन फॉर एनवायरनमेण्ट एण्ड फॉरेस्ट, नोएडा, उ.प्र.
एस. जनकराजन, अध्यक्ष, सैकीवाटर्स, चैन्नई, तमिल नाडू
बिट्टू सहगल, सैंक्चुरी एशिया, मुम्बई
एस. विश्वनाथ, बेंगलुरू, कर्नाटक
एस.पी. रवि, चलकुडीपूझा संरक्षण समिति, थ्रिसूर, केरल
श्रीपाद धर्माधिकारी, मंथन अध्ययन केन्द्र, पुणे
जे. जॉय, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग पारटिसिपेटिव इकोसिस्टम मैनजमेण्ट, पुणे
फोरम फॉर पॉलिसी डायलॉग आन वाटर कनफ्लिक्ट्स इन इण्डिया
दीपक ढोलकिया, आईकैन, दिल्ली
जोया मित्र, लेखक एवं स्तंभकार, पश्चिम बंगाल
सी. शम्भू प्रसाद, आणंद, गुजरात
समीर मेहता, इण्टरनेशनल रिवर्स साऊथ एशिया
ई. थियोफिलस, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड
सोमा, के.पी.

रेणु ठाकुर
देवाशीष सेन, निदेशक, पीपुल्स साइंस इन्सटीट्यूट, देहरादून
आर. श्रीधर, एनवीरॉनिक्स ट्रस्ट, दिल्ली
डॉ. आर.एस. चुण्डावत व जोएना वैन ग्रुइसेन, बाग आप और वन, पन्ना, म.प्र.
सिद्धार्थ अग्रवाल, गंगा पदयात्री, कोलकाता
विमल भाई, माटू जन संगठन, उत्तराखण्ड
देवादित्यो सिन्हा, विंधयन इकालोजी एण्ड नैचुरल हिस्ट्री फाउंडेशन, मीरजापुर
मधुसूदन, सी.जी. व श्रीजा, थ्रिसूर, केरल
डॉ. सुधीरेंदर शर्मा, द इकोलॉजिकल फाउंडेशन, दिल्ली
सुमित महार, हिमधारा एनविरॉनमेण्ट रिसर्च एण्ड एक्शन कलेक्टिव, हिमाचल प्रदेश
कृष्णकांत, गुजरात
स्वरूप भट्टाचार्य, एथनोग्राफर ऑन बोट्स, कोलकाता
मलिका विर्डी, हिमाल प्रकृति, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड
के. रामनारायण, संरक्षणकर्ता एवं प्रकृति शिक्षक, उत्तराखण्ड
जो एथिएली, दिल्ली
सौरव प्रकृतिवादी, कोलकाता, प. बंगाल
रवि सिंह, आगरा, उ.प्र.
हिमांशु ठक्कर, साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एण्ड पीपुल, दिल्ली

***

गंगा के संरक्षण हेतु अनशन करने वाले साधुओं के समर्थन में

दिल्ली से हरिद्वार पदयात्रा
9 मार्च से 17 मार्च, 2019

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जो पहले गुरु दास अग्रवाल के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर व केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के पहले सदस्य-सचिव रह चुके थे, ने 22 जून, 2018 से गंगा के संरक्षण हेतु कानून बनाने की मांग को लेकर हरिद्वार में अनशन किया। 112 दिनों तक अनशन करने के बाद 11 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनका निधन हो गया। अनशन शुरू करने से पहले और अनशन

के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखे। नरेन्द्र मोदी ने स्वामी सानंद के जिंदा रहते उनसे बात नहीं की। उनके मरने पर शोक संदेश भेजा। हम नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वामी सानंद की हत्या का दोषी मानते हैं।

2011 में एक नवजवान साधू स्वामी निगमानंद की भी गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अनशन करते हुए 115वें दिन मौत हो गई थी। यह आरोप है कि तत्कालीन उत्तराखण्ड की भाजपा सरकार से मिले हुए एक खनन माफिया ने उनकी हत्या करवाई। 1998 में स्वामी निगमानंद के साथ अवैध खनन के खिलाफ पहला अनशन कर चुके स्वामी गोकुलानंद की 2003 में खनन माफिया ने नैनीताल में हत्या करवा दी। 2014 में बाबा नागनाथ का वाराणसी में गंगा के संरक्षण हेतु अनशन करते हुए 114वें दिन निधन हो गया। संत गोपाल दास 24 जून 2018 से बद्रीनाथ में गंगा के संरक्षण हेतु अनशन पर बैठे। 6 दिसम्बर को देहरादून के अस्पताल से वे अभी तक गायब हैं।

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की मांग थी कि गंगा को अविरल व निर्मल बहने दिया जाए। वे गंगा पर सभी निर्माणाधीन व प्रस्तावित बांधों को तुरंत रूकवाने चाहते थे। वे गंगा क्षेत्र में बालू, पत्थर खनन व वन कटान पर भी पूरी तरह से रोक चाहते थे। वर्तमान में एक और नवजवान साधू ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद भी मातृ सदन, हरिद्वार में इन्हीं मांगों को लेकर उसी कमरे में अनशन पर बैठे हुए हैं जहां स्वामी सानंद ने अनशन किया था। मातृ सदन के ही स्वामी पुनयानंद, जो अभी से अन्न त्याग सिर्फ फल पर हैं, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद के बाद अनशन पर बैठने को तैयार हैं। मातृ सदन का संकल्प है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती उनके साधू एक-एक करके अनशन पर बैठेंगे।

स्वामी सानंद मनमोहन सिंह की सरकार में भी 2008, 2009, 2010, 2012 व 2013, में पांच बार अनशन पर बैठ चुके थे। उनके कहने पर उस सरकार ने लोहारी नागपाला पन बिजली परियोजना का काम रोका व भागीरथी नदी की गंगोत्री से उत्तरकाशी की 135 कि.मी. लम्बाई को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। 2013 के अनशन के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें पत्र भेजकर यह वायदा किया कि जब केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनेगी तो गंगा सम्बंधी उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन नेरन्द्र मोदी की सरकार में एक बार ही अनशन करना स्वामी सानंद के लिए जानलेवा साबित हुआ।

स्वामी सानंद की मांग को मान कर उनकी जान ही नहीं बल्कि गंगा को भी बचाया जा सकता था। किंतु अब स्वामी सानंद हमारे बीच नहीं रहे और इसी तरह एक दिन गंगा भी नहीं रहेंगी। देश की बहुत सारी नदियां सूख चुकी हैं जिसमें साबरमती नदी भी शामिल है। गंगा और अन्य नदियों का भी यही हाल होने वाला है।

यदि स्वामी सानंद व अन्य साधुओं की बात मान सरकार गंगा को साफ करती तो भारत की 40 प्रतिशत आबादी जो गंगा व सहायक नदियों के किनारे रहती है को सीधा लाभ पहुंचता। किंतु चुनाव आते ही अयोध्या में राम मंदिर, जिससे न जाने किसको लाभ होगा, की बात होने लगी है व शबरीमाला, केरल में तो बच्चा जनने की उम्र वाली महिलाओं के मंदिर प्रवेश का विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरफ सभी बड़े दल चुनावी चंदा लेकर कोर्पोरेट लूट के खुले समर्थक बन गए हैं।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले कि सभी सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ें व न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं अजीत कुमार के फैसले कि सभी सरकारी वेतन पाने वाले एवं उनके परिवार के सदस्य सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराएं को लागू करने के बजाए अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की तर्ज पर शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी एक रोजगार गारंटी कानून की मांग या किसानों के हित जैसे आम जनता के मुद्दों को नजरअंदाज कर धार्मिक मुद्दों पर होने वाली व कॉर्पोरेट लूट की समर्थक राजनीति को नकारने हेतु हम नागरिकों से अपील करते हैं।

मातृ सदन, लोक राजनीति मंच, खुदाई खिदमतगार, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन (पश्चिम बंगाल), कोशी नवनिर्माण मंच (बिहार), माटू जनसंगठन, गंगा बचाओ समिति, टॉक्सिक वाच एलायंस, सर्व धर्म समन्वय परिषद (झारखण्ड), सनातन संस्कृति रक्षा दल, जल जन जोड़ो, पैगाम-ए-इंसानियत, प्रयत्न, ह्यूमैनिटी वेल्फेयर सोसाइटी, इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन, जे.पी. हेल्थ रिसर्च फाऊण्डेशन, पेरेण्ट्स फोरम फॉर मीनिंगफुल एजुकेशन, सोशलिस्ट पार्टी (इण्डिया)

सम्पर्कः संदीप पाण्डेय, 0522 2355978, फैसल खान, 9999746196, उमा, 9971058735, विमल, 9718479517, विजय वर्मा, 9634847444, पी.एस. शारदा, 9810077120

पदयात्रा का मार्ग एवं सम्पर्क सूत्र

दिनांक	कहां से	कहां तक	किलोमीटर	सम्पर्क
9/3/19	जंतर मंतर, दिल्ली	गाजियाबाद	25	फैसल खान, 9999746196, पूर्णिमा अरुण, 8802814735, जे.पी. कश्यप, 9818090230
10/3/19	गाजियाबाद	मोदीनगर	36	सुशील खन्ना, 9891987529
11/3/19	मोदीनगर	मेरठ	25	देवेंदर हूण, 8445224599, नवीन कुरैशी, 7534000087
12/3/19	मेरठ	खतौली	33	फैजान, 9927777272

13/3/19	खतौली	मुजफ्फरनगर	25	होतीलाल, 9219185842, आसिफ राही, 9837068858
14/3/19	मुजफ्फरनगर	पुरकाज़ी	45	कमर इंतखाब, 9990505438
15/3/19	पुरकाज़ी	रुड़की	27	डॉ. अशांक, 8923117874, 7906134571, शरिक अफरोज़, 8755554467
16/3/19	रुड़की	ज्वालापुर	26	हेमा भंडारी, 9358017750, अनिल, 8979388277
17/3/19	ज्वालापुर	हरिद्वार	7	स्वामी दयानंद,

				9808725573, स्वामी पुनयानंद, 7253859684

2019 लोक सभा चुनाव से पहले प्रोफेसर भरत झुनझुनवाला द्वारा जारी पोस्टर:

Who is Friend of the

Ganga?

Slow progress in Sewage Treatment till 2014.

Rapid action in Sewage Treatment after 2014.

Less water in Kumbh.

More water released from Tehri Dam for Kumbh in 2019.

Construction of Tehri Dam started.

MurliManoharJoshi Committee gave green light to Tehri Dam.

9 Environmentalists made members of National Ganga River Basin Authority.

Environmentalists removed from National Ganga River Basin Authority.

3 Hydropower Projects on Bhagirathi cancelled due to tapasya of Swami Sanand.

Refused to cancel 3 Hydropower Projects despite tapasya of BrahmachariAtmabo dhanand.

CONGRESS		BJP
Continued to make new dams.		**Decided not to make new dams on Ganga**
Assigned job of making Ganga River Basin Management Plan to IIT Consortium.		**Placed Report of IIT Consortium in cold storage.**
Environmental flows to be released for keeping the river alive increased from 15% to 20-30%.		**Did not implement the recommendation of IIT Consortium to increase Environmental Flows to 35-51%.**

 National Waterway 1 was in cold storage.

 Started implementation of National Waterway 1 without obtaining Environment Clearance.

4

5

Final Assessment

6

3

Provide your support

here–https://www.freeganga.in/en/(sign letter)

Join on WhatsApp–9012263087

Quaiser Shameem, Faridabad (9811080177), Khudai Khidmatgar, Delhi (9999746196), Ganga Today Trust, Tehri (9012263087), Tarun Bharat Sangh, Alwar (9414019456), Nadi Bachao Jeevan Bachao Andolan, Kolkata (9830779291), Matu Jansagathan, Tehri (9718479517), Hindon Jal Biradari, Ghaziabad (9811251252)

परिशिष्ट 13: गंगाजी और पन बिजली - विकास

(स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के लेखों से उनके अनशन के 50वें दिन संकलन। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद मां गंगा के लिए जो उनके लिए एक गंगा तपस्या है आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं तथा दूसरे जिन्हें मां गंगा की चिंता है को सांस्कृतिक रूप से जागरूक करने के लिए अभी तक उनका सबसे सार-गर्भित वक्तव्य।)

गंगाजी - विशेषताएं एवं महत्व

ए1. प्रथम दृष्टया गंगाजी एक धारा हैं। धारा का प्रमुख गुण होता है प्रवाह, प्रवाह नहीं तो वह धारा नहीं; झील, तालाब, जोहड, पोखर कुछ भी हो, पर धारा नहीं। टिहरी बांध के पीछे 50-60 कि.मी., श्रीनगर-अलकनंदा बांध के पीछे 10-15 कि.मी., यहां तक कि मनेरी बांध के पीछे 2-3 कि.मी., या उत्तरकाशी और विष्णुप्रयाग बराजों के पीछे एकाध कि.मी. को अब न धारा कह सकते हैं, न गंगाजी।

ए2. हिमालय पर्वत के ग्लेशियरों (हिमनदों) तथा पर्वत-सिक्त झरनों द्वारा पूरित जल के कारण गंगाजी की धाराएं स्वाभावतः सदानीरा हैं, मौसमी, बरसाती नहीं। प्रवाह घटता - बढ़ता है; प्राकृतिक कारणों से जैसे वर्षा, तापक्रम, हिमपात; पर्याप्त सूचना देकर अनायास नहीं; विशेषतया मानव-इच्छा या मानव-स्वार्थ जनित कारणों से नहीं (जैसे जल विद्युत उत्पादन में बार-बार होता रहता है)।

ए3. प्राकृतिक जलधाराओं जिनमें पहाड़ी सोतों, झरनों से नदी, नाले, गाड सभी आते हैं एक विशेष गुण है ऊपर वायुमण्डल से और शेष तीन तरफ (तली और दोनों बगल) में क्षेत्र की भूमि के साथ निरंतर सम्पर्क और आदान प्रदान। कहीं तली या एक या दोनों बगल की भूमि से जल रिस कर धारा में आता है, तो कहीं रिस कर धारा से भूमि में आता है। कहीं तली या भूमि के कण, टुकड़े कट कर धारा में

मिल जाते हैं तो कहीं धारा से अलग हो तली या एक या दोनों बगल में बैठ जाते हैं। कहीं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, आदि गैसें जल में घुल जाती हैं तो जल जीवों द्वारा उत्सर्जित गैसें जलधारा से निकल कर वायु में चली जाती हैं। यदि ऊपर छत डाल कर जल का वायुमण्डल से सम्पर्क समाप्त कर दिया जाए, या तली पक्की कर या एक या दोनों बगल तट बंध बनाकर उसका क्षेत्र की भूमि से सम्पर्क काट दिया जाए तो वह प्राकृतिक नदी नहीं रह जाती। प्राकृतिक नदी के इन आवश्यक गुणों को अंग्रेजी में बेड कनक्टिविटी, लैटरल कनक्टिविटी तथा ओपन टू एयर कहते हैं।

ए4. उपर्युक्त सभी गुणों, सदैव समुचित (प्राकृतिक/ नैसर्गिक या एनविरॉनमेण्टल/ इकोलॉजिकल/ पर्यावश्यक) प्रवाह (गति एवं मात्रा दोनों) तथा निरंतर वायुमण्डल से और क्षेत्रीय भूमि से तीनों ओर (तली और दोनों तटों) से सम्पर्क के साथ-साथ अबाध प्रवाह पथ (लॉन्गिट्यूडिनल कनक्टिविटी) की शर्त मिलाने पर यदि पूरी होती हों तब हम उस धारा को अविरल कहेंगे। स्पष्ट है कि उपर्युक्त शर्तें मानव छेड़ छाड़ विहीन स्थिति ही में सैद्धांतिक या वास्तविक रूप में पूरी हो सकती हैं। व्यवहारिक परिस्थिति में छोटे मोटे समझौते करने ही पड़ेंगे जैसे हम पुल बनाते समय करते हैं।

ए5. सभी जानते हैं कि सभी मानव सभ्यताएं नदी घाटियों में ही जन्मीं, पालित हुईं और इस का कारण मात्र जल नहीं, उतना ही महत्वपूर्ण गुणवती मृदा का सृजन आदान प्रदान एवं नवीकरण था जो बिना अविरलता के सम्भव नहीं। भूगर्भ जल स्तर को बनाए रख वर्षा-हीन महीनों में पेय जल, सिंचाई आदि में योगदान दे पाना भी अविरलता के अभाव में सम्भव नहीं होगा। अविरलता की सबसे अधिक आवश्यकता तो जलीय प्राणियों को है चाहे वह हिल्सा माछ हो या डॉल्फिन या घड़ियाल या कछुए, बैक्टीरिया या कीड़े खाने वाले मेंढक।

ए6. गंगाजी, प्रथम दृष्टया एक प्राकृतिक जलधारा, एक नदी हैं (जैसा कि ए1 में कहा गया है) उन पर भी वे सभी बातें लागू होती हैं जो हर अन्य नदी पर लागू होती हैं और हमने ए1 से ए5 में कहीं। हर नदी में हर समय हर स्थान पर उस नदी, समय, और स्थान के लिए आवश्यक पर्यावश्यक (इकोलॉजिकल/ एनविरॉनमेण्टल) प्रवाह होना चाहिए और बेड कनक्टिविटी, लॉन्गिट्यूडिनल व लैटरल कनक्टिविटी तथा ओपन टू एयर आदि अविरलता की सभी शर्तें (छोटे मोटे समझौतों के साथ)

पूरी होनी चाहिए। पर क्या गंगा जी के लिए भी मात्र इतना ही अर्थात् अविरलता की शर्तें पूरा होना ही काफी है? नहीं, नहीं!

ए7. गंगाजी को हमारी पुरातन (हिन्दू, बौद्ध, जैन, द्रविड़, वनवासी, आदि सभी पुरातन भारतीय, भारत में जन्मीं) संस्कृतियों में अत्यंत विशेष, अत्यंत उच्च स्थान दिया गया - सभी अन्य नदियों से ऊपर। रामायण और राजा भगीरथ की कथा द्वारा गंगाजी के पाप नाशक, मोक्ष दायक होने, उनका सम्बंध हमारे तीनों बड़े देवता ब्रह्मा-विष्णु-महेश से जोड़कर, गीता में कृष्ण जी द्वारा धाराओं में मैं जाह्नवी (गंगा) कहलाकर, और आदि शंकर द्वारा रोग-शोक-ताप-पाप हरने वाली के रूप में। पुराणों में तो ढेर सारी अनर्गल कथाएं गढ़ कर उन्हें कहीं देवी तो कहीं मानवी रूप देकर। किसी पण्डित संस्कृतज्ञ से गंगा जी की विशेषता पूछो तो वो ढेर सारे श्लोक पढ़ देगा या पौराणिक कथाएं सुना देगा पूछो प्रमाण तो कहेगा शास्त्रवचन। शायद कुछ और श्लोक पढ़ डाले। मैं शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखता हूं किंतु पोंगा पंथी के प्रति नहीं। गंगा जी की तथा उनके जल, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी, साद (जो नीचे बैठ जाए), गाद (जो तैरती रहे) जल जीवों की विशेषताएं हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से जानीं, जांचीं, वर्षों तक परखीं और फिर अपनी भावी नासमझ अनुभवहीन पीढ़ियों के लिए उन्हें विशेष वरदान के रूप में आदर देने, उनका संरक्षण करने को कह गए। स्वार्थी संस्कृतज्ञ ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों का पात्र बना डाला। चलो इस मूर्खता और पोंगा पंथी से ही सही उन्नीसवीं सदी में कॉटले से पहले तक गंगाजी मानवीय छेड़ छाड़ से तो बची रहीं। वैसे हिल्सा माछ, गांगेय डॉल्फिन, अन्य गांगेय जलजीव, गंगाजी की मिट्टी, साद, गाद के उपजाऊपन, गंगाजल के सड़नमुक्त, प्रदूषण नाशक, रोग नाशक गुणों को क्या हमारे पूर्वज अपने लम्बे अनुभव से नहीं जानते थे - मुझे तो ये सब मेरे बाबा दादी ने बताए-सिखाए जो न विज्ञान पढ़े थे न पुराणों पर विश्वास करते थे। अब गंगाजल तथा गंगाजी की मिट्टी, साद, गाद, (और बालू, बजरी, बोल्डर भी क्योंकि इन्हीं से तो मिट्टी, साद, गाद बनते हैं) का विश्लेषण, और अध्ययन इन गुणों की पुष्टि करना, मात्रा नापना और इन गुणों के वैज्ञानिक कारण तलाशना वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का काम है और ऐसी शोध प्रेरित करना जरूरत पड़े तो आदेश देकर कराना हमारे नेताओं हमारी सरकारों का काम। ऐसी शोध पर्याप्त मात्रा में हो रही है क्या? नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? जब तक न हो तब तक गंगाजी को सामान्य नदी मान उन्हें विकास रथ में जोत कर मार डालें? वाह री हमारी सरकार!

ए8. उपरोक्त चर्चा से निम्न निष्कर्ष स्पष्ट हो जाते हैं-

(क) गंगा जल सामान्य जल नहीं - उसमें अद्भुत अनुपम सड़न नाशक, रोग नाशक, स्वस्थ्य वर्धक, प्रदूषण नाशक गुण है जिन्हें बनाएं रखना है।
(ख) उपरोक्त गुण निलम्बित कणों के कारण है। प्रवाह में छेड़ छोड़ करने से ये कण नीचे बैठ जाते हैं (जैसे बांध बैराज के पीछे) या नष्ट हो जाते हैं (जैसे टर्बाइन में)।
(ग) गंगाजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अविरल प्रवाह जरूरी होगा।
(घ) गंगाजी के जल जीवों की रक्षा के लिए भी अविरलता आवश्यक शर्त होगी।
(ङ) गंगाजी का विशेष गुण-युक्त जल कम से कम कुछ मात्राओं में गंगासागर तक पहुंचे और जल जीवों की भी रक्षा हो इसके लिए हर स्थान पर हर समय गंगाजी की धारा में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बना रहना आवश्यक होगा।

(च) गंगाजल की गुणवत्ता मात्र पीएच (अम्लता), डी.ओ. (घुला हुआ आक्सीजन), बी.ओ.डी. (जैविक आक्सीजन की मांग), टी.डी.एस. (टोटल डिसॉल्वड् सॉलिड्स), एफ.सी. (मुक्त क्लोरीन), टी.सी. (कुल क्लोरीन) जैसे सामान्य जल गुणवत्ता मानकों से नहीं मापी जा सकती न केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, बी.आई.एस. (ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड्स), ई.पी.ए. (संयुक्त राज्य अमरीका की पर्यावरणीय संरक्षण एजेंसी) या डब्लू.एच.ओ. (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मानक गंगाजल पर लगाए जा सकते हैं। आर.ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस), यू.वी. (अल्ट्रा वायलेट) जैसी आधुनिक तकनीकों से संशोधित जल गंगाजल या उसके समान नहीं बन जाएगा। गंगाजल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए हमें नए कारक, नए मानक, स्थापित करने होंगे। याद रखें निर्मल जल गंगाजल नहीं हो जाता, गंगाजल की गुणवत्ता निर्मलता से कहीं अलग, अधिक और ऊपर है।

(छ) इसका अर्थ यह नहीं कि निर्मलता आवश्यक नहीं क्योंकि डाला गया मल गंगाजल के स्वाभाविक गुणों को भी प्रभावित कर सकता है। आवश्यक गंगाजल के स्वाभाविक गुणों का आकलन और उनकी रक्षा, जैसे भी हो।

पन-बिजली - विकास

बी1. कोई भी क्रिया बिना ऊर्जा नहीं हो सकती, चाहे वह जैविक क्रिया हो चाहे भौतिक या रासायनिक एवं प्राकृतिक। साथ ही हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एक मात्र स्रोत सूर्य है - (जैसे कि सभी पदार्थों का भी, आदि स्रोत क्योंकि अंततः तो हमारी पृथ्वी सूर्य से ही टूटा एक टुकड़ा है)। सूर्य से प्राप्त यह ऊर्जा एक ओर तो

सभी ठोस और द्रव पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है और पृथ्वी के गर्भ में तापीय जियो-थर्मल ऊर्जा के रूप में भी तथा दूसरी और सूर्य किरणों के माध्यम से प्रकाश और ताप के रूप में ही नहीं वायु-प्रवाह जनित पवन ऊर्जा, समुद्री तरंगों और ज्वार-भाटे की या वनस्पति, पेड़ पौधों में संगृहीत होती रासायनिक ऊर्जा भी मूलतः सौर ऊर्जा ही है। ऊंचे पहाड़ों से तेजी के साथ नीचे आते जल में या जल प्रपात में उपस्थित भौतिक ऊर्जा (स्टैटिक या पोटेंशियल एनर्जी व गतिज या डायनामिक एनर्जी) भी मूलतः सौर ऊर्जा ही है। टरबाईन - जनरेटर द्वारा इस ऊर्जा का दोहन कर इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना पन-बिजली उत्पादन कहलाता है।

बी2. जीवन का तात्पर्य ही क्रियात्मक है। सृष्टि में जीवन के उद्भव से ही प्रत्येक जीव अपनी सभी स्वाभाविक एवं आवश्यक क्रियाओं को अपने स्वयं के शरीर में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा के द्वारा सम्पन्न करता था जिसकी पूर्ति वह या तो प्रकाश-संश्लेषण द्वारा करता था या अपने भोजन के ऑक्सीकरण या अन्य रासायनिक क्रियाओं द्वारा। छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़े पशु पक्षी तक, जिन में मानव भी शामिल है अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता जीवों को नहीं थी। सभी अपनी सभी क्रियाएं प्रकाश-संश्लेषण या भोजन से प्राप्त शारीरिक ऊर्जा से स्वयं ही कर लेते थे। अधिकतर जीवों मे तो सहयोग की भी आवश्यकता कम ही पड़ती थी, चीटियों, मधुमक्खियों, जैसी कुछ प्रजातियों को छोड़ कर या जीव के शैशव काल में। पर मानव जाति तो अधिक बुद्धिशाली थी। और बुद्धि ही क्या जो श्रम से बचने के तरीके न ढूंढ़े सो शरीर श्रम से बचने के लिए पशुओं का और मानव-दासों के पशुबल की ऊर्जा का उपयोग शुरू हुआ। जैसे सभ्यता का विकास हुआ शरीरबल के साथ-साथ पशुबल का उपयोग भी हेय माना जाने लगा साथ ही ऊर्जा की खपत भी दिन दूनी रात चैगुनी बढ़ती गई। यातायात के साधन, प्रकाश या पंखे ही नहीं, ए.सी., मिक्सी, ओवन, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, तरह तरह के कल कारखाने। जितना अधिक सभ्य उतनी अधिक ऊर्जा की खपत और फिर भी संतोष नहीं - और-और-और। ऐसे में पहाड़ों से आते जल की पनबिजली पर ललचाई नजर कैसे न पड़ती।

बी3. तीव्र गति से बहते या तीखे ढाल से नीचे उतरते जल से सीधे टरबाईन चलाकर बिजली बनाई जा सकती है - इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा {प्रवाह से गुणा करें (((गति का गति से गुणा करें) 2 से भाग दें) धन गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक्सिलरेशन का गुणा ऊंचाई के अंतर से)} के ऊपर निर्भर करती है।

पहाड़ी क्षेत्र में जहां प्रवाह की गति और ऊंचाई का अंतर अधिक मिलते हैं प्रवाह की मात्रा कम ही होती है - प्रकृति में जल प्रवाह की गति भी 3-4 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक नहीं मिलती (तली के घर्षण और वायु के अवरोध के कारण) अतः प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा अंततः {प्रवाह की मात्रा का ऊंचाई के अंतर से गुणा} पर निर्भर हो जाती है। प्राकृतिक प्रपात पर तो सीधे सीधे प्रपात के ऊपर से जल पेन्सटाक पाइप के द्वारा प्रपात के नीचे स्थापित टरबाईन में डाल कर बिजली बनाई जा सकती है - अन्यथा एक कृत्रिम प्रपात उत्पन्न करना पड़ता है बांध बनाकर। जितना ऊंचा बांध, उतना ही अधिक ऊंचाई का अंतर, उतना ही अधिक बिजली उत्पादन। पर बांध के पीछे इतनी ही बड़ी झील, झील में डूबने वाली भूमि, वनों या खेती का विनाश, लोगों का विस्थापन, लागत तो बड़ी होगी ही। टिहरी बांध का उदाहरण सामने है ही जिसने धरासू से लगभग 60 किलोमीटर दूर बांध की भागीरथी जी को प्रवाह-हीन झील में परिवर्तित कर दिया, एक लाख से ऊपर लोगों को उजाड़ उनकी कृषि भूमि और सम्पत्ति और एक बड़े क्षेत्र के वन नष्ट किए। पर्यावरण पर वन्य पशुओं पर तथा प्रवासी जलजीव प्रजातियों पर दुष्प्रभाव तो सदा बने ही रहेंगे।

ऊंचा बांध बनाने का एक दूसरा विकल्प निकाला गया। एक कम ऊंचे बांध या बराज के द्वारा जल धारा को बगल के पहाड़ में एक बड़े पाइपनुमा सुरंग के अंदर अंदर ले जाकर कहीं 10-25 किलोमीटर दूर सुरंग के मुंह से 100-250 मीटर नीचे उसी नदी या किसी अन्य जल प्रवाह के पास टरबाईन लगा कर बिजली बना कर जल को फेंक दिया जाए। इस में ऊंचा बांध तो नहीं बनाना पड़ा पर पहाड़ में एक लम्बी सुरंग खोदनी पड़ी। झील नहीं बनी पर मलबा जो सुरंग से निकला उसके निस्तारण की समस्या। जल में प्रवाह तो बना रहा पर जल का प्राकृतिक चट्टानों, वनस्पति और वायु से सम्पर्क तो कट गया। जल जीवों का संकट भी जस का तस बना रहा। पहाड़ में बने बड़े व्यास की लम्बी सुरंग बनाने से जल स्रोतों की और पहाड़ की स्थिरता की नई समस्याएं खड़ी होने की या ऊपर के पहाड़ों के ढहने-टूटने की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।

बी4. उपरोक्त सभी कठिनाई और दुष्प्रभाव होते हुए भी यदि पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव की लागत न जोड़ी जाए तो अन्य किसी भी तरह के (पशु-ऊर्जा को छोड़कर) ऊर्जा दोहन से सस्ती पड़ती हैं। प्रारम्भ में स्थापित करने में बड़ी पूंजी भले ही लगे, पर बाद में हल्दी लगे न फिटकरी पर रंग आए चोखा वाली बात हो जाती है - लगभग मुफ्त ढेर सारी ऊर्जा। इसमें भी बड़ी बात यह कि ऊर्जा दोहन के अन्य

तरीकों की तुलना में पन-बिजली परियोजनाओं की अधिक लागत मशीनों पर नहीं बांध या सुरंग बनाने में मजदूरों तथा ढुलाई जैसे कार्यों पर होती है जिसे सरकारें पसन्द करती हैं - बहुत लोगों को रोजगार मिलते हैं - सालों तक। सड़क बनती है पूरा क्षेत्र बाहर के लिए खुल सा जाता है।

बी5. पन बिजली की एक विशेषता मिनटों में उत्पादन शुरू कर देने और जब चाहों मिनटों में उसे बंद कर देने में है। अतः अधिक आवश्यकता के समय (जैसे सांय 6 बजे से 11 बजे तक) बिजली बनाई फिर अगले दिन सांय तक बंद कर दी। इसका प्रभाव नीचे के स्थानों पर जलस्तर के घटने बढ़ने पर और जल-जीवों पर पड़ता है - जैसे उत्तरकाशी के घाटों पर मनेरी-भाली परियोजना का या ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर टिहरी का। क्या इसका कोई मूल्य नहीं?

गंगाजी और पन-बिजली

सी1. गंगाजी या उनकी उत्तराखण्ड में स्थित धाराओं के साथ कोई बड़ी छेड़-छाड़ मुगलों के शासनकाल तक भी नहीं हुई, यद्यपि यमुना जी से पश्चिमी यमुना नहर निकालने का कार्य अकबर के शासन में शुरू हुआ, और शाहजहां के काल में तो इस से यमुना जी का जल डाक-पत्थर से इस नहर द्वारा करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत होता हुआ दिल्ली में चांदनी चैक और लाल किले तक पहुंचता था। 1820 के दशक में अंग्रेजों ने इस बादशाही नहर का नवीनीकरण किया, और डाक-पत्थर से पूर्वी यमुना नहर निकाली जो सहारनपुर, शामली, बड़ौत, बागपत होते हुए दिल्ली शाहदरा तक सिंचाई-जल पहुंचाती थी। 1840 में अंग्रेज सरकार ने गंगाजी को छेड़ने का साहस किया। गंगाजी से निकलने वाली पहली नहर का कार्य 1841 में प्रारम्भ होकर 1846 में पूरा हुआ। नहर के मार्ग में उपलब्ध ढाल उससे कहीं अधिक था जितने की नहर के प्रवाह के लिए जरूरत थी अतः नहर में कई जगह जल प्रपात थे जैसे पथरी, आसफनगर, मुहम्मदपुर, आदि।

सी2. सर प्रोबी थामस कॉटले द्वारा बनाए भीमगोडा हैडवर्क्स एक बहुत कम ऊंचाई (1.5 मीटर) पत्थर की चिनाई की दीवार (वेयर) थी जिसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए जल कम होने पर 0.5 मीटर तख्ते खड़े किए जाते थे। उसके एक भाग में मछलियों के ऊपर नीचे जाने के लिए फिश लैडर थी। बगल से (दाएं) नहर हर की पैडी से होती हुई जाती थी - आवश्यकता से अधिक जल बाएं तट के साथ लगे तख्तेदार फाटकों से निकल कर वापस नील धारा में डाल दिया जाता था। इस

प्रकार न अविरलता भंग होती थी न गंगाजी के विशेष कणों या जलीय जीवों के आवागमन में बाधा पड़ती थी। मान्यता भी यही थी और काफी हद तक तथ्य भी कि रुड़की, देवबंद, खतौली, मुरादनगर, बुलंदशहर तक तो मानो गंगनहर की धारा ही है - उसी श्रद्धा से लोग नहाते और पूजा करते थे।

सी3. 1905-1910 के बीच भीमगोडा हैडवक्र्स का आधुनिकीकरण हो गया कांक्रीट का बांध, लोहे के गेटवाले स्लूइस आदि और मायापुर डैम बन गए। गंगाजी की अविरलता भंग हो गई - हर की पैडी से ऊपर ही। कई वर्ष के संघर्ष के बाद माननीय मालवीय जी के नेतृत्व में हर की पैडी की अविरल धारा तो प्रतीक रूप में बहाल हो गई पर नीचे की नहर और नील-धारा - गंगाजी की मूलधारा जिस पर नीचे के सभी गांगेय तीर्थ हैं - शुक्रताल, बृजघाट, राजघाट, ब्रह्मावर्त, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग, वाराणसी, तो गंगाजी की अविरल धारा से महरूम ही हैं। गंगात्व या गंगाजी के विशेष गुणों से अनभिज्ञ, हरिद्वार से नीचे के जल में सड़नहीनता, विशेषता के प्रति लापरवाह, प्राचीन ग्रंथों (तथाकथित शास्त्रों) की कथाओं में अंधाविश्वास रखने वाले मूढ़, लालची, स्वार्थी हमारे समाज को क्या अंतर पड़ना था - उन्हें तो बस मनौतियां मांगना, परम्परा निभाना।

सी4. 1920 के बाद अंग्रेज सरकारों का ध्यान पन-बिजली दोहन की ओर गया और गंगा नहर पर स्थित दो बड़े प्रपातों, पथरी तथा मुहम्मदपुर में पनबिजली घर बनाए गए इन में न भण्डारण बांध था न सुरंग। नहर में गंगात्व या अविरलता का प्रश्न ही नहीं था और इन बिजली घरों से कोई दुष्प्रभाव हुआ हो तो मुझे नहीं लगता। 1952-55 में ऊपर के दो छोटे प्रपातों को तोड़कर, पूरे प्रवाह का बिजली बनाने में उपयोग कर तथा डिजाइन में सुधार कर पथरी जल विद्युत केन्द्र की क्षमता लगभग तिगुनी कर दी गई। मैं तब रुड़की में पढ़ रहा था जहां से पथरी मात्र 18 किलोमीटर था। पनबिजलीघर डिजाइन और निर्माण के पहले पाठ मैंने वहीं से सीखे।

सी5. उत्तराखण्ड में मुख्य धाराओं पर जल विद्युत परियोजनाओं का कोई काम 1960 तक प्रारम्भ नहीं हुआ यद्यपि उत्तर प्रदेश में शारदा प्रणाली पर पनबिजली दोहन शुरू हुआ और जल विद्युत विभाग गठित हुआ जिसकी रिहन्द जल विद्युत परियोजना के निर्माण में मैं 1954 से 1960 तक कार्यरत रहा जो एक बड़े कांक्रीट बांध पर आधारित थी। 1960 के अंतिम 6 मास मैं उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय डिजाइन डाइरेक्टरेट में कार्यरत था जहां मेरा सम्पर्क पहली बार गंगा-यमुना से बिजली

दोहन के चिन्तन से हुआ पर यह बहुत ही प्राथमिक, लगभग वैचारिक स्तर पर ही था। 1961 के प्रारम्भ में ही मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा त्याग, आई.आई.टी. कानपुर में अध्यापक हो गया और शीघ्र ही सिंचाई पनबिजली क्षेत्र छोड़ पर्यावरण विशेषज्ञ कहलाने लगा। पर पुराना लगाव छूटता कहां है? मैं सिंचाई और पनबिजली परियोजनाओं पर जाता रहा। मेरा दुर्भाग्य कि 1978 में जब गंगाजी की किसी भी एक प्रमुख धारा पर पहली पनबिजली परियोजना - भागीरथी पर मनेरी भाली परियोजना - प्रारम्भ हो रही थी मुझे निर्माण नियोजन विशेषज्ञ के रूप में 15 दिन मनेरी निर्माण स्थल पर रहने का अवसर मिला। काश मैं उस समय उस परियोजना के भागीरथी जी पर दुष्प्रभाव आंक कर उसका विरोध करता। मनेरी भाली एक सुरंग परियोजना थी जिसने भागीरथी जी की अविरलता नष्ट कर दी और उनके जल में विद्यमान गंगात्व को बहुत हानि पहुंचाई। अब तो मनेरी भाली परियोजना का दूसरा चरण (उत्तरकाशी धरासू) भी पूरा हो चुका है, अब तो मनेरी से एक किलोमीटर ऊपर से टिहरी (बल्कि कोटेश्वर) के नीचे तक के लगभग 150 किलोमीटर में भागीरथी जी धारा के रूप में मात्र उत्तरकाशी के घाटों के निकट 2-3 किलोमीटर में दिखती हैं अन्यथा या सुरंग में या झील में लुप्त। कहीं सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित बांध बन गए तो क्या होगा?

पनबिजली के गंगाजी की बलि!! क्या ऐसी सम्भावना रोकने के लिए यह नश्वर जीवन दांव पर लगाना कोई बड़ी बात है?

मेरे विचार से नहीं।

***

गंगा की निर्मलता - स्वच्छता - पवित्रता - गुणवत्ता

(उनके अनशन के 50वें दिन उनके कुछ विचार संकलित किए गए। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने यह एक पन्ने के दोनों तरफ लिखा था और एक पन्ना सादा छोड़ दिया था, शायद कुछ जोड़ने के लिए। हमें कुछ नई जानकारी मिलेगी तो इसमें जोड़ेंगे।)

1. गम्भीरता और वैज्ञानिक समझ से बचने वाला हमारा समाज (यहां तक कि सरकारी विशेषज्ञ भी) इन दिनों गंगाजी के संदर्भ में इन चार गुणों में से पहले दो

का बहुतायत से प्रयोग करता है जैसे वे दोनों एक ही बात हों। मेरे बचपन के दिनों मे हम गंगाजी या गंगाजल के संदर्भ में पवित्रता की बात करते थे निर्मलता या स्वच्छता की नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से गंगाजी एक जलधारा हैं और उनके संदर्भ में हमें गंगाजल की गुणवत्ता की बात करनी चाहिए। इन चारों को समझें।

(क) जिस जल में आंख से देखनेवाला मैल न हो अर्थात् जो देखने में पारदर्शी और रंगहीन हो उसे निर्मल कहेंगे। इस प्रकार शुद्ध दूध को भी निर्मल नहीं कहेंगे पर धुले हुए लवणों, बी.ओ.डी. या उपस्थित जीवाणुओं से निर्मलता पर असर नहीं पड़ेगा। निर्मलता को मापने के कारक रंग तथा मैलापन होंगे।

(ख) स्वच्छता केवल एक भावात्मक गुण है जिसमें पांचों ज्ञानेन्द्रियों से पहचाने जा सकने वाले सभी गुणों का आभास ही नहीं पूर्व का इतिहास भी समाहित रहता है पर जिसे नापा नहीं जा सकता। धुले हुए वस्त्र को स्वच्छ कहेंगे निर्मल नहीं। जिस बर्तन का संसर्ग गंदगी से हुआ हो उसे या उसमें रखे जल को स्वच्छ नहीं कहेंगे, भले ही गंदगी कहीं नजर न आए। इस प्रकार स्वच्छता निर्मलता से कहीं आगे जाती है - दिखाई न पड़ने वाली 'मैल' को भी देखती है। बहुधा उपचार या शोधन से निर्मलता आती है, स्वच्छता नहीं। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता चाहिए निर्मलता से काम नहीं चलेगा।

(ग) पवित्रता से तात्पर्य होता है मैल को नष्ट करने की क्षमता - केवल मैल या अस्वच्छता का अभाव या अनुपस्थिति नहीं। गंगाजल को बचपन में हमें पवित्र कहना होता था वह झूठ नहीं था क्योंकिः

(1) डॉ. डी.एस. भार्गव के शोध के अनुसार गंगा जल में बी.ओ.डी. नष्ट करने की क्षमता सामान्य जल से 10-25 गुणा अधिक है।
(2) राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी शोध संस्थान के शोध के अनुसार मल जीवाणु कॉलिफॉर्म को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है।
(3) आई.एम.बी.टी. चण्डीगढ़ के डॉ. एस. माईलराज के शोध के अनुसार लगभग 20 प्रजातियों के जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है।
(4) आदि शंकराचार्य और तुलसीदास जी के अनुसार गंगाजल में रोग, शाप, ताप ही नहीं पापकर्म तक भी नाश करने की क्षमता है भले ही उसे सिद्ध न किया जा सके।

मल को नाश करने की यह क्षमता ही गंगाजल का विशेषगुण, उसका गंगात्व है। इस गंगात्व को पूर्ववत् स्थापित करना ही गंगाजी का पुनर्जीवन होगा, इसे बनाए रखना ही गंगाजी का संरक्षण। याद रखें इसका कम से कम कुछ भाग मापनीय है।

(घ) गुणवत्ताः ऊपर की चर्चा से यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि गंगाजी के संदर्भ में मात्र निर्मलता या स्वच्छता की बात करना निरर्थक ही नहीं गंगाजी का घोर अपमान है। निर्मल तो कुएं, सरोवर, झील का या बोतलबंद पानी भी हो सकता है तो क्या वह गंगाजल हो जाएगा? गंगाजल और गंगा जी की तली की बालू-बजरी के गुणों की जांच के लिए हमें उपयुक्त अनुमापमीय कारक और उसकी स्वीकार्य सीमाएं तय करनी होंगी। स्पष्ट है इनमें पीएच (अम्लता), मैलापन, डी.ओ. (घुला आक्सीजन), टी.डी.एस. (टोटल डिसॉल्वड् सॉलिड्स), बी.ओ.डी. (जैविक आक्सीजन की मांग), सी.ओ.डी. (रासायनिक आक्सीजन की मांग), कॉलिफॉर्म एम.पी.एन. (ज्यादा सम्भावित संख्या) जैसे सामान्य जल गुणवत्ता कारक तो होंगे ही (यद्यपि इनकी स्वीकार्य सीमाएं भिन्न हो सकती हैं) साथ ही बी.ओ.डी. विनाश दर कान्सटेण्ट, पुर्नआक्सीकरण दर कान्सटेण्ट, कॉलीफेज के प्रकार एवं घनत्व, क्लीनिकल पैथोजन के लिए फेज का प्रकार एवं घनत्व - जैसे गंगात्व के विशेष गुण भी नापने होंगे। इस सब पर विस्तृत शोध कार्य की आवश्यकता है। गंगा के पुनर्जीवन या संरक्षण के लिए उपलब्ध धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत भाग तो ऐसे शोध पर ही लगना चाहिए जो शेष प्रबंधन में आवश्यक कार्यों का स्वरूप तय करें।

2. गंगाजी की पवित्रता/गुणवत्ता (कही जा रही निर्मलता/स्वच्छता) के लिए कार्यः

(क) समझा जाए और दृढ़ मन से माना जाए कि गंगाजी के विशेष गुण उनकी पवित्रता, उनका गंगात्व सब हिमालय से आते हैं - हम एक बार नष्ट या कम हो जाने पर उन्हें पैदा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते - कर सकते तो गंगाजल बनाने की फैक्टरियां स्थपित कर लेते। गंगाजल का गंगाजी में अलग अलग जगह पर भिन्न मौसम में मापन करना, उसमें कमी किन कारणों से आती है यह समझना और उस समझ के आधार पर प्रबंधन तय करना होगा।

(ख) अविरलता और पर्यावरणीय प्रवाह (एफ.डी.सी. (फ्लो ड्यूरेशन कर्व) विधि से गणनाकृत) बनाए रखना तो आवश्यक लगते ही हैं और इन्हें तो तुरंत कड़ाई से लागू कर देना चाहिए।

(ग) बाहर से आने या मिलने वाले प्रदूषण, वह नगरीय अवजल हो या औद्योगिक अवजल या ठोस अपशिष्ट या अन्य मल उसकी मात्रा उस समय और स्थान पर गंगाजी की शोधन क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ऐसा सुनिश्चित करना होगा। गंगाजी में डालने से पूर्व शोधन - अवजल प्रशोधन, एफ्लुएण्ट ट्रीटमेण्ट तथा अवजल पम्पिंग, म्यूनिसिपल वेस्ट डिस्पोसल, आदि - का दायित्व गंगाजी का नहीं। गंगा मंत्रालय इनके गंगाजी में प्रवेश पर नियंत्रण कर सकता है, इनकी, या इन पर खर्च की जिम्मेदारी या उसमें भागीदारी नहीं।

भारतीय संविधान के मूल सुलेखन प्रति का 13वां चित्र
महाबलिपुरम् मूर्तिकला के दृश्य
(भगीरथ तपस्या और गँगावतरण)

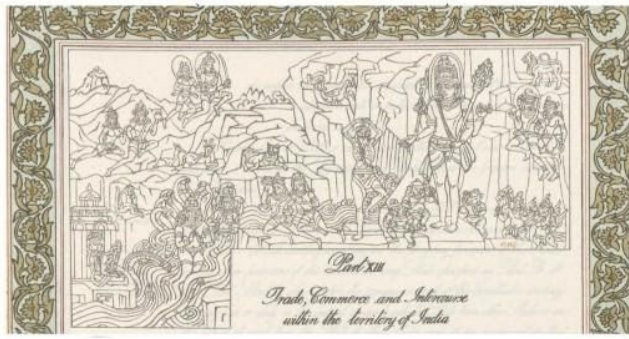

स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद
(संन्यास पूर्व: प्रो. जी.डी. अग्रवाल)
[सा.श. 20.07.1932 - 11.10.2018]

अपने गँगा तपस्या के अंतर्गत 6ठा आमरण अनशन करते हुए 112वें दिन अधिकारिक सूचना के अनुसार हृदयघात से देहांत

अनशन का कारण: माँ गँगा जी की वर्तमान भीषण दुर्दशा के लिये तुरन्त अतिआवश्यक कदम उठाने और उनकी अविरलता, प्रवाह तथा जल गाद तथा प्राणितन्त्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के हेतु केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने के लिये 22 जून से आमरण अनशन

देखें http://gangatapasya.in
संपर्क: 7382990835

कहते हैं कि राजा भगीरथ घोर तपस्या कर सफलतापूर्वक गँगा को भारत भूमि पर लेकर आये । और इस गँगा को अपनी माँ मानकर प्रोफेसर गुरुदास (जी.डी.) अग्रवाल ने वर्तमान शासन तंत्र और शासकों की दुर्नीतियों से उत्पीड़ित अपनी माँ को बचाने के लिये उनके नैसर्गिक स्वरूप, गँगा को अविरल और निर्मल, बनाये रखने हेतु सरकार से एक अधिनियम की माँग के संकल्प की पूर्ति के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए ।

उनकी मृत्यु सरकार से हुई चूक या फिर कृत्यों का नतीजा है, इस पर अंतहीन बहस की जा सकती है । पर इसमें कोई शक नहीं कि सरकार द्वारा अपनाई गई पर्यावरण विरोधी और असमानता बढ़ाने वाली नीतियाँ गँगा को लुप्त करने और विकास के नाम गँगा की बलि लेने में ही लगी हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे हमारे देश के संविधान द्वारा अनिवार्य बताये गये मौलिक अधिकारों व राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों का सीधा-सीधा उल्लंघन करती हैं ।

अब ज़्यादा प्रासंगिक यह है कि हम अपने पूर्व सहयोगी, शिक्षक, प्रख्यात पर्यावरण विशेषज्ञ, जिम्मेदार नागरिक व गँगा भक्त को श्रद्धांजलि देने के क्रम में उनके अपूर्ण सपनों को कैसे पूरा करेंगे इस पर ध्यान दें । सबसे बड़ी बात है कि वे जिसमें विश्वास करते थे उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो गए ।

पिछले माह एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा,

'दस अक्टूबर से मैं जल भी छोड़ दूँगा; दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा । मेरा प्राणांत हो जाने से मुझे कोई अफसोस नहीं होगा । पर मेरे प्राणों का अंत गँगा को बचाने के प्रयासों का अंत नहीं होगा ।'

प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल के सपनों को पूरा करने के लिए तो हमें बहुत काम करना होगा । अभी इस समय कोशिश यह है कि हम अपने को याद दिलाएँ कि हमारे संविधान में भगीरथ की सभ्यता, समानता व पर्यावरण को लेकर चिंता समाहित की गई है जिससे हमारे प्रिय प्रोफेसर जी.डी.अग्रवाल को प्रेरणा मिली ।

हमारा भारतवासियों को आहवान है कि स्वामी सानंद के गँगा संरक्षण के अपूर्ण प्रयास को पूरा करने के लिए गँगा और गँगत्व बचाने के अभियान से जुड़ें ।

मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, मल्लिका साराभाई, ललिता रामदास, कविता श्रीवास्तव, सरिता कुमारी, [illegible], प्रो. मोहिनी मलिक, राजेन्द्र सिंह, प्रशांत भूषण, जिग्नेश मेवाणी, राजमोहन गांधी, एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास, [illegible], सुधीन्द्र कुलकर्णी, आनंद पटवर्धन, स्वामी अग्निवेश, [illegible] ... अरविंद केजरीवाल, आलोक अग्रवाल, [illegible], के सभी छात्र एवं शिक्षक

दैनिक जागरण अखबार में छपी स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद को श्रद्धांजलि

संदीप पाण्डेय की 'गंगा हेतु संतों की बलिदानी परम्परा' आधुनिक भागीरथ की कथा है जिन्होंने अविरल एवं निर्मल गंगा को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया। उन्होंने अपना जीवन दिया ताकि गंगा जिंदा रहें। जब तक गंगा जिंदा रहेंगी, भारत जिंदा रहेगा। ये ऐसी कथाएं हैं जिन पर मुख्य धारा की मीडिया खामोश रही। भारत अपना बलिदान देने वालों संतों के प्रति कृतज्ञ रहेगा। मैं संदीप को धन्यवाद देती हूं कि उसने हमें ये बलिदान भूलने नहीं दिये।

- डॉ. वंदना शिवा

स्वामी सानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन सरकारों, जो ऐसी विकास की अवधारणा को मानती हैं जिसमें प्रकृति का विनाश अंतर्निहित है, उन कम्पनियों, जो ऐसी सरकारों की भ्रमित करने वाली अवधारणा को जमीन पर उतारती हैं और उन ठेकेदारों, जो प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं, जिन तीनों का इस विकास में इतना निहित स्वार्थ है कि मनुष्य के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हो जाते हैं, के खिलाफ मोर्चा खोल दें।

- मेधा पाटकर